लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4Th

LOK SABHA DEBATES

आठवाँ सत्र
Eigth Session

Rack No ... 57(1)
Acc. No ... 8.12.67
PARLIAMENT LIBRARY

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, 21 अगस्त, 1969/30 श्रावण, 1891 (शक)

No. 23, August 21, 1969/ Sravana 30, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
661	अखबारी कागज के लिए आयात लाइसेंस	Import licences for Newsprint	2—6
662	अय्यर पंचाट की अवधि को बढ़ाने के संबंध में दिल्ली स्टेट बैंक कर्मचारी संघ की मांग	Demand by Delhi State Bank Employees Federation for extension of Aiyar Award Operation	6
663	रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने वाली समिति	Committee for Estimating Employment Opportunities	6—9
664	लम्बे रेशे वाली कपास के बारे में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Long Fibre Cotton	9—11
665	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उत्पादन	Sugar production during Fourth Plan	11—17

अल्प सूचना प्रश्न

S.N.Q. No.			
7	पश्चिम बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Tea Plantation Labour in West Bengal	17—25

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
666	राज्य फार्मों द्वारा अधिक उपज वाले बीजों की सप्लाई	Supply of High Yielding varieties of Seeds by States Farms	25

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
667	देश के चरागाहों का समाप्त हो जाना	Vanishing of Pastures in the Country	25-26
668	सूरतगढ़ फार्म को बन्द करना	Winding up of Suratgarh Farm	26—29
669	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को दो अस्पतालों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to West Bengal for two Hospitals under E.S.I. Scheme	29
670	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Employees' Provident Fund Act	29-30
671	फिल्म परिषद्	Film Council	30
672	अन्दमान द्वीपसमूह में वन विभाग द्वारा काटी गई इमारती लकड़ी की ढुलाई	Shipment of Timber extracted by Forest Department in Andamans	30-31
673	भूमिहीन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी	Minimum wage for Landless Labourers	31
674	गन्ने की उपलब्धता	Sugarcane availability	31-32
675	केन्द्रीय सूचना सेवा संगठन द्वारा अभ्यावेदन	Representation made by Central Information Service Association	32
676	दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में बदलना	Conversion of D.M.S. into Autonomous Body	32-33
677	देश में बेरोजगारी	Unemployment in the country	33-34
678	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Community Development Programme	34
679	टेलीविजन क्षेत्र का विस्तार	Extension of T.V. range	34
680	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आयोजन पर गोष्ठी	Symposium on Planning for drought areas	34-35
681	प्रत्येक उद्योग के लिए एक कार्मिक संघ	One Union for one industry	35
682	कृषि उत्पादन आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Agricultural Production Commissioners	35-36

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
683	दिल्ली में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार	Corruption in Cooperative Societies in Delhi.	36-37
684	बेरोजगारी भत्ता	Unemployment Allowance	37
685	आवास विभाग के फालतू कर्मचारी	Surplus staff in the Department of Rehabilitation	37-38
686	राजस्थान में उर्वरकों की चोरबाजारी	Black marketing of Fertilizers in Rajasthan.	38-39
687	चौथी पंचवर्षीय योजना में चीनी का उत्पादन	Production of Sugar during Fourth Plan	39
688	प्रैस प्रत्यापन समिति द्वारा प्रैस प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षण	Review of lists of Press Representatives by Press Accreditation Committee	39-40
689	धान तथा गेहूं के वसूली मूल्य	Procurement prices of paddy and wheat .	40
690	सरकार की नीति को देखते हुए ट्रेक्टरों की आयात	Import of Tractors vis-a-vis Government Policy.	40-41

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.

4310	ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण	Rural Credit [Survey.	41
4311	पत्रकारों को टेलीफोन देने के नियम	Rules for granting Telephones to Journalists	41-42
4312	निर्वाचन संबंधी आंकड़ों की पुस्तक का प्रकाशन	Publication of a book of Election Data .	42
4313	चुनाव आंकड़ों की पुस्तक का प्रकाशन	Publication of a book of Election Data .	42-43
4314	चीनी बनाने के नये कारखानों की स्थापना	Establishment of new Sugar Factories .	43-44
4315	आकाशवाणी में प्रोडक्शन असिस्टेंटों की नियुक्ति	Appointment of Production Assistants in A.I.R.	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4316	आकाशवाणी में प्रसार प्रबन्धक	Transmission Executive in A.I.R.	44-45
4317	टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में प्रस्तुतकर्त्ता	Producers in T.V. Centre Delhi	45
4318	आकाशवाणी के उर्दू कार्यक्रम में वार्ताएं	Talks in Urdu Programme of A.I.R.	46
4319	आकाशवाणी, केन्द्र दिल्ली की स्टाफ कारें	Staff cars of A.I.R. Delhi	46-47
4320	सूखे की स्थिति बताने वाला गुजरात का मा.चित्र	Drought Map of Gujarat	47-48
4321	गुजरात को गेंहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Gujarat	48
4322	47 एक्सचज कलकत्ता के ई० एस० पी० के विरूद्ध आरो.	Allegations against E.S.P. 47 Exchange Calcutta	48-49
4323	आकाशवाणी के कर्मचारियों का तब.दला	Transfer of staff in A.I.R.	49
4324	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के अधिक दाम	High Food prices in tribal areas of Madhya Pradesh	49-50
4325	मध्य प्रदेश में अधिक उपज वाली किस्मों के विकास का कार्यक्रम	High yielding varieties programme in M.P.	50
4326	मध्य प्रदेश की वन सम्.दा से निकले माल पर स्वामित्व में वृद्धि	Increase in Royalty for exploitation of M.P. Forest Wealth	51
4327	आकाशवाणी दिल्ली के टेली-विजन केन्द्र द्वारा की गयी खरीद	purchases made in T.V. Centre A.I.R. Delhi.	51
4328	अमरीका से उर्वरकों का आयात	Import of fertilizers from U.S.A.	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJEC	पृष्ठ/PAGES
4329	तमिलनाडु में समन्वेषी नल-कूप संगठन	Exploratory tube wells organisation in Tamil Nadu	52
4330	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध में चिकनाई की कमी	Reduction of Fat contents in D.M.S. Milk .	53
4331	आकाशवाणी के प्रोड्यूसरों का स्थानान्तरण	Transfer of producers of A.I.R.	53-54
4332	गोरखपुर में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Gorakhpur	54
4333	भूमिगत जल के लिये राजस्थान का सर्वेक्षण	Survey of Rajasthan for Ground Water .	54-55
4334	चोर बाजार में आयातित ट्रैक्टरों का मूल्य	Sale of imported tractors in black market .	55-56
4335	जोरबाग एक्सचेंज (नई दिल्ली) में टेलीफोन के तार (केबल) बिछाना	Laying of cables in Jorbagh Exchange New Delhi	56
4336	आर्वी (पूना) में भू-उपग्रह केन्द्र	Earth satellite station at Arvi (Poona)	56
4337	हरे चारे को सुरक्षित रखना	Preservation of green fodder . .	56-57
4338	संयुक्त प्रबन्ध परिषद के बारे में कानून	Legislation regarding joint management Council	57
4339	कृषि कार्यक्रमों के लिये संवाद लेखक	Script writers for Agriculture—Programmes	57
4340	किसानों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of fertilizers to farmers .	57—59
4341	कृषि सर्वेक्षण सम्बन्धी जापानी दल का दौरा	Visit by Japanese Agricultural Survey Team	59
4342	राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities in States	59-60
4343	भूमिगत जल के निकालने को नियंत्रित करने के लिये विधान	Legislation to Regulate Extraction Ground Water	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4344	संसद् सदस्य द्वारा आकाशवाणी के विदेशी प्रचार डिवीजन के विरुद्ध शिकायत	Complaint from MPs against External Services ivision of A.I.R.	61
4345	खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण	Training of farmers about Modern Methods of cultivation	61-62
4346	आर्थिक विशेषज्ञों की कमी	Shortage of Economic Experts	62
4347	राज्य मंत्री द्वारा मंजूर किये गए टेलीफोन	Telephone sanctioned by Minister of State	62
4348	उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in U.P. .	62-63
4349	जेनेवा में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	International Labour Conference held in Geneva	63
4350	भारतीय खाद्य निगम में छंटनी	Retrenchment in F.C.I. .	64
4351	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की किस्म में गिरावट	Fall in the quality of D.M.S. Milk .	64
4352	ग्राम सेवक	Village level workers	64-65
4353	केरल में बेरोजगारी	Unemployment in Kerala.	65
4354	सहकारी उपभोक्ता स्टोरों का कार्यसंचालन	Working of Co-operative Consumer Store	65-66
4355	तारों का देर से वितरण	Late delivery of telegrams	66-67
4356	मोडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड	Modern Bakeries (India) Ltd. .	67
4357	दिल्ली में सुपर बाजार को राजसहायता	Subsidy to Super Bazars in Delhi	67
4358	आकाशवाणी के कार्यक्रम में "जय भारत" तथा "जय माला"	A.I.R. Programmes Jai Bharat and Jai Mala .	68
4359	रोजगार के अवसरों में वृद्धि	Increase in Employment potentiality	69

4360	फिल्म वित्त निगम	Film Finance Corporation	69-70
4361	कृषि स्नातकों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Agricultural Graduates	70-71
4362	राजस्थान के भरतपुर सब-डिवीजन की बयाना-आगरा टेलीफोन लाइन पर टेलीफोन तारों का काटा तथा चुराया जाना	Cutting and stealing of telephone wire on Bayana Agra telephone line of Bharatpur Sub Division (Rajasthan)	71
4363	इमारतें बनाने वाले अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी	Minimum wage for unskilled building Labour	71-72
4364	बेरावल और नवसारी उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Veraval and Navsari sub Post Offices	72
4365	मेहसाना मुख्य डाकघर का विभाजन	Bifurcation of Mehsana Head Post Office .	72-73
4366	रासायनिक उर्वरकों के विक्रय में कमी	Fall in sale of chemical fertilizers	73
4367	नयी किस्म के गेहूं तथा धान के बीजों की अनुपलब्धता	Non availability of seeds of New varities of wheat and paddy	73
4368	फल तथा सब्जी के उत्पाद-निर्माण करने के लिये लाइसेंस	Licences for manufacturing fruit and vegetable products	73-74
4369	कृषि योजनायें	Agricultural Schemes	74
4370	भूमि सुधारों की कार्यान्विति	Implementation of land reforms	74-75
4371	रोजगार कार्यालयों के द्वारा रोजगार	Employment through Employment Exchanges	76
4372	सूखे से प्रभावित राज्य	States affective by drought	76
4373	मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में भूमि पर जबरदस्ती कब्जा	Forcible occupanion of land in Nimar District (M.P.)	76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4374	मध्य प्रदेश के कृषि विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Agricultural Students of M.P.	77
4375	मध्य प्रदेश में अकाल पीड़ित लोगों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Famine affected Population in M.P.	77-78
4376	मध्य प्रदेश में पैकेज कार्यक्रम	Package Programme in M.P.	78-79
4377	बिहार में सोवियत फिल्म गाड़ी	Soviet Film Van in Bihar	79-80
4378	कुछ राज्यों में न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of Minimum wages in certain States	80-81
4379	सूरतगढ़ प्रक्षेत्र की फसलों को हानि	Damages to crops in Suratgarh Form	81
4380	बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियां	Multi-purpose Co-operative Socieies	81-82
4381	घेरावों की समस्या का अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल को भेजा गया केन्द्रीय अध्ययन दल	Central Study Team sent to West Bengal to study the problem of Gheraos	82
4382	श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या	Strength of staff in the Ministry of Labour and Rehabilitation	82
4383	सामुदायिक विकास तथा सहकार विभागों में अधिकारी और कर्मचारी	Officers and Employees in the Department of Community Development and Co-operation	83
4384	खाद्य तथा कृषि विभागों में अधिकारी और कर्मचारी	Officers and Employees in the Department of Food and Agriculture	83
4385	संचार विभाग में कर्मचारियों की संख्या	Number of employees in the Department of Communication	84
4386	आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्य में उपभोक्ता सहकारी समितियां	Consumer Co-operative Societies in Andhra Pradesh and Mysore States.	84

अता० प्र० संख्या U. S, Q, Nos,	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4387	राज्य सरकारों द्वारा समाचार भारती के अंशों का क्रय	Purchase of shares of Samachar Bharati by State Governments	84-85
4388	समाचार भारती, समाचार अभिकरण के कर्मचारियों को मजूरी का भुगतान	Payment of wages to workers of Samachar Bharati News Agency .	85
4389	केरल में काली मिर्च के लिए पैकेज कार्यक्रम	Package Programme for pepper gardens in Kerala	85-86
4390	पंम्पिग सैटों के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण	Central Loans to States for pumping sets	86
4391	जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन	International Labour Organisation Conference at Geneva	86-87
4392	समाचार भारती	Samachar Bharati .	82-88
4393	श्रमिकों की शिक्षा संबंधी केन्द्रीय बोर्ड	Central Board for Workers' Education	88
4394	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में उपभोक्ता सेवाओं के लिए योजनायें	Schemes for Consumer services in U.P., M.P. and Mysore	88-89
4395	डाक तथा तार घरों का खोला जाना	Opening of P & T Offices	89
4396	अनाज का स्टाक	Stock of Foodgrains	89-90
4397	विट्ठलभाई जावेरी द्वारा निर्मित महात्मा गांधी पर चलचित्र	Film on Mahatma Gandhi produced by Vithalbhai Zhaveri	90-91
4398	भूमिहीन किसानों की सहकारी समितियां	Co-operatives of landless peasants	91
4399	अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ से ज्ञापन	Memorandum from All India Employees' Provident Fund Staff Federation	91-92
4400	आम की काश्त पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी	World symposium on Mango Cultivation .	92

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4401	उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in Orissa	92-93
4402	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों की स्थापना	Setting up of Rice Mills by F.C.I.	93
4403	कपास की खेती के लिए वैज्ञानिक तरीके	Scientific methods in cotton cultivation .	93
4404	उड़ीसा के कुलाबरूद मधु-सूदन दास की स्मृति में डाक टिकट	Commemorative stamp on Kulabrudha Madhusudan Das of Orissa .	94
4405	दूसरे सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वयन	Implementation of the Second Cotton Textile wage Board Award	94
4406	रूस के सहयोग से बाल फिल्मों का निर्माण	Production of Children's Films with the Cooperation of U.S.S.R.	94-95
4407	बिहार में डाकघरों की संख्या	Number of Post Offices in Bihar	95
4408	पाकिस्तानी फिल्मों का भारत में प्रदर्शन और भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान में प्रदर्शन	Exhibition of Pakistani Films in India and vice versa	95
4409	डाक व तार विभाग आगरा के औषधालय में अग्निकांड	Fire in the dispensary of P & T Department Agra	95-96
4410	सेंट्रल ट्रैक्टर आरगेनाइजेशन द्वारा उबड़ खाबड़ भूमि का समतल किया जाना	Levelling of uneven land by C.T.O.	96
4411	सेन्ट्रल ट्रैक्टर आरगेनाइजेशन द्वारा भूमि को खेती योग्य बनाना	Reclamation of land by C.T.O.	96
4412	विदेशों से प्रत्यर्पण करने वाले भारतीय नागरिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indian Repatriates from foreign countries	96-97

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
4413	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति को आरक्षित किये जाने के बारे में गृह कार्य मंत्रालय के अनुदेश की क्रियान्विति	Implementation of the instruction of the Ministry of Home Affairs re. Reservation in promotion of S.C. employees	97-98
4414	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों का आरक्षण	Reservation of posts for S.C. in Employees Provident fund Organisation and Employees State Insurance Corporation	98
4415	समाचार भारती न्यूज एजेन्सी का खर्च	Expenditure of Samachar Bharati News Agency	98-99
4416	बिहार सरकार द्वारा समाचार भारती न्यूज एजसी के शेयरों की खरीद	Pruchase of Shares of Samachar Bharati News Agency by Government of Bihar	99
4417	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय	Repatriates from Burma	99
4418	श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए कन्याकुमारी में रबड़ बागान संबंधी योजना	Rubber plantation scheme in Kanyakumari for repatriates from Ceylon	100
4419	आकाशवाणी के विविध भारती तथा प्रतिलेखन केन्द्रों में प्रतिलिपिकों तथा टाइपिस्टों के रिक्त पद	Vacant post of copyists and typists in Transcription and Vividh Bharati Centres of A.I.R.	100-01
4420	शान्ति के लिए खाद्यान्नों का भेजा जाना	'Food For Peace' shipments	101-02
4421	फफूंद रोग के कारण आमों के उत्पादन में कमी	Decrease in mango production due to Fungus	102
4422	समुद्रपार सेवाओं में समाचारों का विलम्ब से प्रसारण	Late broadcast of News in Overseas Services	102-03

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4423	देश में ड्रिलों की मांग	Requirement of rigs in the country.	103
4424	कार निकोबार द्वीप समूह के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन	Representation from the Union of the Employees of Public Works Department, Car Nicobar Islands	103
4425	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पादों के मूल्य	Prices of Food Products Manufactured by Public Sector Projects.	103-04
4426	चीनी के सहकारी मिलों द्वारा चीनी को अधिक मूल्य पर बेचा जाना	High prices in Co-operative Sugar Mills	104
4427	छोटी परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त धन	Inadequate Fund for minor Projects.	104-05
4428	भेड़ पालकों के संघों को सहायता	Assistance to Sheep Breeders Associations.	105
4429	पत्तन से रेल तक खाद्यान्नों का परिवहन	Transport of Foodgrains from Ports to Rail Head.	105-06
4430	ईसाई धर्मप्रचारकों के माध्यम से गेहूं का मुफ्त वितरण	Free wheat distribution through Christian Missionaries	106
4431	टेलीप्रिन्टरों का निर्यात	Export of Teleprinters	106-07
4432	कोटा जिले के रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against R.M.S. Employees of Kota District	107
4433	बिहार में पंम्पिग सेंटों का वितरण	Distribution of pumping sets in Bihar	107
4434	पालघाट जिले (केरल) के डाक तथा तार कर्मचारी	P & T Employees of Palghat District (Kerala)	107-08
4435	अरबी का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण	Arabic Broadcast by AIR	108-09
4436	श्रम प्रशासन व्यवस्था की स्थापना	Setting up of Labour Administrative Machinery	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4437	स्टाफ कलाकारों की भर्ती की प्रक्रिया — Procedure for Recruitment of Staff Artists	109-10
4438	संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों का क्लब — Employees Club of Song and Drama Division	110
4439	चलचित्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण — Nationalisation of Film Industry	110-11
4440	गुरू नानक के बारे में पुस्तक — Book on Guru Nanak	111
4441	सुन्दर नगर (टाटा नगर टेलीफोन एक्सचेंज का बन्द किया जाना — Closure of Sundernagar (Tatanagar) Telephone Exchange.	111
4442	श्री हुमायून कबिर द्वारा प्रस्तावित विधेयक के बारे में समाचार — News about Shri Humayun Kabir's Bill	112
4443	राज्यों को धान के आधुनिकतम किस्म के बीजों की सप्लाई — Supply of latest varieties of paddy seeds to States	112
4444	रेतीले क्षेत्रों में धान उगाना — Growing of paddy in sandy areas.	112-13
4445	वनस्पति घी को रंग देना — Colourisation of Vanaspati	113
4446	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हुए करार के अन्तर्गत कृषि तथा पशुधन का विकास — Development of Agriculture and Cattle Wealth under agreement with U.A.R.	113-14
4447	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए धन — Funds for Rehabilitation of East Pakistan Displaced Persons in Kalkaji Colony, New Delhi.	114
4448	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्यों संबंधी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन — Report of Review Committee on Rehabilitation works in West Bengal	115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4449	आकाशवाणी में सहायक संयोजकों की नियुक्ति	Recruitment of Production Assistants in A.I.R.	115-16
4450	त्रिपुरा के वनों में इमारती लकड़ी का पाया जाना	Timber availability in Tripura Forests	116
4451	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes in Employees Provident Fund Organisation .	117
4452	सरकारी उपक्रमों से कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियों की वसूली	Realisation of the dues of Employees Provident Fund from the Public Undertakings	117-18
4453	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इन्सपेक्टरों का वर्गीकरण	Classification of inspectors in the Employees Provident Fund Organisation . .	118
4454	आकाशवाणी से वार्ता देने के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति के व्यक्ति	Scheduled Caste persons invited for talks from All India Radio	118
4455	विविध भारती में कार्यक्रम में समाचार बुलेटिन	News Bulletins in Vividh Bharati	119
4456	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज प्लाटों का नियतन	Allocation of seeds plots by National Seeds Corporation	119-20
4457	पटना के बड़े डाकघर में गबन	Embezzlement in Patna General Post Office	120
4458	राजस्थान के किसानों को टेलीफोन देने की योजना	Scheme for providing telephones to farmers in Rajasthan	120-21
4459	नई ट्रंक टेलीफोन प्रणाली	New Trunk Telephone System .	121
4460	ईदगाह (दिल्ली) में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण कार्य	Work of Telephone Exchange Building at Idgah Delhi	121-22
4461	कुमाऊं क्षेत्र में भूमिहीन लोगों के पुनर्वास की योजना	Rehabilitation of Landless people in Kumaon region .	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4462	बिहार राज्य कृषि प्रधान उद्योग निगम	Bihar State Agro-Industries Corporation .	122-23
4463	संचार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	S.C./S.T Employees in Department of Communication	123
4464	कृषि क्षेत्र में क्रान्ति का बनों पर प्रभाव	Effect of Green Revolution on Forests	124
4465	गहरें समुद्र में मछली पकड़ने के लिए रूसी सहायता	Soviet Assistance for deep sea Fishing	124-25
4466	ट्रैक्टरों की कमी	Shortage of Tractors	125
4467	यन्त्रीकृत फार्मों को स्थापित करना	Setting up of Mechanised Farms .	125-26
4468	गुजरात में नदी उठाऊ सिंचाई योजना	River lift irrigation shcemes in Gujarat .	126
4469	पश्चिम जर्मनी के सहयोग से उर्वरक सप्लाई परियोजना	Fertilizers supply project with West Germany Collaboration	127
4470	हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए टैलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections to farmers in Himachal Pradesh	127
4471	आन्ध्र प्रदेश में शरणार्थियों को बसाना	Settlement of refugees in Andhra Pradesh .	127-28
4472	तमिलनाडु में डाक तथा तार घर	Posts and Telegraphs Offices in Tamilnadu	128
4473	टेलीफोन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक का ऋण	World Bank Loan for Modernising Telephone facilities	128-29
4474	बिहार के दरभंगा जिले में पखरौनी तथा शाहपुर के स्थान पर डाक घर	Post offices at Pokharauni and Shahpur in Darbhanga District, Bihar . . .	129
4475	प्रमुख समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of major newspapers .	129-30

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4476	मधुबनी सब-डिवीजन (बिहार) में छोटे सिंचाई कार्य	Minor irrigation in Madhubani Sub-Division, Bihar	130—31
4477	जिला दरभंगा, बिहार में टेलीफोन तथा तार व्यवस्था	Telephone and Telegraph Arrangements in Darbhanga District, Bihar	131
4478	भारतीय पशु पालन अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर में सलैक्शन ग्रेड के अनुसंधान सहायक	Selection Grade research Assistants in Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar	131
4479	भारत में समाचार पत्रों के स्वामित्व तथा उन पर नियंत्रण का ढांचा	Pattern of ownership of and Control over Newspapers in India	132
4480	केरल डाक तथा तार सर्किल में कर्मचारियों को तंग करना	Victimisation of employees in Kerala P&T Circle	132—33
4481	जयपुर केन्द्र से सिन्धी में आकाशवाणी कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of A.I.R. Programme in Sindhi from Jaipur	133
4482	नकली मनी आर्डर	Fake Money Orders	133—34
4483	केरल में मोपला खाड़ी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह पर घाट का निर्माण	Construction of Quay at Mopla Bay Fishing Harbour in Kerala	134
4484	कृषि स्नातक	Agricultural Graduates .	134—35
4485	उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्रीय निबटारा आयुक्त के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं तथा मुकदमे	Petitions and suits filed by the Employees Working under the Regional Settlement Commissioner of U.P. and Bihar	135
4486	औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act .	135

अता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4487	उड़ीसा में मछली उद्योग का विकास	Developing of Fishing Industry in Orissa	136
4488	संसद् सदस्यों के निवास पर टेलीफोन सेवा	Telephone Service at the Residence of M.Ps.	136
4489	भारतीय चलचित्रों में चुम्बन	Kissing in Indian Films .	136
4490	भूमि के नीचे बिछाए जाने वाले केबलों का आयात	Import of underground cables	137
4491	यूरोपीय आर्थिक समुदाय से गेहूं का उपहार	Gift of wheat from E.E.C.	137-38
4492	राजस्थान में दुर्भिक्ष की स्थिति	Famine situation in Rajasthan	138
4493	दिल्ली में सहकारी भवन निर्माण समितियां	Co-operative House Building Societies in Delhi .	139
4494	प्रियदर्शिनी टेलीफोन उपकरण के बारे में शिकायतें	Complaints against Priyadarshini Telephone Apparatus	139
4495	आकाशवाणी में अनाउंसरों की नियुक्ति	Appointment of Announcers in A.I.R. .	139-40
4496	बम्बई की गोदियों में आयातित खाद्यान्नों का सड़ना	Rotting of Imported Foodgrains in Bombay Docks	140-41
4497	गऊ रक्षा समिति का पदावधि बढ़ाना	Extension of term of Cow Protection Committee	141
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance**	141—49
	कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Directors of certain National Laboratories	141—49
	चैकोस्लावाकिया में गतिविधियों के बारे में	**Regarding Developments in Czechoslovakia.**	149-50
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	**Papers Laid on the Table**	150

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Constitution (Twenty-Third Amendment) Bill introduced	150-51
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1969–70	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1969-70	151—58
श्री लषन लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor . .	152
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master . .	152
श्री दत्तात्रेय कुण्टे	Shri Dattatraya Kunte . . .	152
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D.N. Tiwary . . .	153
श्री जि० मो० बिस्वास	Shri J.M. Biswas . .	153
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	154
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	155
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1967–68	Demands for Excess Grants (Railways), 1967-68	158—61
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam .	160
पृथक् तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव	Motion Regarding Agitation for Separate State of Telengana	161—68
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	161
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza . . .	162
श्री एम० नारायण रेड्डी	Shri M.N. Reddy. .	163
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya .	166
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthama .	167
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee .	169
उन्तालीसवां प्रतिवेदन	Thirty-ninth Report .	169

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 21 अगस्त, 1969 / 30 श्रावण, 1891 (शक)

Wednesday, August 21, 1969/Sravana 30, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न आरम्भ करेंगे । श्री प्रेमचन्द वर्मा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हम निधन सम्बन्धी उल्लेख करने से पहले प्रश्न काल आरम्भ कर रहे हैं । 'सिंडीकेट' मर चुका है ।

Shri Shiv Chandra Jha : Giri Zindabad.

Shri S. M. Banerjee : Syndicate Murdabad.

Mr. Speaker : Please raise these slogans outside the House.

श्री उमानाथ : अब मैं श्री डी० एन० पटोदिया की मांग को पुनरुज्जीवित करूंगा कि राष्ट्रपति को तुरन्त शासन संभाल लेना चाहिए । अब मेरे माननीय मित्र उसी मांग को दुहरा क्यों नहीं रहे हैं ? **(अंतर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय एक दूसरे को उत्तेजित न करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : 'सिंडीकेट' के रिंग मास्टर श्री एस० के० पाटिल कहां हैं ? केवल बैंड मास्टर श्री शिवनारायण सिंह ही यहां पर हैं ।

श्री जि० मो० विस्वास : सिंडीकेट के रिंग लीडर को तुरन्त त्यागपत्र दे देना चाहिए । **(अंतर्बाधायें)**

श्री शिव नारायण : सदस्यों को संसद् में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए । श्रीमन्, आप कृपया सदस्यों पर नियन्त्रण करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पासा पलट गया है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : पासा पलट गया है ।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, what sort of language they are using.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अखबारी कागज के लिये आयात लाइसेंस

*661. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि आयात तथा निर्यात मुख्य नियन्त्रक द्वारा आयात लाइसेंस भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार, जिस समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अखबारी कागज तथा मशीनों की सिफारिश करने का अधिकार है, कि सिफारिश के अनुसार दिये जाते हैं;

(ख) क्या यह बात भी ध्यान में आई है कि वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय का यह विभाग आयात लाइसेंस जारी करने में बहुत विलम्ब करता है जिससे असुविधा तथा कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या काम को शीघ्र निपटाने के लिए भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक लाइसेंस अनुभाग खोला जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) (1) मुद्रण उपकरण के आयात के लिए लाइसेंस आयात व निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा लाइसेंस सम्बन्धी अन्तर्विभागीय समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किये जाते हैं। किसी समाचारपत्र संस्थान द्वारा अपेक्षित मुद्रण उपकरण की आवश्यकता की जांच भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा उसको उपलब्ध की गई जानकारी के आधार पर की जाती है ।

(2) अखबारी कागज के आयात के लिए लाइसेंस आयात व निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा प्रवृत्त अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्रों के आधार पर की जाती है ड ।

(ख) अखबारी कागज के लिए आयात लाइसेंस आयात व निर्यात के मुख्य नियन्त्रक द्वारा भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार की सिफारिश प्राप्त होने की तारीख से आमतौर पर दो सप्ताह के अन्दर जारी किए जाते हैं। तथापि, मुद्रण यंत्र के लिए समाचार संस्थापनों से आवेदनपत्र कुछ अधिक समय लेते हैं क्योंकि इस प्रकार के लाइसेंस जारी करना देश में उपलब्ध न होने और विदेशी मुद्रा नियन्त्रण पर निर्भर करता है। आवेदनपत्रों पर एक अन्त-

विभागीय समिति द्वारा विचार किया जाता है जो गैर समाचारपत्र संस्थानों से मुद्रण यंत्र के लिये आवेदनपत्रों पर भी विचार करती है।

(ग) और (घ). भाग (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति के कारण वर्तमान लाइसेंस पद्धति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Prem Chand Verma : The Minister has not included one important point in the reply given by him. The most important point is that in case of small newspapers recommendation is made by the Registrar of Newspapers for India. It has been stated that licences are issued within two weeks from the date of receipt of the recommendation. But there are hundreds of complaints that licences are not issued for two-three months after the receipt of recommendation from the Registrar of Newspapers. Small newspapers are able to get licences for import of newsprint of the value of Rs. 3000 after making many attempts for three months or so. What difficulty has been experienced by Government in the old system of issuing licences under which the licences were issued by a Section Officer of the Ministry of Information and Broadcasting on the basis of the said recommendation? In case no difficulty was being experienced, in what manner the small newspapers would be benefited by this change?

श्री इ० कु० गुजराल : लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का ब्यौरा मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त हुईं कि यह पद्धति ठीक कार्य कर रही है तो मैं उनकी जांच करूंगा।

Shri Prem Chand Verma : Whether it is a fact that during 1967-68 licences for 1,17,972 metric tones were issued out of which licences for 92,099 metric tones of newsprint worth ten crores of rupees were issued to 10 newspapers only being while publised in the country and whether it is not a fact that licence for 20;573 metric tones of newsprint was given to one newspaper only? The policy of Goverrment, as stated by them, is that they would give facility of supply of machinery and newsprint to the small newspapers. What difficultes are beirg faced by the Government on account of which they are not able to implement their aforcsaid policy fully. is It seen that the quota which is allotted to one newspaper, the quota equal to that is not allotted to one thousand newspapers even. What is the policy of Government in this regard.

श्री इ० कु० गुजराल : अखबारी कागज़ के वितरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति समान वितरण की नहीं है बल्कि निष्पक्ष वितरण की है। यदि किसी बड़े समाचारपत्र की खपत अधिक है तो स्वाभाविक ही हमें उसे अधिक कागज़ देना पड़ता है। परन्तु यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के अधिक पक्ष में है और हम उन्हें पनपने देने के लिए अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अनन्तराव पाटिल : जहां तक मध्यम और छोटे समाचारपत्रों का सम्बन्ध है, अखबारी कागज़ का प्रश्न बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। हमें विभिन्न मंत्रालयों से निपटना पड़ता है। लाइसेंस की सिफारिश रजिस्ट्रार आफ न्यूज़पेपर्स द्वारा की जाती है और लाइसेंस आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिये जाते हैं। मैं एक उदाहरण अपने ही मामले का देता हूं। आयात नीति की घोषणा अप्रैल-मई में की गयी थी और विभिन्न समाचारपत्रों के लिए रजिस्ट्रार आफ न्यूज़पेपर्स की सिफारिश मई या जून में की गई थी। फिर भी हमें अपने आयात लाइसेंस नहीं मिले हैं। इसको देखते हुए समाचारपत्र निकालने का कार्य बहुत कठिन हो रहा है, खासतौर से छोटे समाचारपत्रों के मामलों में जो कि मुफस्सिल क्षेत्रों से निकलते हैं।

जहां तक छपाई की मशीनों का सम्बन्ध है हमें वित मंत्रालय से वाणिज्य मंत्रालय जाना पड़ता है और वहां से सूचना और प्रसारण मंत्रालय। पिछले छः महीनों से मेरा प्रार्थनापत्र एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय जाता रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसी कोई व्यवस्था रजिस्ट्रार आफ न्यूज़पेपर्स के साथ करने को तैयार हैं जिससे कि छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को होने वाली ये कठिनाइयां दूर हो सकें ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे मित्र ने जो कुछ कहा है उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। यदि उनके समाचारपत्र को कोई कठिनाई हो रही है तो मैं उसकी जाच करूंगा। जैसाकि मैं उत्तर में बता चुका हूं, मुद्रण मशीनों के प्रार्थनापत्र सी० सी० जी० एण्ड ई० के पास जाते हैं तो उन पर रजिस्ट्रार आफ न्यूज़पेपर्स का मत जानकर उन्हें अन्तर्विभागीय समिति के समक्ष रखा जाता है जोकि लाइसेंस देने की बात पर अन्तिम निर्णय लेती है। इस सम्बन्ध में हमें अन्तिम अधिकार हो ऐसा होना कठिन है क्योंकि आयामे का अधिकार विदेश व्यापार मंत्रालय के पास रहता है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन दिलाता हूं कि यदि समाचपत्रों के मार्ग में कोई कठिनाई है तो

श्री रंगा : उन्होंने एक आम प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री अनन्तराव पाटिल : मेरी शिकायत रजिस्ट्रार आफ न्यूज़पेपर्स के खिलाफ़ नहीं है.....

श्री रंगा : प्रश्न प्रक्रिया तो सरल बनाने के बारे में है जिससे कि विलम्ब कम से कम हो।

श्री इ० कु० गुजराल : जहां तक मैंने प्रक्रिया की जांच की है मैं समझता हूं कि वह बहुत सरल है। परन्तु अब जब यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है तो मैं निश्चित ही इसकी जांच करूंगा।

श्री उमा नाथ : सरकार आयात पर निर्भर रहने की नीति कब तक अपनाती रहेगी जबकि हमारे देश में ऐसी प्रक्रियाएं खोज ली गई हैं जिनसे कि अखबारी कागज गन्ने की खोई से बनाया जा सकता है जोकि हमारे देश में बहुत मात्रा में उपलब्ध है और उसमें से आज बहुत सी बर्बाद जा रही है ? अखबारी कागज बनानेपकी मशीनें एच०ई०सी०, रांची में भी बनायी जा सकती हैं जहां की इस समय बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी है। क्या इन दोनों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है ?

श्री इ० कु० गुजराल : सरकार यह बहुत चाहती है कि स्वदेशी निर्माण में वृद्धि हो। सौभाग्यवश, नेपा ने अपनी क्षमता बहुत बढ़ा ली है और हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष के दौरान उत्पादन में लगभग 70,000 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ जायेगा। इस समय के लगभग 45,000 मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहे हैं और उनका लक्ष्य अगले वर्ष तक 79,000 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ाने का है। कुछ नये संयंत्रों पर भी विचार किया जा रहा है जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरा केरल में स्थापित होना है। कुछ अन्य परियोजनाओं की भी बात की जा रही है। हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि हम यथासम्भवशीघ्र अखबारी कागज के मामले में आत्म-निर्भर हो जायें।

Shri Madhu Limaye : Whether it is a fact that Government have taken a decision yesterday that, keeping in view the help done by Times of India in the internal conflict in Congress, Times of India should be given back to Shri Shanti Prasad Jain and news licences should also be given to him for import of newsprint ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narain Sinha) What the hon. Member is thinking? Where the decision was taken yesterday and by whom ?

Shri Madhu Limaye : The decision was taken by your Government and it is not known where such decisions are taken. It is not known to me as to whether it was taken at Jantar Mantar Road or at the resident of Shri Nijalingappa or at Safdarjang Road. I am saying about the decision taken by Government.

Mr. Speaker : In appears that the hon. Member is not in the habit of putting direct questions, without any comments.

An Hon. Member : Say the truth, the name of the Minister is Shri Satya Narain Sinha.

Shri Satya Narain Sinha : I never tell lies in politics.

Shri Madhu Limaye : Are Government not giving Times of India back to Shri Shanti Prasad Jain ?

Shri Satya Narain Sinha : This report is not true .

Shri Rabi Ray : Is it proposed to give it to him in future ?

Shri Satya Narain Sinha : I cannot say what would happen in future.

Shri Onkar Lal Bohra : It is correct that for some time past the Ministry has been adopting a liberal policy in regard to newsprint. But I want to know whether Government propose to make some arrangements or introduce a system under which the medium and small newspapers of Indian languages, whose financial condition is not so good that they could obtain minimum quantity of newsprint through licence, would be able to get minimum quota easily and without any difficulty.

Shri I. K. Gujral : Two steps have been taken in this regard. Firstly, the small newspapers need not be issued any licences and if they want they could obtain required quantity of newsprint through State Trading Corporation. We are considering some measures by which S. T. C. would be able to keep stocks in big cities like Calcutta, Bombay etc. so that the newspapers being published from those cities could obtain their quota of newsprint there itself and will not have to come to Delhi for getting supply of their quotas of newsprint. Such system is being evolved under which a newspaper would be able to get its quota within its area.

Shri Hukam Chand Kachwai : The big newspapers sell a large quantity of newsprint out of their quota to small newspapers in the black market and such a situation has been created in which it has become impossible for small newspapers to run without purchasing the newsprint in black market. Has the attention of Government been drawn to it or do Government propose to look into it? My other question is—whether it is a fact that many newspapers of Communist ideology, like Blitz, Patriot etc., are being published in the country which get their quota of newsprint and in addition declare the communist literature printed in USSR etc. and obtained in India as printed in this country and thereby get additional quota against it and than sell a part of their quota and the quota in the black market ?

Shri I. K. Gujral : Whenever it is brought to our notice that any newspaper is indulging in this practice, we take action against it. In addition to it we have set up a Wing in our Ministry, they go to newspapers' offices for checking and they see whether the quota of newsprint given to them has been utilised by them or not and in case it has been utilised to what extent it has been utilised. Whenever it comes to our notice that any newspaper has obtained quota from us against false statistics of its circulation, a cut is effected in the quota and if considered necessary the case is handed over to the Police.

Shri Hukam Chand Kachwai : Reply to my second question has not been given.

Mr. Speaker : You are seen dissatisfied even after the reply is given. Next question.

अय्यर पंचाट की अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में दिल्ली स्टेट बैंक कर्मचारी संघ की मांग

*662. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टेट बैंक कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमण्डल अय्यर पंचाट को एक वर्ष के लिए और लागू करने के बारे में उनसे मिला था; और

(ख) उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों से क्या बातचीत की तथा उन्हें क्या आश्वासन दिये ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जो शिष्टमण्डल श्रम और पुनर्वास मंत्री को 4 अप्रैल, 1969 को मिला वह अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी संघ का शिष्टमण्डल था ।

(ख) उन्हें ऐसे विशेष विषयों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिनके बारे में हल निकालने की आवश्यकता है । उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ज्ञापन पर विचार किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या ज्ञापन पेश करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की गयी थी ?

श्री भागवत झा आजाद : नहीं, यह इस ज्ञापन के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करने का प्रश्न नहीं है । उन्होंने एक ज्ञापन दिया था जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्न उठाये थे । क्योंकि यह रिज़र्व बैंक और उसके कर्मचारियों के बीच मध्यस्थ के पंचाट के सम्बन्ध में था अतः, हमने इसे वित्त मंत्रालय को भेज दिया था जिसने रिजर्व बैंक को उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए लिख दिया ।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : बैंक कर्मचारियों के सामने एक समस्या यह है कि तीन या चार वर्ष तक अस्थायी रूप में कार्य करने के बाद भी उन्हें स्थायी घोषित नहीं किया जाता । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे कि अस्थायी कर्मचारी बहुत लम्बे अरसे तक अस्थायी ही न बने रहें ।

श्री भागवत झा आजाद : यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने वाली समिति

*663. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा रोजगार के अवसर बढाने के लिए मार्गोपाय बताने हेतु योजना आयोग द्वारा बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

Shri Bhogendra Jha : The report of the Planning Commission has not been given due consideration. Government has been claiming for the last one year to end unemployment. Then they said that they would reduce unemployment and there after they said that they would not let it increase. But now they say that they would continue to increase unemployment. therefore, I would like to know as to what schemes Government propose to evolve to arrest the increasing unemployment and to reduce it during the Fourth Plan period.

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : The Hon'ble Member had asked whether the Committee appointed to assess the opportunities of employment has submitted its report and I have told him that the report has not so far been received. Therefore, I cannot say what the Committee propose to do in this regard.

Shri Bhogendra Jha : My main question was about the report of the Committee. My question has been amended.

Mr. Speaker : The Hon'ble Minister has replied to the question that has been printed in the question list in the name of the Hon'ble Member.

Shri Bhogendra Jha : But my question has been slightly amended. The draft of the Fourth Plan has been prepared. I would like to know whether any mention has been made in the Draft Plan about ending or redusing the unemployment.

अध्यक्ष महोदय : बड़ी साफ बात है । आपने पूछा है कि क्या सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं या नहीं । इसके उत्तर मे मंत्री महोदय ने कहा है "नहीं" । अत: मैं इसके बारे में और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता ।

Shri Bhogendra Jha : I would like to know as to why the Committee has not so far submitted its report and by when it is likely to submit the same and whether delay in this regard is being caused intentionally.

Shri Bhagwat Jha Azad : The Committee has held five meetings so far and it proposes to submit its report by the end of this year.

Shri Kanwar Lal Gupta : The unemployment in the country has been increasing progressively. Previously there were 50 lac unemployed persons in the country and now their number has risen to 1,50,00,000. I would like to know whether Government propose to conduct any survey to find out the number of unemployment and under employed people in our villages.

Shri Bhagwat Jha Azad : The task before the Committee is not to find out the present number of unemployed people in the country, But the Committee has to evolve methods to ascertain the number of unemployed people in the country because the work done by the Committee duing the Third Five Year Plan period in this connection aroused doubt in our mind with regard to the figures collected by the Committee. The Committee would also define unemployed and under-employed people.

श्री स० कुण्डू : यदि मंत्री महोदय यह कह देते कि वह "इस प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता नहीं रखते" तो यह उनके लिये अधिक उचित होता। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता

हूं। इस मंत्रालय को देश में रोजगार की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया है किन्तु यह केवल रोजगार कार्यालयों की ही देख-रेख करता है । हमने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें एक मांग यह थी कि सभी रोजगार विभागों की व्यवस्था एक मंत्रालय के अधीन होनी चाहिये। दानवाला समिति उस समय तक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसके सामने देश की बेरोजगारी की पूरी स्थिति नहीं रखी जाती और यह उसी समय सम्भव होगा जब सारे रोजगार कार्यालय एक मंत्रालय के अन्तर्गत आ जायेंगे। इस मंत्रालय का सम्बन्ध रोजगार कार्यालयों से है, गृह मंत्रालय का सम्बन्ध मानव-शक्ति संसाधनों से और योजना आयोग का सम्बन्ध नीति सम्बन्धी मामलों से है। अतः सब विभिन्न विभागों को एक मंत्रालय के अन्तर्गत लाना होगा । इस दिशा में सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध उस समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में है जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस बात का प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, आपने ठीक कहा, यह एक नीति सम्बन्धी मामला है और इस बात का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह ठीक है कि हमारा सम्बन्ध रोजगार-कार्यालयों से है लेकिन देश में रोजगार के प्रश्न का किसी एक मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है और यह देश की सामान्य अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने का प्रश्न है। फिर मैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं ?

Mr Speaker : It is a very simple question as to whether the report of the Committee has been received or not. So much time has been taken on questions which do not arise out of this. Next question, Shri Bharati.

श्री स० कुन्दू : इसलिये इन प्रश्नों का उत्तर गृह-मंत्रालय अथवा योजना आयोग को देना चाहिये। फिर इस मंत्रालय के मंत्री उत्तर देने के लिये क्यों खड़े हो जाते हैं ?

Shri Yashpal Singh : I would like to know whether the Committee have considered the fact that almost cent per cent third-divisions are not getting any employment in the country. Government invariably recognises the authority of the majority. I would like to know whether Government have drawn up any scheme for the third-divisions who are in majority.

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमन्, आपको हमारी कठिनाई भी महसूस करनी चाहिये। इस प्रश्न का सम्बन्ध देश की बेरोजगारी से है । फिर यदि यह प्रश्न उत्तर के लिये श्रम मंत्रालय के पास भेजा जाता है जिनका इस समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें उत्तर नहीं मिलता तो आपको हमारी सहायता करनी चाहिये । जब एक प्रश्न पूछा जाता है और वह उस मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है जिसका उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है तो हम उसका किस प्रकार उत्तर प्राप्त करे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री स० कुण्डू : अतः आप इस प्रश्न को सम्बद्ध मंत्रालय के पास उत्तर के लिये भेज देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर विचार करने की कोशिश करूंगा परन्तु जहां तक उत्तर का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन मौजूद नहीं है और यदि यह प्रश्न किसी अन्य मंत्रालय के पास भेजा गया होता तो उस मंत्रालय से भी यही उत्तर प्राप्त होता ।

SELF-SUFFICIENCY IN LONG FIBRECOTTON

*664 **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Food & Agriculture be pleased to state the time by which India would become self-Sufficient in the production of long fibre cotton and the reasons for not becoming self-sufficient in this respect so far ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे): आवश्यक जानकारी विवरण में दी गई है, जो कि सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

देश कपास के सामान्य मौसम में अब $1\frac{1}{16}$ इंच तक के रेशों वाली कपास के सम्बन्ध में प्राय: आत्म निर्भर है । ऐसे लम्बे रेशे वाली कपास की उपयुक्त किस्मों के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ा कर $1\frac{1}{16}$ इंच से $1\frac{3}{16}$ इंच तक की अधिक लम्बाई वाली रेशे की कपास के आयात को 1973–74 तक घटा कर 1.5 लाख गांठों के स्तर तक लाने की आशा है । फिर भी $1\frac{3}{16}$ इंच तक और उससे अधिक लम्बे रेशे वाली कपास की लगभग 3 लाख गांठों का आयात करना आवश्यक है, चूंकि आगामी 3 अथवा 4 वर्षों तक देश में समान स्तर और उच्च कोटि की बुनाई की जाने वाली कपास की किसी किस्म का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किये जाने की आशा नहीं है। यद्यपि कपास का उत्पादन प्राय: दुगुना कर दिया गया है, क्योंकि 1967–68 में कपास का उत्पादन 55.62 लाख गांठों तक बढ़ गया जो कि 1950–51 में 63.74 लाख गांठ था । किन्तु इस सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यत: मांग में वृद्धि के फलस्वरूप, कपास की खपत की दर कपास के उत्पादन वृद्धि की दर से कहीं अधिक है ।

शोध वैज्ञानिक उन किस्मों को विकसित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें अभी आयात किया जा रहा है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : In view of the fact that we would have to import $1\frac{1}{2}$ lac bales of long fibre cotton in 1973-74 and that Government is exporting short staple cotton on a very large scale even now-a-days and also because the consumption of long fibre cotton is gradually increasing as it is used for manufacturing fine cloth and therefore, it is fetching higher profit for the Government, I would like to know the measures proposed to be adopted by Government to boost the consumption of the short staple cotton and to ensure that we may not have to import long fibre cotton ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे: कपड़ा उद्योग बड़ा पुराना उद्योग है और इसमें कपड़ा बनाने के लिये विभिन्न प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के कपास की भी जरूरत होती है । मेरे विचार में उन्हें छोटे रेशे वाले कपास के निर्यात के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । किन्तु वर्तमान उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लम्बे रेशे वाली कपास भी जरूरी है और मेरे विचार में इसकी मांग को कम करना सम्भव नहीं होगा ।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon'ble Minister has told that the demand for fine cloth cannot be reduced and it is increasing. It is well-known that the long staple cotton can be grown on that land where it does not rain and where irrigation facilities are available. Keeping it in view, Rajasthan and Gujarat are most suitable for growing long staple cotton.

Therefore I would like to know whether Government propose to launch a big programme to make cotton available to this devoloping industry ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है । किन्तु गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु में चतुर्थ योजना के दौरान 3.35 लाख गांठों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यक्रम पहले ही जारी है ।

श्री एस० आर० दामानी : सरकार ने हाल ही में बहुत से अधिक उपज देने वाले बीज उगाये हैं । उन बीजों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि लम्बे रेशे वाली कपास के मामले में देश आत्मनिर्भर हो सके ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : जिन राज्यों का अभी मैंने नाम लिया उनमें हमने लम्बे रेशे वाले कपास का उत्पादन 3.35 लाख गांठों तक करने की योजना बनाई है । भारत की परिस्थितियों में केवल यही कठिनाई है कि यहां कपास के लिये सिंचाई बहुत कम होती है और यदि इसमें वृद्धि हो जाये तो लम्बे रेशे वाले कपास हमारे देश में ही पैदा किया जा सकता है ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : हमारे देश में जो कपास उगाई जाती है उसकी वजह से हमारा खाद्य उत्पादन कम हो जाता है जिसकी हमारे देश में पहले ही कमी है । इस दृष्टि से क्या माननीय मंत्री देश में हस्त-निर्मित धागे के उद्योग को प्रोत्साहित करने के बारे में विचार करेंगे ? हस्त-निर्मित धागे का उद्योग सारे विश्व में उन्नति कर रहा है । सभी तरह के कपास का स्थान चाहे वह लम्बे रेशे वाला हो या छोटे रेशे वाला, हस्त-निर्मित धागा ले सकता है । हस्त-निर्मित उद्योग में सभी तरह के धागे का उत्पादन हो सकता है ।

मैं सरकार से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं । वे उस भूमि का व्यर्थ में प्रयोग क्यों कर रहे हैं जिस पर हम अन्न उगा सकते हैं ? हम हस्त-निर्मित उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं देते ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम कपास उगाने के लिये व्यर्थ में भूमि का प्रयोग कर रहे हैं । मेरे विचार में भारतीय परिस्थितियों में यह आवश्यक है ।

Shri Om Parakash Tyagi : I wish to know whether the cotton production in the coudtry is increasing in the same proportion in which the number of spiddles is increasing.

Is it a fact that the per acre production of cotton in India is much lower then in other countries due to which Textile Mills are incurring huge losses ? I would like to know what steps are being taken by Government to increase this proportion and to bring the cotton production in the country at per with other countries ?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । यह एक अलग बात है कि यह उतनी दर में नहीं बढ़ रहा है जितनी हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है । उदाहरण के रूप में 1950–51 में रुई का उत्पादन 287.4 लाख गांठें थीं जब कि 1967–68 में हमारे पास 556.2 लाख गांठों का उत्पादन हुआ । उत्पादन अवश्य ही बढ़ रहा है । परन्तु यह सच है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । भारत में प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम होती है । हाल ही में मुझे कुछ अन्य देशों में रुई को देखने का अवसर मिला है जिसमें प्रति एकड़ पैदावार बहुत अधिक होती है । मैंने देखा है कि उन देशों में, जहां पैदावार बहुत अधिक होती है, रुई के पैदावार के क्षेत्रों की 80 या 90 और यहां तक कि सौ प्रतिशत सिंचाई होती

है जब कि हमारे देश में केवल 15 प्रतिशत की सिंचाई होती है और 85 प्रतिशत की सिंचाई नहीं होती है ।

Shri Om Prakash Tyagi : My question was whether the production of cotton is increasing in proportion to the increase in the number of spindles. It has not been answered.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav : In the country, the farmer is prepared to grow long fibre cotton and he is as much prepared to grow this as for sugarcane. I want to know the programme of the Government by which the maximum quantity of long fibre cotton could be grown in India so that its import could be availed.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मेरे विचार में यह सम्भव नहीं होगा कि आयात को पूरी तरह से रोका जा सके, परन्तु आयात को कम करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं । फिलहाल यह 7 से 8 लाख तक की गांठों तक है और चौथी योजना के अन्त तक आयात आवश्यकता 4 से 5 लाख गांठों तक हो सकती है ।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, I want to raise a question, how can Babu Jagjiwan Ram and Babu Anna Sahib both can continue in the Government ? There should be some justification in it. His candidate has been defected, How can he continue ?

Shri Randhir Singh : There is a dispute between you & Shri Joshi. How both of you can continue. One should be there.

अध्यक्ष : सदन से बाहर जो घटना हुई है, उसे यहां नहीं लाना चाहिये । मुझे बड़ा दुःख है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : They can quarrel outside. Here they are one.

Mr. Speaker : Whatever they do outside, but they should not creatic headache for me here.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उत्पादन

*665. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उत्पादन के लिये कोई नई क्षमता मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में राज्यवार, कितनी-कितनी क्षमता मंजूर की गई है ; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में चीनी का कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) (क) जी हां ।

(ख) 8.36 लाख मीटरी टन की वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता ।

(ग) 6.30 लाख मीटरी टन सहकारी क्षेत्र में तथा 2.06 लाख मीटरी टन ज्वाइंट स्टाक क्षेत्र में राज्यवार अलग अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	सहकारी क्षेत्र	ज्वाइंट स्टाक क्षेत्र	जोड़
महाराष्ट्र	3.59	—	3.59
गुजरात	1.14	—	1.14
मैसूर	0.52	1.12	1.64
तमिल नाडु	0.44	0.33	0.77
आन्ध्र प्रदेश	0.19	0.32	0.51
उत्तर प्रदेश	0.42	0.12	0.54
बिहार	—	0.13	0.13
पंजाब	—	0.04	0.04
जोड़	6.30	2.06	8.36

(घ) यदि चीनी कारखानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध किया जाता है तब आगामी 5 वर्षों में चीनी का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार हो सकता है :—

1969–70	39 लाख मीटरी टन
1970–71	41 लाख मीटरी टन
1971–72	43 लाख मीटरी टन
1972–73	45 लाख मीटरी टन
1973–74	47 लाख मीटरी टन

Shri Madhu Limaye : Whether it is not a fact that the price of Sugarcane is not being paid to the farmers at the rate promised by you. If so, whether the production of sugarcane will not decline because of this and your targets will not be achieved.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे विचार में उत्पादन कम नहीं होने वाला है क्योंकि पिछले वर्ष उत्पादन 22 लाख टन से 30–35 लाख टन तक बढ़ा है।

Shri Madhu Limaye : I am asking about the production of sugar-cane.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक कि गन्ने के उत्पादन का सम्बन्ध है हमारी अस्थायी रिपोर्टों से संकेत मिला है कि सभी महत्वपूर्ण गन्ना-उत्पादक राज्यों में क्षेत्रफल बढ़ रहा है।

Shri Madhu Limaye : You have not understood my question. On paying lower rate to the farmers it is possible that the production of sugar may not be affected this year but it will be affected in the next two years. Is it correct ? It is possible that the production of sugar-cane may not come down but it can decline next year due to the lower rates, because the farmers have not been paid reasonable prices. I have asked this for the next five years. So I am asking whether or not there is some apprehension of fall in the production of sugarcane during the ensuing years and if so, what steps are being taken in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इस विषय पर विशेष रूप से कहूंगा कि गन्ने के उत्पादन के कम होने का कोई खतरा नहीं है। वास्तव में, मैंने वक्तव्य में पहले ही अगले चार या पांच वर्षों में उत्पादन के बारे में बता दिया है। हमें आशा है कि अगले वर्ष उत्पादन 39 लाख टन तक हो जायेगा और चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन 47 लाख टन तक पहुंच जायेगा।

Shri Madhu Limaye : Will the Minister be pleased to state the prices of sugarcane in the coming years or at least in the next year and what price has been paid to the farmers this time?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक न्यूनतम दाम का सम्बन्ध है उन की पहले ही घोषणा और अधिसूचना की गई है और माननीय सदस्य इसे अवश्य ही जानते होंगे।

Shri Madhu Limaye : But it is not being paid accordingly.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक पिछले वर्ष के उत्पादन का सम्बन्ध है सदन और माननीय सदस्य इस स्थिति से भलीभांति परिचित होंगे और उस के अतिरिक्त कोई और जानकारी देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

Shri D. N. Tiwary : Mill machinery plays a major role in the production of sugar. There are so many factories in the country, of which machinery has become obsolete. That is why, the production of sugar is reduced and sucrose content is less. What steps are being taken by the Government to modernize the factories, whose machinery has become obsolete and the production has gone down. I would like to know the names of the factories which will be helped by the Government and the extent to which they will be helped.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे: जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, दो कारणों से वसूली कम हो सकती है। यदि गन्ने में चीनी की मात्रा कम होगी तो वसूली भी कम होगी। इसलिए गन्ने की किस्म भी एक महत्वपूर्ण तत्व है।

दूसरा, मैं माननीय सदस्य की बात को भी स्वीकार करता हूं। यदि मशीनरी अप्रचलित और पुरानी होती है तब गन्ने से चीनी की वसूली में कुछ प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से चीनी उद्योग की समस्या महत्वपूर्ण है। सरकार चीनी उद्योग, विशेषकर उत्तरी राज्यों में, की समस्याओं को भलीभांति जानती है और एक समिति भी बनाई थी जिस में चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण की समस्या पर विचार किया गया। मेरे विचार में चीनी उद्योग को उन संस्थाओं द्वारा उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये संसाधन जुटाये जाने चाहियें जो काफी अरसे तक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और सरकार श्रेष्ठता के अनुसार ऐसे मामलों की सिफारिश करने के लिए तैयार है जो लम्बे अरसे की वित्तीय सहायता देने के योग्य हैं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति: चालू वर्ष में इस देश में चीनी के अधिक उत्पादन के बावजूद भी सत्य यह है कि माननीय खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम ने इस सदन में वचन दिया था कि वह ध्यान रखेंगे कि इस देश में प्रत्येक गन्ना उत्पादक को प्रति टन गन्ने के लिए कम से कम सौ रुपये मिलें परन्तु केवल 73 रुपये प्रति टन दिया जाता है और अभी हाल में फैक्टरी के लिए 44 रुपये दिये गये हैं अर्थात् दो रुपये प्रति क्विंटल गन्ना। इस से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार देश के कुछ भागों में गन्ना उत्पादकों की सहायता नहीं कर रही है। तामिलनाडु में दो लाख टन से अधिक गन्ना नष्ट हो रहा है जिसे कोई मिल दो रुपये प्रति क्विंटल पर भी पेरने के लिए तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि इन्हों ने मिलों की क्षमता नहीं बढ़ाई है जो तामिलनाडु सरकार चाहती है। वे वास्तव में किसानों को पेर रहे हैं, न कि

गन्ने को। वे लोक सभा में वचन तो देते हैं परन्तु उन का पालन नहीं करते। मैं माननीय कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या तामिलनाडु सरकार ने 3.49 लाख टन की क्षमता वाली तीन सहकारी चीनी मिलों को लाइसेंस देने के लिए सरकार को कहा है। आप ने तामिलनाडु सरकार को कोई लाइसेंस क्यों नहीं दिया है जब कि वे गत दो वर्षों से मांग रहे हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम ने तामिलनाडु को भी लाइसेंस दिये हैं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : वे तीन नये लाइसेंस चाहते हैं जो अभी तक विचाराधीन हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : दो मामलों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। एक मामला सक्रिय रूप से भी विचाराधीन है। विस्तार के लिए पांच मामले पहले ही निपटाये जा चुके हैं।

श्री रंगा : इन्हों ने बड़ी गंभीर शिकायत की है। खाद्य मंत्री के आश्वासन के विपरीत 100 रुपये प्रति टन का आश्वासन देने पर भी 40 रुपये नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : 20 रुपये प्रति टन भी नहीं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैंने तो यह कहा था कि उन क्षेत्रों में जहां चीनी की फैक्टरियां लम्बे अरसे तक नहीं चली थीं और वह भी अधिकतर उत्तर भारत में जहां गन्ना उत्पादक वस्तुतः हड़ताल पर थे। मैं ने कहा था कि 10 रुपये दाम होना चाहिये और दस रुपये करने से यदि चीनी उद्योग को हानि होती है तो सरकार उस का मुआवजा देने का निश्चय करेगी। अधिकतर चीनी उद्योग ने 10 रुपये दिये हैं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मद्रास में उन्होंने नहीं किया है।

श्री जगजीवन राम : आप ने जो कुछ कहा है उस पर मैं ध्यान दूंगा। यह ऐसे हुआ कि इस वर्ष गुड़ की प्रतियोगिता इतनी अधिक नहीं थी जितनी पिछले वर्ष थी। जिसके परिणामस्वरूप सामान्यतः उन क्षेत्रों के गन्ने की जो कि चीनी फैक्टरियों में नहीं ले जाया गया था, पिराई के लिए अब चीनी फैक्टरियों की मांग की गई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन के बारे में श्री कृष्णामूर्ति ने उल्लेख किया है वहां पर चीनी फैक्टरियों में गन्ने की पिराई नहीं हो सकी है और कुछ घटनायें मेरे ध्यान में आई हैं जहां उन्होंने कम दाम के लिए कहा है क्योंकि इस में देरी हो चुकी थी और वसूली भी बहुत कम हुई थी। मैं कुछ मामलों के बारे में जानता हूं जहां वसूली 4 प्रतिशत है और फिर भी फैक्टरियों में इस की पिराई की गई है और मैं फैक्टरो को 10 रुपये देने के लिए नहीं कह सकता जब कि वसूली 4 प्रतिशत है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उन फैक्टरियों में, जहां मशीनें पुरानी पड़ गई, चीनी की वसूली अन्य फैक्टरियों से बहुत कम है। हम ने चुकन्दर की उपज करनी प्रारम्भ कर दी है और चुकंदर से चीनी की वसूली गन्ने से बहुत अधिक होती है। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या नई फैक्टरियों को मीठे चुकंदर और गन्ने की पेराई के प्रबन्ध के लिए कहा जायेगा ताकि गन्ने की वसूली अच्छी हो सके।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम ने पहले ही ऐसे कुछ प्रयोग किये हैं। मशीनों में अधिक अदल बदल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह काफी मात्रा में उपलब्ध होगा, तभी ऐसा करना सम्भव होगा।

श्री मु० कु० तापड़िया : श्री शिन्दे ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गत वर्ष में अधिक उत्पादन गन्ने के दाम पर, जो गिर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह गलती पर होंगे।

अधिक उत्पादन और बकाया स्टाक से गन्ने के दामों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि कितने एकड़ खेती होती है। चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि बकाया स्टाक अधिक न रहे, गन्ने के दामों में कमी न हो और काश्त अधीन क्षेत्र कम न हो।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक माननीय सदस्य की इस आशंका का सम्बन्ध है कि गन्ने के दाम इतने अधिक गिर जायेंगे, मेरे विचार में यह आशंका बिल्कुल निराधार है क्योंकि हम ने न्यूनतम दाम निश्चित कर रखे हैं और निर्धारित न्यूनतम दाम से कम देना दण्डनीय अपराध है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : लगभग अढ़ाई वर्ष के बाद मैं प्रश्न पूछने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिए कृपया मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : चीनी और गन्ने के दामों के बारे में प्रश्न कई बार उठा है और काफी सदस्य प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने के लिए बड़े इच्छुक हैं और आधे घंटे की चर्चाएं भी की जाती हैं। क्योंकि यह विषय काफी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे प्रश्न काल को पूरक प्रश्नों के द्वारा बिताने की बजाय माननीय मंत्री इस पर कुछ चर्चा करें।

श्री विश्वनाथ राय : मैं उस राज्य का हूं जिस में काफी संख्या में चीनी की फैक्टरियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य गन्ने के क्षेत्रों के हैं परन्तु हमारे पास समय बहुत कम है।

Shri Bishwanath Roy : We do not know whether you pay attention towards us or not. I represent the area where most of the Sugar Mills are located.

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की बजाय इस पर वाद-विवाद करना अधिक अच्छा होगा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे श्री सु० कु० तापड़िया के प्रश्न के उत्तर को पूरा कर लेने दीजिये। हमारा लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करना है। यह देखना है कि किसानों को अच्छी कीमत मिले। मोटे तौर पर यही स्थिति है।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है, माननीय सदस्य को अच्छी प्रकार मालूम है कि चीनी की कमी के कारण हमारी जनता पिछले दो या तीन वर्षों में किस प्रकार दुखित हुई है। अतः हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि निर्यात करने से पहले हमारे अपने लोगों को प्राथमिकता मिले।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ चीनी के कारखाने .....

Shri Randhir Singh : How is Mr. Banerjee concerned with Sugarcane ? He is a labour leader. How is he concerned with farmers ?

Shri S. M. Banerjee : This is the question of Sugarcane and not of a buffalo.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं उन्हें किसानों के विषय के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिये न कहूं ? क्या वे इस से सहमत हैं ? वे यह किस प्रकार की आपत्ति उठा रहे हैं।

Shri Randhir Singh : I stood many a time, but you did not call me.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में चीनी के कुछ कारखानों में अव्यवस्था है, और यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या क्या है, जिन्हें सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और जिन्हें सरकार अपने हाथ में ले रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि समस्तीपुर कारखाने जिसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और जिस की अवधि नवम्बर, 1969 को समाप्त होगी, की अवधि पांच वर्ष और बढ़ा दी जायेगी ताकि कर्मचारियों को हानि न हो ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे इस के लिये समय चाहिये ।

श्री रणधीर सिंह : खड़े हुए. . . .

श्री विश्वनाथ राय : मैं उस राज्य से आया हूं जिस में सब राज्यों से अधिक चीनी के कारखाने हैं ।

Shri Randhir Singh : I forego my claim for my hon. friend. You may call him.

अध्यक्ष महोदय : ऐसी प्रणाली नहीं है । अब श्री एम० वी० कृष्णप्पा ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय मंत्री, श्री अन्नासाहेब शिन्दे कह रहे थे कि इस वर्ष उत्पादन बढ़कर 34 अथवा 35 लाख मीटरिक टन हो गया है, और अगले वर्ष इसकी बढ़ कर 39 लाख मीटरिक टन होने की संभावना है और इस तरह इसकी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है। परन्तु, पिछले 15 वर्षों का हमारा यह अनुभव है कि योजना बनाने वाला द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते । यह देश में अनाज अथवा वैकल्पिक अनाज के मूल्य पर निर्भर करता है। यदि अनाज का भाव बढ़ जाता है तो गन्ने की पैदावार से अनाज की पैदावार अधिक होती है। जब चार वर्षों में एक बार भी अनाज की पैदावार गन्ने की पैदावार से थोड़ी सी अधिक होती है तो गन्ने की पदावार कम होनी शुरू हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं मंत्री रहे हैं। प्रश्न पूछने का यह ढंग नहीं है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्य तब तक पूरे नहीं किये जा सकते जब तक देश में अन्य अनाजों के मामला में एक स्थिर मूल्य नीति नहीं अपनायी जाती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की चीनी-उद्योग तथा गन्ने के भावों से संबंधित समस्याओं का अच्छी तरह ज्ञान है और सरकार इस पहलू को ध्यान में रखेगी ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए, ...

अध्यक्ष महोदय : लगभग 20 माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो रहें हैं, परन्तु मैं उन्हें एक ही समय बोलने के लिए नहीं कह सकता। सदस्यों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

Shri Shinkre : After Goa's independence, sugarcane production has much increased in Goa during the last seven and a half years and so far as my knowledge goes a Cooperative Society of Goa has made a request for the grant of a licence for. opening a sugar mill and the Goa Government have recommended it. I would like to know the action being taken on the request received from Goa.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमें गोवा सरकार से किसी प्रायोजना के लिये कोई सिफारिश पहले नहीं मिली है। केवल हाल ही में ऐसी सिफारिश मिली है और वह विचाराधीन है ।

श्री नाथ पाई : उनका प्रश्न यह है कि यदि ऐसी कोई मांग आई हो तो उसका उत्तर क्या होगा ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम पूरी सहानुभूति दिखायेंगे ।

Shri Shardanand : Just now the hon. Minister told in his reply that when the farmers went on strike last, the hon. Minister ordered that the farmers should sell their sugarcane to the mills @Rs. 10/- per maund and if they sell at a rate less than this, Government would consider the loss so suffered. Last year sugar industries in U.P. remained closed for two months and then you announced the rate of Rs. 10/- per maund. I want to know whether hon. Minister would avoid such a situation this time and announce the rate will in advance.

Another things I want to know is that whether an enquiry has been made into the cases of those mills, which have made less payments to the farmers and whether you would make them the payment @ Rs. 10/- per maund.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक गन्ने की कीमत का संबंध है, माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है कि ऐसी कीमतें क्यों निर्धारित की गयी हैं और कुछ क्षेत्रों में ये कीमत क्यों नहीं अपनायी गई, और मैं इसमें और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the question has not been replied to. How it will do ? The question was whether Government propose to announce sugarcane prices right now for the next year.

श्री जगजीवन राम : सच तो यह है कि उठाये जा रहे बहुत से प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं । परन्तु जैसा कि हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि गत वर्ष विशेष हालात को ध्यान में रख कर मैंने यह घोषणा की थी, और मैंने यह भी कहा था कि धीरे-धीरे चीनी उद्योग ने वह कीमत दे दी है . . .

Shri Sarjoo Pandey : Hon. Minister, kindly tell one thing . . .

Shri Jagjiwan Ram : Payment was made at the rate of Rs. 10/- at many places in U. P. There are some places where it was not done so, the reason for which is known to the M.P.s.

Shri Shardanand : None of the three Sugar factories in my district . . .

Shri Jagjiwan Ram : I have not stood for discussion here. How can I give information now in regard to each and every factory and a factory situated in the constituency of a Member ? The minimum price for the next year has been fixed and has been announced.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिम बंगाल में चाय-बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

अ०सू०प्र० 7. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि चाय-बागान मालिकों के कठोर रवैये के कारण त्रिपक्षीय बात-चीत के असफल होने पर पश्चिम

बंगाल में चाय-बागान के श्रमिकों ने न्यूनतम मजूरी में वृद्धि सहित अपनी दस-सूत्री मांगों के समर्थन में 18 अगस्त, 1969 से अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल करने का कथित निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल के चाय-बागान के श्रमिकों ने प्रबन्धकों को अपना दस सूत्री मांगों का एक प्रपत्र दिया था और किसी फैसले के न होने पर हड़ताल करने का नोटिस दिया। ये मांगें, अन्य बातों के अतिरिक्त सन् 1956 तक स्थित भूमि-श्रम अनुपात को पुनः स्थापित करने और इस उद्योग के श्रमिकों के मजूरी ढांचे में संशोधन के लिए राज्य स्तर पर मजूरी निर्धारण व्यवस्था स्थापित करने के विषय में थी। राज्य श्रम आयुक्त ने 11 अगस्त, 1969 को विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत की थी। बाद में राज्य श्रम मंत्री ने भी 14 अगस्त, 1969 को बागान मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी। इनके परिणामस्वरूप कोई भी फैसला न हो सका और 18 अगस्त, 1969 से श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी।

यह विषय राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा स्थिति के विषय में राज्य के प्राधिकारी सक्रिय हैं। हम राज्य के श्रम मंत्री से सम्पर्क बनाये हुए हैं तथा हम विवाद को सुलझाने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न करेंगे।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिनिस्टर-इन-चार्ज कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : हर बार ऐसा मत करिये।

श्री स० मो० बनर्जी : कल मैंने यह कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर श्रम मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। श्री भगत यहां नहीं हैं। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने समझौता कराने के लिये इस मामले में हस्तक्षेप किया है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप यह निदेश दें कि उत्तर श्रम मंत्री द्वारा दिये जायें जो कि यहां पर बैठे हैं क्योंकि यह औद्योगिक विवाद का एक मामला है।

श्री हाथी : मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्रम मंत्री के उत्तर से वे सन्तुष्ट हो सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह एक उदाहरण नहीं बनना चाहिए।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस प्रश्न पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए।

दस-सूत्री मांग और जन-भूमि अनुपात के संबंध में श्रमिक यह चाहते है कि 75,000 श्रमिक इस समय लिये जायें। चाय-बागान में सरकार उस भूमि को अर्जित करती रही है जिस पर इस समय चाय की खेती नहीं हो रही है। यदि चाय-बागानों की भूमि सरकार अर्जित करती रहेगी तो चाय की खेती का विस्तार कहां से होगा ? इसलिए इस समय 75,000 लोगों को रोजगार पर लगाने का वचन किस तरह दिया जा सकता है ?

दूसरे, श्रम मंत्री ने यह कहा है कि यदि मालिकों ने ठीक समय पर सही कदम उठा लिया होता तो यह हड़ताल टल जाती। मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा कहा है परन्तु ऐसा समाचारपत्रों में लिखा है..... (**अन्तर्बाधाएं**)। एक दस-सूत्री कार्यक्रम है जो कि नियोजकों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। वे इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकें इसके लिए सरकार द्वारा दो बड़ी कार्यवाहियों के किये जाने की आवश्यकता है: चाय पर निर्यात शुल्क का समाप्त करना और आयातित चाय पर उत्पादन शुल्क की वापसी लागू करना। यदि ये कार्य कर लिये गये तो इस दस-सूत्री कार्यक्रम की कुछ बातें नियोजकों द्वारा पूरी की जा सकती हैं। उस कार्यक्रम में से कुछ बातें तो पहले ही नियोजकों द्वारा स्वीकार करली गयी हैं और यदि आप अनुमति दें तो मैं उन स्वीकृत बातों को पढ़ सकती हूं... (**अंतर्बाधायें**) तीसरे, क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा की आय में अपनी हानि का अनुमान लगा लिया है? चाय-बागानों मे एक बहुत वयस्त मौसम है और हर रोज 5 लाख किलोग्राम चाय की क्षति होने की आशंका है जिसका मूल्य 30 लाख रूपये होता है। यह अनुमान कम आंका गया है। कुछ बातें स्वीकार की जा चुकी हैं। क्या इस पर विचार किया जायेगा और हमको होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): मंत्री महोदय ने राज्य सभा में मेरे द्वारा दिये गये उत्तर से उद्धरण दिया है जिसमें मैंने कहा था कि यदि मालिकों ने ठीक समय पर सही कदम उठाया होता तो हड़ताल टल गई होती। वह बात जूट उद्योग के सम्बन्ध में थी। जब मैं मालिकों से पिछले साल मिला था तो मैंने 4 रुपये का सुझाव दिया था और यदि उन्होंने इस और मजूरी निर्धारण के लिए कोई व्यवस्था करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया होता तो हड़ताल टल गई होती। मैंने यह बात कही थी। मैं अब भी यह कहती हूं कि यदि मालिकों ने ठीक समय पर सही कदम उठाया होता तो हड़ताल टल गयी होती। हड़ताल इसलिए हुई कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

यह सच है कि रोजगार में लगाये व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है..... (**एक माननीय सदस्य : चाय** का उत्पादन बढ़ता जा रहा है)। हमें यह देखना चाहिए कि रोजगार पर लगे व्यक्तियों की संख्या मालिकों द्वारा विभिन्न तरीके अपना कर कम न की जाये। श्रम मंत्रालय शुल्क में कमी से सम्बन्धित नहीं है परन्तु श्रमिकों की हालत, उनकी मजूरी और अन्य बातों से सम्बन्धित है और इसलिए मैं समझता हूं कि उस बारे में मुझ से किसी उत्तर की आशा नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमती इला पाल चौधरी: मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि वह यह चाहते हैं कि मालिक कुछ बातों को मान लें। कुछ बातें तो उनके द्वारा पहले ही मान ली गयी हैं और मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे कुछ बातें और भी मान जायें क्योंकि हमें भी श्रमिकों से वास्ता पड़ता है और हम चाहते हैं कि वे सर्वोत्तम सम्भव हालात में रहे। ऐसी अवस्था में सरकार को यह देखना चाहिए कि दस-सूत्री कार्यक्रम पूर्णरूपेण क्रियान्वित किया जाये। मेरा जोर इसी बात पर है।

श्री हाथी : माननीय सदस्य से यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि मालिक लोग श्रमिकों की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इस मामले पर पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री और श्रमिक संघ के दो नेताओं कलि मुकर्जी और जतीन चक्रवर्ती जो कि एक मंत्री भी है, के बीच बातचीत चल रही है। वे जलपैगुड़ी गये थे और उन्होंने कल उनसे बात की थी और वे आज या कल वापस लौट रहे हैं और तब वे हमें बातचीत का परिणाम बतायेंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: श्रम मंत्री ने जन-भूमि का जो अनुपात बताया है वह चाय-बागान में पिछले पन्द्रह वर्षों में बदल गया है जैसे कि अन्य उद्योगों में तकनीक और उत्पादन के तरीकों के

विकास के साथ बदल गया है । इस उद्योग में श्रमिकों की मांग एक खास तरह की है और यदि वह मांग स्वीकार कर ली गयी तो उसका यह अर्थ होगा कि मालिक 75,000 और श्रमिकों को रोजगार देंगे जबकि उनकी उन्हें आवश्यकता नहीं है और तब कि मौजूदा उत्पादन के लिए वर्तमान श्रमिकों की संख्या ही काफी है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जाननी चाहती हूं कि क्या उत्पादन के मौजूदा स्तर के श्रमिकों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है और यह भी कि क्या चाय उद्योग एक गम्भीर संकट से होकर नहीं गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंडियां उनके हाथ से निकली जा रही हैं जिसकी वजह से चाय उद्योग और अधिक व्यय बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है?

श्री हाथी : श्रमिकों की शिकायत यह है कि मालिक लोग ठेके पर और अस्थायी श्रमिक रख लेते हैं और इस तरह प्रत्येक बाग में श्रमिकों की संख्या कम हो जाती है । श्रमिक-भूमि का अनुपात को प्रत्येक बाग की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होगा परन्तु कुछ कदम उठाये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, ठेके पर श्रमिक रखने अथवा अस्थायी श्रमिक रखने के स्थान पर वे स्थायी स्थानों को भर सकते हैं । फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी । परन्तु क्योंकि मालिक लोग दूसरे रास्ते अपना रहे हैं इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न होती है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न विशिष्ट था । क्या उत्पादन के वर्तमान स्तर पर श्रमिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है । दूसरे, क्या चाय उद्योग गम्भीर संकट से होकर नहीं गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के हाथ से निकलने के कारण क्या वह अतिरिक्त व्यय का भार उठाने के लिए समर्थ है ?

श्री हाथी : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गयी थी और उसने कहा है कि अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए यह देखना चाहिए कि श्रमिकों की वर्तमान संख्या कितनी होनी चाहिए । परन्तु इस बात पर भी मालिकों और मजदूरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बातचीत की जा सकती है..... **(अंतर्बाधायें)**।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी: चाय उद्योग में संकट की बात दबाव डालने की एक चाल है जिससे सरकार पर यह दबाव डाला जा सके कि चाय पर निर्यात शुल्क पूरा समाप्त कर दिया जाये । इसलिए यह बताना आवश्यक है कि इस वर्ष के बजट में चाय उद्योग के निर्यात शुल्क पर पहले ही कुछ कमी की जा चुकी है और यह भी बताना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में चाय उद्योग को एक लाभ है और वह है बंगाल में प्रवेश शुल्क से उसका मुक्त होना जब कि आसाम में वह लगाया जाता है । तीसरे, इस वर्ष मिश्र द्वारा चाय की खरीद के कारण चाय की कीमतें भी अच्छी रही हैं । इसलिए चाय उद्योग पर संकट की भी बात कही जा रही है कुछ व्यक्तियों द्वारा बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है ।

इसलिए मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि जहां तक श्रमिक-भूमि अनुपात का सम्बन्ध है क्या उनको ज्ञात है कि चाय बागान मालिक संघ के सभापति श्री लम्मन्ड ने यह दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया है कि वे इस प्रश्न पर श्रमिक संगठन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी बात को अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप हड़ताल हुई है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर श्रम मंत्री न दें बल्कि वाणिज्य मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री दें । क्योंकि पटसन उद्योग के मामले में देख चुके हैं कि उस उद्योग के महारथी सरकार पर यह दबाव डालना चाहते हैं कि सरकार सम्पूर्ण निर्यात शुल्क को समाप्त कर दे । चाय बागान मालिकों द्वारा भी वही चाल चली जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : प्रश्न इस प्रकार है : क्या मंत्री को इन बातों का पता है और क्या वे उद्योग से कहेंगे कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उनकी इन चालों से कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री ब०रा० भगत : चाय उद्योग की प्रतिस्पर्धा का प्रश्न उठाया गया है । श्रम-विवाद के मामले में यद्यपि उद्योग की आर्थिक सक्षमता का महत्व भी है तथापि इन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । पटसन के बारे में भी नियोजकों ने इसी प्रकार का प्रश्न उठाया था; पटसन उद्योग इससे भी बड़ी कठिनाई में है क्योंकि पटसन का काफी निर्यात किया जाता है और निर्यात बाजार में हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है । चाय के निर्यात के बारे में स्थिति भिन्न है क्योंकि इसकी सप्लाई आवश्यकता से अधिक है और बाहर चाय का मूल्य घट रहा है किन्तु प्रतिस्पर्धा में और चाय के उत्पादन के बारे में और इसके मिलने वाले मूल्य के बारे में खास तौर पर दार्जीलिंग चाय के बारे में स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है । अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय चाय का मूल्य कम घटा है । अतः यह प्रश्न सुसंगत ही है कि इस उद्योग की समस्त अर्थव्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिये । किन्तु ऐसे मामले में यह नहीं कहा जाना चाहिये कि चूंकि उद्योग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिये सरकार को इसे देखना चाहिये । गत बजट में हमने राहत दी थी । हम इस मामले को अन्य श्रम-विवाद की भांति सामान्य रूप से तय करना चाहते हैं । जैसा हमने पटसन के बारे में कहा, कि यदि उद्योग की आर्थिक सक्षमता पर विचार करने की समस्या उत्पन्न होती है तो हम इस पर अवश्य विचार करेंगे । किन्तु हम यह नहीं चाहेंगे कि उद्योग और श्रमिकों के बीच कोई विवाद खड़ा किया जाये । ये दोनों अलग-अलग बातें हैं ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Everyone knows that labour on contract basis is exploited in a big way. To end the exploitation of the labour class, we should abolish the practice of contract labour. Therefore, I would like to know whether Government propose to abolish the system of employing contract labour in tea gardens as well so that the labourers there are not exploited. I would also like to know the present number of the regular labourers and of those appointed on contract basis.

श्री हाथी : जैसा मैं बता चुका हूं, मजदूरों को ठेके पर लगाने की प्रथा के कारण चाय बागानों में मजदूरों की संख्या घट गई है। इसे रोकना होगा । सभा जानती है कि ठेके पर मजदूरों को लगाने की प्रथा समाप्त करने के लिए हमने एक विधेयक सभा में पेश कर दिया है और मेरा विचार है कि संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी सभा के सामने मौजूद है ।

Shri Srichand Goel : The tea-crop is ready at present and we are incurring a loss of Rs. 30 lacs approximately every day. From certain press reports we have come to know that Shri Hathi had a talk with the state Labour Minister Shri Krishan Pad Ghosh. Therefore I would like to know whether the Central Government would intervene to solve this problem and I would also like to know the details of the talks between Shri Hathi and Shri Ghosh.

श्री हाथी : मैंने पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री से नई घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से की थी। मैंने उनसे चार बार बातचीत की । आखिरी बार मेरी उनसे बातचीत कल ही हुई थी। उन्होंने बताया कि हड़ताल शान्ति पूर्ण ढंग से

चल रही है। वे इस मामले को निबटाने की कोशिश कर रहे हैं । श्रमिकों के दो नेता यहां गये थे और वे आज या कल वापस आ जायेंगे। वे पूरा प्रयास कर रहे हैं। अतः हमारे हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता । मैं और मेरे सहयोगी अपना प्रभाव प्रयोग करेंगे और जो आवश्यक होगा वे करेंगे।

श्री समर गुह : चाय बागान मालिक संघ की सलाहकार समिति के प्रधान श्री लिमंड ने एक विचित्र तर्क प्रस्तुत किया है और यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो इससे चाय बागानों में मजदूरों का शोषण होगा और उनकी छंटनी होती रहेगी। वहां उन्होंने कार्यभार में वृद्धि कर दी है। 1951 में चाय बागानों में मजदूरों की संख्या 3, 27,000 थी। और अब यह 1,97,000 है। 1956 में यह संख्या 2,60,000 थी। इसका मतलब यह हुआ कि 1951 से अब तक 40 प्रतिशत चाय मजदूरों की और 1956 और 1959 के बीच 27 प्रतिशत मजदूरों की छंटनी हो गई है। एक विचित्र तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि मलेरिया और तपेदिक खत्म हो गये हैं, इसलिए 1,30,000 मजदूरों की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति वर्ष 1,30,000 मजदूर या तो मलेरिया के या तपेदिक के शिकार होते हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि पश्चिमी बंगाल के 300 चाय बागानों में से कितने चाय बागानों के स्वामी यूरोपीय लोग हैं और क्या वे भूमि-श्रमिक अनुपात में बाधक सिद्ध हो रहे हैं ? क्या सरकार कडेलवानाज समिति के प्रतिवेदन के आधार पर एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए श्रमिकों से बातचीत करेगी ? यदि यूरोपीय मालिक समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हुए तो क्या सरकार कम से कम उन चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण कर देगी जिनके स्वामी यूरोपीय लोग हैं ?

श्री हाथी : जिस तर्क का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है मैं उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूं । युरोपीय स्वामियों की संख्या का मुझे पता नहीं है किन्तु मेरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री इस सम्बन्ध में चर्चा करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और वे मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखेंगे।

श्री समर गुह : राष्ट्रीयकरण करने के बारे में क्या विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उस समय नहीं उठता। चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खुशी है कि श्री हाथी और श्री भगत हड़ताल के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। किन्तु क्या इन दोनों मंत्रियों में से कोई कलकत्ता जाकर हड़ताल को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कराने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलायेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे चाय मजदूरों का शोषण न हो ?

श्री हाथी : मैं उनसे सम्पर्क रख रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि दो नेता जिनमें से एक मंत्री हैं, जलपाईगुडी गये हैं और वे आज या कल में वापस आ जायेंगे।

श्री स० कण्डू : क्या मंत्री महोदय ने आपको वहां जाने के लिए निमन्त्रण दिया है ?

श्री हाथी : नहीं यदि वे मेरी या श्री भगत जी की सहायता चाहते हैं तो हम उन्हें सहायता देने के लिए वहां अवश्य जायेंगे ।

Shri Shiv Narayan : When the Government and the Congress Party accept the ten-point programme and there is also 10-point demand of the labour, what are the reasons for which Government is hesitating to accept the demands of the workers ?

श्री हाथी : जैसाकि मैंने कहा है कि पश्चिमी बंगाल सरकार सभी मांगों पर विचार कर रही है और मैंने उनके साथ लगातार सम्पर्क रखा हुआ है। जितना भी हो सका हम अपना सद्प्रभाव प्रयोग करेंगे। मैं और मेरे साथी संघ के नेताओं और नियोजकों के साथ बात करेंगे। हम जितना भी हो सका, प्रत्येक कार्य करेंगे, परन्तु वास्तव में यह पश्चिमी बंगाल सरकार का मामला है।

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, Sir, It appears that the Foreign Trade Minister is treating discriminately with the Jute traders and tea-traders. When there was a strike in the Jute industry on August 4, 1969, the Foreign Trade Minister went there and put pressure on the traders and then there was an agreement. Now I would request that the Minister should go to the tea-traders and put pressure on them to accept their minimum demands as soon as possible so that the strike should come to an end and the Bengal may be free from the crisis.

Shri B. R. Bhagat : There is no question of discrimination. If it will be necessary, the Labour Minister and myself will go there and we are in touch with the W. Bengal Government.

श्री प० गोपालन : कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक यह है कि कर्मचारियों की निम्नतम मजदूरी बढ़ाई जाये। मैं सरकार से केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की निम्नतम मजदूरी में वृद्धि करना चाहती है? यदि हां, तो क्यों सरकार ने कुछ मास पहले केरल सरकार को निम्नतम मजदूरी में वृद्धि न करने के लिए आदेश दिया था जिस समय केरल में इस उद्योग के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी।

श्री हाथी : श्रम मंत्रालय सदैव कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ाने का पक्ष लेता रहा है। यदि आपका यह विचार है कि मैंने केरल सरकार से मजदूरी न बढ़ाने के लिए कहा है तो यह गलत है। वास्तव में, मजदूरी 2.50 रुपये से 2.80 रुपये या उससे अधिक बढ़ाई गई है।

श्री प० गोपालन : मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार केरल सरकार को मजदूरी न बढ़ाने की सलाह दे सकती है?

श्री हाथी : बिल्कुल नहीं ! मैंने जो सलाह दी थी वह यह थी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी करने से पहले नियोजकों और कर्मचारियों के साथ चर्चा करने की आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाय। परन्तु मैं सदा ही मजदूरी बढ़ाने के पक्ष में रहा हूं।

श्री नाथ पाई : महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर, श्रम मंत्री दें और इसके भाग (ख) का उत्तर वैदेशिक व्यापार मंत्री दें।

श्रम मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार इस झगड़े में भारत सरकार की सहानुभूति मजदूरों के साथ है ;

(क) क्या म जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय हड़ताल को समाप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं कि उत्पादन में प्रतिदिन 3 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, और

(ख) उद्योग की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि यह 88 प्रतिशत विदेशियों के अधिकार में है, क्या मैं जान सकता हूं क्या सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए विचार कर रही है ?

श्री हाथी : जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, मैं जो कुछ कर रहा हूं, कई बार बता चुका हूं । प्रमुखत: यह पश्चिमी बंगाल सरकार का मामला है, और वहां के मंत्री पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । जितना मैं इस प्रयोजन के लिए कर सकता हूं, अपने सद् प्रभाव का प्रयोग करूंगा ।

श्री नाथ पाई : भाग (ख) के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक भाग (ख) का संबंध है, इस समय चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री नी० श्री कांतन नायर : रेगे समिति रिपोर्ट और चटर्जी समिति रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान भूमि-श्रम का अनुपात कम हो गया है और नियोजक समस्त भारत में, विशेषकर पश्चिमी बंगाल और उन के कथनानुसार केरल में श्रम-शक्ति को व्यवस्थित रूप से घटा रहे हैं और सदन में अभी अभी यह कहा गया है कि चाय मज़दूरी बोर्ड द्वारा नियत तथाकथित उचित मज़दूरी से अधिक न्यूनतम मज़दूरी में 59 प्रतिशत वृद्धि हुई है । क्या मैं जान सकता हूं क्या केन्द्रीय सरकार नियोजकों पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने, कार्यभार को कम करने तथा अधिक मज़दूरी देने के लिये दबाव डालने के लिए तैयार है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य भी उस समय सदस्य थे जब मज़दूरी निश्चित करने के लिए केरल में नियोजकों और कर्मचारियों के बीच चर्चा हो रही थी और अंत में यह हो गया । पश्चिमी बंगाल में भी भी वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी

श्री नी० श्रीकांतन नायर : रेगे समिति और चटर्जी समिति के क्या निष्कर्ष हैं कि कार्य-भार में वृद्धि हुई है ?

श्री हाथी : चटर्जी समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कार्य-भार में वृद्धि हुई है । रेगे की रिपोर्ट पुरानी है। चटर्जी समिति की रिपोर्ट हाल ही की है । इस में भी माननीय सदस्य विद्यमान थे जब इस रिपोर्ट पर हमने चर्चा की थी ।

श्री स० कुण्दू : हड़ताल की सब से महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि 1956 में जो भूमि-श्रम अनुपात था, वह 1969 में कम हो गया है जब कि उत्पादन बढ़ गया है और खेती-बाड़ी के लिए क्षेत्र भी बढ़ गया है । यह गम्भीर समस्या है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय और वैदेशिक व्यापार मंत्रालय इस के कारण दे सकते हैं, क्या यह श्रम-वर्धक योजनाओं के विरुद्ध है । अथवा क्यों उन्होंने श्रम बचाने की मशीनों की व्यवस्था की है । किन कारणों से भूमि-श्रम

अनुपात घट गया है और क्या इसके बारे में जांच हो रही है क्योंकि यह केवल राज्य का मामला नहीं है अपितु राष्ट्रीय मामला है ।

श्री हाथी : मैंने पहले ही बता दिया है कि श्रमिकों की संख्या में कमी होने के कुछ कारण ये भी हैं :—ठेके पर मजदूर लगाना, अस्थायी मजदूर लगाना, रिक्त पदों को न भरना और मशीनें लगाना । श्रमिकों की संख्या में कमी होने के ये कुछ कारण हैं, जिन पर पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ बातचीत हो रही है (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Supply of high-yielding varieties of seeds by State farms

*666. **Shri Brij Bhushan Lal : Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan : Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjeet Singh : Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the comparative supply position of high-yielding varieties of seeds by the State Farms during the last three years ; and

(b) the cost price of the seeds in the Farms and the price at which they were sold to the farmers, year-wise ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is collected.

Vanishing of Pastures in the Country

*667. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **flood and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that pastures are almost vanishing in the country ;

(b) whether it is affecting adversely the development of the cattle-wealth ; and

(c) if so, whether Government propose to take any special decisions in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It is not correct to say that the pastures have almost vanished in the country. According to the Land Utilisation Statistics compiled by

Economics and Statistics Directorate, the area under permanent pastures and other grazing lands for the past 12 years is as under :—

(Thousand Hectares)

Year	Permanent Pastures and other grazing land
1955-56	11,473
1956-57	12,186
1957-58	12,831
1958-59	13,090
1959-60	13,679
1960-61	13,966
1961-62	14,082
1962-63	14,104
1963-64	14,594
1964-65	14,747
1965-66	14,906
1966-67	14,066

(b) In view of the increase in livestock population as represented by a 2·2% growth during the aquinquennial 1961—66, the presssure on the available pastures and grasslands is increasing. This has reduced the availability of grazing per head of cattle, thereby necessitating their increased dependence on fodder crops and bhusa etc.

(c) Attention is being given by the State Forest Departments to the development of pastures and grazing. The Soil Conservation Programmes of the State Governments provide for afforestation and pasture development. A centrally Sponsored River Valley Project Scheme provides for development of pastures in the water-shed areas. Research on methods of improving forages and pasture lands is being conducted by the Indian Grassland and Forage Research Institute, Jhansi and new techniques for range management and development of the depleted pasture lands are being evolved at the Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur.

सूरत गढ़ फार्म को बन्द करना

*668. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री जय सिंह : श्री भोलानाथ मास्टर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरतगढ़ (राजस्थान) के सैन्ट्रल स्टेट फार्म को बन्द करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) इसमें कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी । रूस से उपहार के रूप में कितनी मशीनें प्राप्त हुई थीं । इन सब वर्षों में कितना मुनाफा हुआ तथा फार्म की असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस फार्म पर आरम्भ से ही कार्य कर रहे अधिकारियों के नाम तथा उनकी अर्हतायें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1. उपहार में प्राप्त हुई मशीनरी की कीमत—67 लाख रुपये (अनुमानत:)

2. प्रत्येक वर्ष में अन्य निवेश, लाभ और हानि :

वर्ष	निवेश की गई राशि (लाख रुपयों में)	लाभ (लाख रुपयों में)	हानि (लाख रुपयों में)
1956–57	8.56	—	2.71
1957–58	17.42	—	5.09
1958–59	28.98	1.70	—
1959–60	39.22	—	2.25
1960–61	45.95	2.84	—
1961–62	39.19	—	6.23
1962–63	80.03	—	6.51
1963–64	59.53	—	11.77
1964–65	68.85	—	9.93
1965–66	50.60	—	24.17
1966–67	48.52	18.71	—
1967–68	68.27†	49.52	—
1968–69	59.00††	(अभी प्राप्त नहीं है)	
		72.77	68.66

1956–57 से 1967–68 तक पूंजी पर 37.57 लाख रुपये का ब्याज देने के पश्चात् लाभ और हानि के आंकड़े तैयार किये गये ।

3. उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि फार्म ने 12 वर्ष में निवेश पूंजी पर न केवल ब्याज ही दिया है बल्कि 4.11 लाख रुपयों का निवल लाभ भी कमाया है । फार्म असफल नहीं

† (सूरतगढ़ और जेतसार फार्मों के लिये इकट्ठे आंकड़े)

†† (महालेखापाल से अंतिम आंकड़े प्राप्त होने हैं)

रहा। यदि पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की कमी न होती और घग्गर नदी की वार्षिक बाढ़ों के कारण हानि नहीं होती तो फार्म और भी अच्छ परिणाम प्राप्त कर लेता ।

(ग)

फार्म के कार्यभारी अधिकारियों के नाम तथा उनकी अर्हतायें

क्रम संख्या	कार्यभारी अधिकारी का नाम	अर्हतायें	अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह, डी० एस० ओ०	सेवा-निवृत क्वार्टर मास्टर ज़नरल, भारतीय सुरक्षा सेना	1–8–56 से 8–7–63 तक	
2.	श्री सी० पी० श्रीवास्तव	1. इंजीनियरिंग में लाइसेन्सधारी 2. सम्बद्ध सदस्य, अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स 3. इंजीनियर संस्था के सस्दय	22–7–63 से 31–3–65 तक	मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह की अकस्मात् मृत्यु के समय श्री सी० पी० श्रीवास्तव, सूरतगढ़ फार्म के संयुक्त महा-प्रबन्धक के पदपर काम कर रहे थे । तब श्री श्रीवास्तव को महाप्रबन्धक के रूप में कार्य करने को कहा गया था ।
3.	श्री एस० आर० राय	बी०एस०सी० (कृषि), भारतीय कृषि अनु-संधान संस्था से कृषि कला में सहयोजित ।	1–4–65 से 19–6–66	श्री सी० पी० श्रीवास्तव की सेवा निवृत्ति के समय श्री एस० आर० राय संयुक्त महाप्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे थे । तब श्री एस० आर० राय को महाप्रबन्धक का कार्यभार संभालने को कहा गया था ।
4.	श्री गोवर्धन	सेवा-निवृत महा-निरीक्षक , पुलिस ।	20–6–66 से 28–2–69 (अपराह्न) तक	

1	2	3	4	5
5	श्री एस० एन० आगा	सेवा-निवृत्त महा-निरीक्षक, पुलिस ।	1-3-69 से अब तक कार्य कर रहे हैं ।	

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

*669. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में प्रस्तावित दो अस्पतालों के लिये केन्द्र से 2 करोड़ रुपये मिलेंगे; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब तक दी जायेगी ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : **(क)** और **(ख)**: भारत सरकार अस्पतालों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था नहीं करती। कमचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत डाक्टरी सुविधा का प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

यद्यपि पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अस्पतालों की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था की है, परन्तु अब निगम द्वारा निगम की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण और सिफारिशों के लिए एक समिति स्थापित की गई है । इस समिति की सिफारिशों की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की क्रियान्विति

*670. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों के श्रम मंत्रियों के हाल में हुए सम्मेलन में सुझाव दिया था कि जो सरकारी उपक्रम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं इन्हें बजाय इसके कि वे यह महसूस होने दें कि वे दोषी है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम से छूट के लिए अनुरोध करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में राज्यों के श्रम मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) मई, 1969 में हुए उत्तरी अंचल के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि यदि सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा अपने श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं अधिनियम में विहित सुविधाओं से कम हितकर न हों तो वे या तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम से छूट मांग सकते हैं या उन्हें अधिनियम तथा योजना की अवश्यमेव क्रियान्विति करनी चाहिए ।

(ख) यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया ।

फिल्म परिषद्

*671. **श्री प० मु० सईद :**
श्री राम चरण :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री शारदा नन्द :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म परिषद् के गठन के बारे में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के विचारों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० मुजराल): (क) से (घ) फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श जारी है। प्रस्ताव का विवरण बात चीत पूरी हो जाने के बाद तैयार किया जाएगा ।

अन्दमान द्वीपसमूह म वन विभाग द्वारा काटी गई इमारती लकड़ी की ढुलाई

*672. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री कार्तिक उरांव :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूह में वन विभाग द्वारा काटी गई कितनी इमारती लकड़ी जहाजों द्वारा भेजी गई;

(ख) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों से इस सम्बन्ध में निरन्तर कमी रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) अन्दमान वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 50,500 टन लकड़ी की निकासी होती है । इस में से पिछले 5 वर्षों में मुख्य भूमि को भेजी जाने वाली लकड़ी का वार्षिक औसत 20,502 टन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कमी का कारण जहाजों में पर्याप्त जगह की अनुपलब्धि और द्वीप में ही लकड़ी की अधिक खपत होना है । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं । एक और लकड़ी ढोने वाला पोत इस कार्य पर लगा दिया गया है और एक अन्य यात्री एवं माल वाहक पोत को माल वाहक जहाज में परिवर्तित कर दिया गया है । अन्दमान द्वीपसमूह से मुख्य भूमि पर लकड़ी लाने के लिये अन्य माल वाहक जहाजों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं । द्वीपसमूह में लकड़ी की आन्तरिक खपत को स्थानीय तौर पर और अधिक बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भूमिहीन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी

*673. **श्री ओंकार सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में भूमि हीन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाले कोई कानून नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे कानून लागू नहीं हैं; और

(ग) ऐसे कानूनों को सभी राज्यों पर लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 में कृषि तथा अन्य अनुसूचित रोजगारों में रोजगार के लिए सांविधिक न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने की व्यवस्था है ।

(ख) यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर सारे भारत पर लागू होता है ।

(ग) इस अधिनियम को जम्मू और काश्मीर पर भी लागू करने का विचार है ।

गन्ने की उपलब्धता

*674. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ के अध्यक्ष श्री कोठारी ने 10 मई, 1969 को नई दिल्ली में इस संघ की वार्षिक बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि इस क्षेत्र में गन्ने की

उपलब्धता तथा इस बारे में कि क्या कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये कारखानों का अच्छे स्थानों पर स्थानांतरण आवश्यक था, सरकार तथा उद्योग को सलाह देने के लिये स्वतंत्र स्थिति के विशेषज्ञों का एक विशेषज्ञ निकाय स्थापित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी हां ।

(ख) खाद्य विभाग में पहले से ही एक अनुवीक्षण समिति है जो चीनी कारखानों से प्राप्त स्थानान्तरण, विस्तार अथवा नयी यूनिटें लगाने से संबंधित आवेदन-पत्रों का अनुवीक्षण करती है । गन्ने की उपलब्धि के मामले में , राज्य सरकार के निर्णय पर विश्वास किया जाता है । अतः इस प्रयोजन के लिये कोई अन्य विशेषज्ञ समिति स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा संगठन द्वारा अभ्यावेदन

*675. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा संगठन ने उस सेवा के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1746/69]** ।

दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में बदलना

*676. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या ऐसी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी अधिक कुशलता से कार्य करेगी और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दूध देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना को एक सांविधिक निगम के रूप में बदलने का उद्देश्य इसके कार्य में अधिक कार्य क्षमता प्राप्त करना है। निगम दूध तथा अन्य पदार्थों को व्यापारिक सिद्धान्तों पर बेचने के लिये अपनी कीमत निर्धारित करेगी ।

देश में बेरोजगारी

*677. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्कूल आफ एक्नोमिक्स के सहयोग से भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि कुल बेरोजगार व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्ति रोजगार दिलाने वाले दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराते हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूमिहीन श्रमिक के लिये एक वर्ष में रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में नवीनतम अनुमान क्या है और पिछले अनुमान से यह कहां तक मेल खाता है कि सिंचाई वाले गांवों में वर्ष में 5 महीने के लिये काम है और सिंचाई रहित गांवों में तीन महीने के लिये; और

(घ) रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस अध्ययन का बेरोजगारी के विषय से कोई संबंध नहीं था। 31 मई, 1969 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों की संख्या 30,13,361 थी ।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अन्तर्गत शहरी श्रम शक्ति सर्वेक्षण की विभिन्न गणनाओं (16—21) में रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों के आंकड़े एकत्र किये गये हैं ।

(ग) नैमित्तिक और सगृह संलग्न कृषि श्रमिकों से संबंधित उपलब्ध अद्यतन जानकारी 1956-57 से संबंधित है । 1956-57 के दौरान काम पर लगे दोनों वर्गों के सगृह व्यक्तियों के दिनों की संख्या निम्नलिखित थी:—

	वर्ष के दौरान काम पर लगे व्यक्तियों के दिनों की संख्या
भूमिहीन नैमित्तिक सगृह-कृषि श्रमिक	218.8
भूमिहीन सगृह संलग्न कृषि श्रमिक	292.2

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा गहन खेती के तरीकों के कारण अनुशक्ति के उपयोग का दर बढ़ गया है। यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष के दौरान काम पर लगे व्यक्तियों के औसत दिनों में किस हद तक वृद्धि हुई है या श्रम शक्ति के उपयोग की गहनता कितनी बढ़ी है ।

(घ) जैसाकि चौथी पंचवर्षीय योजना (1969—74) प्रारुप के पैरा 21.16 में वर्णित है चौथी योजना में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा अधिकाधिक मात्रा में रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे ।

Community Development Programme

*876. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have failed to achieve the objective for which the Department of Community Development was created;

(b) if so, whether Government propose to disband the Department of Community Development ; and

(c) if so, whether the creation of some other department in its place is contemplated ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coopertaion (Shri M.S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

टेलीविज़न क्षेत्र का विस्तार

*679. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविज़न के 40 मील के वर्तमान क्षेत्र को और अधिक दूरी तक बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र के कितना बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां । (वतमान टेलीविज़न क्षेत्र 40 किलोमीटर है) ।

(ख) 60 किलोमीटर ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आयोजन पर गोष्ठी

*680. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संस्था के तत्वाधान में दिल्ली में हाल में हुई, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 'आयोजन' संबन्धी गोष्ठी ने देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समेकित विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी द्वारा जिस कार्यक्रम की सिफारिश की गई है उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसकी सिफारिश पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) । (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1747/69]**।

(ग) जी हां।

(घ) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सिफारिशें पहले से ही सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों और अन्य संबन्धित एजेन्सियों को परिचालित कर दी गई हैं।

तेलंगाना व आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समेकित तकनीकी पैकेज की कार्यान्विति का अध्ययन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने एक मार्गदर्शी परियोजना को भी मंजूर किया है। इसके अतिरिक्त, वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन में सुधार करने हेतु अनुसन्धान संबन्धी एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना चतुर्थ योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर ली गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसमी पहलुओं से समन्वय रखने वाली सिफारिशों का अध्ययन कर रहा है।

प्रत्येक उद्योग के लिये एक कार्मिक संघ

*681. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक उद्योग के लिए एक कार्मिक संघ का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने सरकारी उपक्रमों में इस सिद्धान्त को लागू किया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) सरकारी नीति ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (जिसके अंतर्गत कोई भी सात व्यक्ति मज़दूर संघ बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं) और अनुशासन संहिता (जिसमें एक स्थानीय क्षेत्र के किसी एक उद्योग अथवा किसी प्रतिष्ठान में कुछ शर्तों के साथ बहुमत यूनियन को मान्यता देने की व्यवस्था है) में निर्धारित की गई है।

(ख) मान्यता के सिद्धांत को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता। यह अनुशासन संहिता के अन्तर्गत लागू होता है, जो कि स्वैच्छिक आधार पर प्रवर्तित की जाती है।

कृषि उत्पादन आयुक्तों का सम्मेलन

*682. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री को० सूर्यनारायण :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई से नई दिल्ली में कृषि उत्पादन आयुक्तों का एक तीन दिवसीय सम्मेलन देश में सौभाग्य से कृषि उत्पादन के बढ़ जाने से कृषि विपणन समस्याओं पर विचार करने के लिये हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था को सुधारने के लिये सम्मेलन ने क्या मुख्य सिफारिशें की थीं; और

(ग) यदि हां, तो की गई उन सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है जिन्हें सरकार ने कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्तों का सम्मेलन मई, 1969 में हुआ था। नए संदर्भ में कृषि विपणन समस्या भी कार्य-सूची की मदों में से एक थी।

(ख) सम्मेलन में कृषि विपणन से संबंधित निम्न बातों पर एकमत था:—

(1) राज्यों में विपणन संगठनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और राज्यों को चाहिए कि कृषि में प्रगति के कारण अधिशेष की नयी समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए विपणन संगठनों में सही कार्मिकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए।

(2) सघन विकास क्षेत्रों पर, जहां अधिशेषों की सम्भावना है, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्षेत्र की गहराई में जाकर सर्वेक्षण करने को आधार मानकर नियोजित विपणन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने चाहिएं।

(3) राज्य सरकारों को इस कार्य के लिए अपने स्टाफ के कुछ कर्मचारियों की सेवायें कृषि विपणन सलाहकार को सौंपते हुए कृषि विपणन संगठनों की सहायता के सर्वेक्षण करने चाहिएं।

(4) जहां आवश्यक हो मण्डियों को विनियमित करने के लिए विधान बनाए जाने चाहियें। मण्डियों को विनियमित करने और जहां पर मण्डियां पहले से मौजूद न हों, वहां पर विनियमित मण्डियों की स्थापना के लिए राज्यों को कार्यवाही करनी चाहिए।

(ग) राज्य सरकारों को उपरोक्त बातों पर अनुवर्ती कार्यवाही करनी होगी। इन बातों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने और इस दिशा में राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए सितम्बर, 1969 के शुरू के दिनों में राजकीय विपणन अधिकारियों का एक तीन-दिवसीय सम्मेलन बुलाया जा रहा है।

भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार ने राज्य सरकारों और इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे अभिकरणों के सहयोग से सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम के ज़िलों में सर्वेक्षण की एक योजना बनाई है। यह आगामी कृषि विपणन सम्मेलन के सम्मुख रखी जाएगी।

जहां तक मण्डियों को विनियमित करने के बारे में विधान बनाने का सम्बन्ध है, केरल और नागालैण्ड को छोडकर, समस्त राज्यों ने कृषि-मण्डियों को विनियमित करने के सम्बन्ध में पहले ही विधान बना लिए हैं। अन्य राज्यों को ऐसा विधान बनाने के लिए सहमत किया जा रहा है।

Corruption in Cooperative Societies in Delhi

*683. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of corruption, misappropriation and irregularities are on the increase in the Co-operative Societies of Delhi ;

(b) the number of such cases detected during the last three years ; and

(c) the action being taken by Government to check such irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No Sir. There has been a decrease in the number of cases during 1968-69 as compared to that of 1967-68.

		cases
(b)	1966-67	15
	1967-68	26
	1968-69	23
	TOTAL	64

(c) The Registrar of Cooperative Societies, through the administrative organisation under his control, supervises the working of the cooperative societies. The annual accounts of the cooperative societies are audited by him. In case the working of any society is found to be unsatisfactory, a special enquiry is instituted under section 43 of the Bombay Cooperative Societies Act, 1925. Where necessary, cases are also referred to police for investigation. There is a proposal under consideration of the Delhi Administration to strengthen the audit staff under the Registrar of Cooperative Societies.

बेरोजगारी भत्ता

*684. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बेरोजगारी भत्ता के लिये वैध मांग के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को निभाने के हेतु केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने के बारे में पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री के समाचार-पत्रों में छपे बयान की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सूचना मिली है कि इस संबंध में पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है ।

(ख) देश के सभी बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए बेरोज़गारी भत्ता मंजूर करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पुनर्वास विभाग के फालतू कर्मचारी

685. **श्री बलराज मधोक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग के कुछ कर्मचारियों को इन्दौर सहित बहुत से स्थानों पर फालतू घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो फालतू घोषित किये गये कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें अन्य कार्यालयों में नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या उन्हें अन्य कार्यालयों में नियुक्त किये जाने तक नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) बन्दोबस्त संगठन तथा दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के कर्मचारी वर्ग के कुछ सदस्य, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा किये गये पुनर्विलोकन के फलस्वरूप, फालतू घोषित किये गये थे। दण्डकारण्य परियोजना में परियोजना कर्मचारी समीक्षा समिति द्वारा किये गये पुनर्विलोकन के फलस्वरूप भी कुछ कर्मचारी फालतू घोषित किये गये थे।

(ख) फ़ालतू घोषित किये गये कर्मचारी निम्न थे:—

	फालतू कर्मचारियों की संख्या		
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
(i) बन्दोबस्त संगठन .	391	114	505
(ii) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण	161	60	221
	552	174	726

फालतू हो गये कर्मचारी वर्ग को वैकल्पिक रोज़गार दिलाने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया। तृतीय श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें विभाग में ही उपलब्ध रिक्तियों में नहीं खपाया जा सका, सेवायें गृह-मंत्रालय के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल को अन्य विभागों में पुनर्नियुक्ति के लिये सौंप दी गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा विवरण ऐसी ही कार्यवाही के लिये रोज़गार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय को भेज दिये गये।

निम्न के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति हो चुकी है:—

(i) बन्दोबस्त संगठन के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के 11 सदस्य, उनके नाम भी अन्य संगठनों को भेजे गये हैं और नियुक्ति की पेशकशें शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

(ii) दण्डकारण्य परियोजना के तृतीय श्रेणी के 8 सदस्य। उनकी सेवायें समाप्त करनी पड़ीं क्योंकि उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकी।

फ़ालतू घोषित किये गये कर्मचारियों को, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक नियमित वेतन दिया गया।

राजस्थान में उर्वरकों की चोरबाजारी

*686. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं होते;

(ख) क्या यह भी सच है कि दलाल लोग उर्वरकों को चोरबाजारी से बेचते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार किसानों को उर्वरकों का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) वर्ष 1968 में राजस्थान में किसानों को कितनी मात्रा में उर्वरक दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क)से(घ). राजस्थान सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है जो कि इस विषय से सम्बन्धित है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में चीनी का उत्पादन

*687. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, निर्धारित लक्ष्य क्या है, इस कार्यक्रम पर कितनी लागत आयेगी तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां, । चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973–74 तक अंशतः मौजूदा यूनिटों के विस्तार से तथा अंशतः मुख्यतः सहकारी क्षेत्र में नये यूनिट लगाने से 47 लाख मीटरी टन चीनी के एक उत्पादन स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गयी है । चीनी उद्योग के विस्तार पर लगभग 96 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस दिये जा रहे हैं ।

प्रेस प्रत्यायन समिति द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षण

*688. **श्री जुगल मंडल:** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति ने 1967 से भारतीय तथा विदेशी प्रेस प्रतिनिधियों की सूची का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से मान्यताप्राप्त संवाददाताओं की सूची बड़ी संख्या में जन सम्पर्क प्रतिनिधियों, विदेशी लाबीवालों तथा निष्क्रिय पत्रकारों को मान्यता मिलने के कारण बढ़ी हुई है ;

(ग) क्या प्रेस सूचना विभाग ने ऐसे नकली संवाददाताओं की वास्तविकता की जांच करने के लिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, गुप्तचर विभाग तथा सुरक्षा सेवाओं की सहायता मांगी है; और

(घ) क्या कुछ संवाददाता ऐसे भी हैं; जो अपने समाचार पत्रों के हितों की रक्षा करते हैं और अपने नियोजकों के अन्य आर्थिक हितों की भी रक्षा करते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग म राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (घ). भारत सरकार के मुख्यालयों में प्रत्यायन पूरे समय के लिए काम करने वाले संवाददाताओं/कैमरामैनों को केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति, जिसमें भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ और अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के प्रतिनिधि भी हैं, की सिफारिशों पर दिया जाता है । भारत सरकार द्वारा विदेशी दूतावासों तथा उनकी सूचना सेवाओं के व्यक्तियों को समाचार पत्र संवाददाताओं के रूप में प्रत्यायन नहीं दिया जाता । अपवाद केवल वहां होता है जहां विदेशी

सूचना सेवा का कोई सदस्य पूर्ण समय के लिए अपने देश के रेडियो जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व करता हो। तथापि, विदेशी सूचना सेवाओं के सदस्यों को ऐसे कार्यक्रमों के समाचार लेने की तदर्थ सुविधायें दी जाती हैं जिनमें उनकी विशेष रुचि हो जैसे उनके अपने देशों या सरकार आदि के प्रमुखों की यात्राएं प्रत्यायित पत्र-प्रतिनिधियों की सूची का पुनरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति ने 23 नवम्बर, 1968 को एक उपसमिति नियक्त की थी। समिति ने अपनी चार बैठकें की हैं; सबसे पिछली बैठक 3 जून, 1969 को हुई थी। उप समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति के सामने उसकी अगली बैठक में रखी जाएगी। पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक संवाददाताओं/कैमरामैनों को ही प्रत्याययन संबंधी सुविधाएं प्राप्त हों।

धान तथा गेहूं के वसूली मूल्य

*689. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के लिए विभिन्न राज्यों में धान तथा गेहूं का वसूली मूल्य क्या है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में धान की वसूली मूल्यों में भारी अन्तर होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस अन्तर को दूर करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर खाद्यान्न खरीदता है। धान तथा गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1748/69]**

(ख) खुले बाजार के मूल्यों में परम्परागत अन्तर को प्रतिबिम्बित करते हुए सामान्यतः कमी वाले राज्यों के लिए अधिशेष राज्यों की तुलना में ऊंचे मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

(ग) अधिप्राप्ति मूल्यों में अन्तर्राज्यीय असमानता को कम करने के प्रति सरकार जागरूक है। संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। राज्यों को ऐसे मूल्यों के लिये सहमत करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किये जाते हैं ताकि राज्यों के बीच असमानता को कम किया जा सके।

सरकार की नीति को देखते हुए ट्रैक्टरों का आयात

*690. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में 15,000 पूर्णतः बने हुये ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) आयात किये जाने वाले इन ट्रैक्टरों की क्या किस्में हैं तथा क्या इन में से कुछ की किस्में वही हैं जिनका भारत में इस समय निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) आयात के बारे में भारत सरकार की भावी नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण

4310. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4700 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन भारत के रक्षित बैंक को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के अनुसार ग्रामीण ऋण किस सीमा तक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने कुछ धारणाओं के आधार पर कृषि ऋण की आवश्यकताओं के निम्नलिखित प्रारम्भिक अनुमान लगाए हैं :—

(i) 1973–74 में कुल उत्पादन ऋण आवश्यकता 2,000 करोड़ रुपये ।

(ii) समस्त चौथी योजना के दौरान दीर्घकालीन अवधि वाले विनियोजन ऋण 1,500 करोड़ रुपये ।

(iii) समस्त चौथी योजना के दौरान मध्यकालीन अवधि वाले विनियोजन ऋण 500 करोड़ रुपये ।

पत्रकारों को टेलीफोन देने के नियम

4311. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन नियमों के अन्तर्गत पत्रकारों को 'विशेष श्रेणी' के अन्तर्गत टेलीफोन स्वीकृत किये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को किसी की ओर से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन नियमों में संशोधन किये जायें ;

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार उक्त नियमों के संशोधन के लिए अपेक्षित कार्यवाही करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पत्रकारों के वर्ग के निम्नलिखित प्रकार के आवेदकों के नाम 'विशेष श्रेणी' के अन्तर्गत दर्ज किये जा सकते हैं :—

(i) समाचार एजेंसियां

(ii) अधिकृत संवाददाता

(iii) दैनिक समाचारपत्र

(iv) साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएं

'विशेष श्रेणी' के लिए 'अपना टेलीफोन योजना' वाले पुराने/नये स्थानों के लिए नए कनेक्शनों का निर्धारित कोटा 15/20 प्रतिशत है और 'अपना टेलीफोन योजना से भिन्न' स्थानों के लिए 30 प्रतिशत है। जहां-कहीं टेलीफोन सलाहकार समितियां मौजूद हैं वहां उनकी छानबीन के बाद इस श्रेणी में नाम दर्ज किया जाता है। ये समितियां इस श्रेणी में उनके लिए आरक्षित कुल कोटे के अधिकतम 50 प्रतिशत कनेक्शन बिना बारी के भी दे सकती है।

(ख) जी हां।

(ग) श्री वी० एम० चिनाय, संसद् सदस्य और श्री जार्ज फरनेन्डीज, संसद् सदस्य और दो संघों अर्थात् बम्बई की इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स और बाम्बे यूनियन आफ जर्नलिस्टस ने नियमों को उदार बनाने के लिये इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि 'विशेष श्रेणी' के अन्तर्गत सभी पत्रकारों के नाम दर्ज किये जाने चाहिए।

(घ) सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है, लेकिन नियमों में संशोधन करना अभीष्ट नहीं समझा गया।

निर्वाचन सम्बन्धी आंकड़ों की पुस्तक का प्रकाशन

4312. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिक्री के लिये प्रकाशनों के उत्पादन तथा वितरण के लिए उनके मंत्रालय की कौन सी शाखा अथवा एकक उत्तरदायी है; और

(ख) गृह मंत्रालय के एक कार्यालय द्वारा संकलित निर्वाचन संबंधी आंकड़ों की पुस्तक को प्रकाशनार्थ विज्ञापन निदेशालय को सौंपने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). समूचय प्रकाशन सामान्यतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं, तथापि, विशेष अवस्था में जहां उच्च तकनीकी तथा सांख्यिकी डेटा, छापने की कला, अच्छे स्तर की छपाई आदि तत्व महत्व रखते हों तो ऐसे प्रकाशनों को तैयार करने का काम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, जिसको गैर-सरकारी प्रिन्टरों से भी काम लेने का अधिकार दिया गया है, द्वारा किया जाता रहा है, ऐसा समझा गया था कि चतुर्थ आम चुनाव जैसी पुस्तक (फोर्थ जनरल इलैक्शन) में विशेषोपयुक्त निपुणता की आवश्यकता है, अतएव इसको तैयार करने का काम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को सौंपना चाहिए।

चुनाव आंकड़ों की पुस्तक का प्रकाशन

4313. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के एक कार्यालय द्वारा संकलित चुनाव आंकड़ों की पुस्तक, जिसे विज्ञापन निदेशालय ने प्रकाशित कराया है, के प्रकाशन पर (एक प्रति तथा कुल) कितना खर्च आने का मूल अनुमान था और वास्तविक खर्च कितना आया है;

(ख) इस पुस्तक की कितनी प्रतियां समीक्षा के लिये तथा सम्मानार्थ दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार इस पुस्तक से संबंधित समीक्षा, पत्र, समाचारपत्रों में, टिप्पणियां तथा उनके उत्तरों की प्रतियां जो 30 जून, 1969 तक विभिन्न समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हों, सभा पटल पर रखेगी;

(घ) क्या 1967 के आम चुनावों से संबंधित इस पुस्तक के बारे में चुनाव आयोग से परामर्श लिया गया था; और

(ङ) अब तक इस पुस्तक की कितनी प्रतियां बेची जा चुकी हैं, और इस पुस्तक के संकलन-कर्ताओं तथा सम्पादक को मूल्य वाली इस पुस्तक की कितनी प्रतियां सम्मानार्थ दी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रकाशन की 5000 प्रतियों को तैयार करने का मूल अनुमान 82,500 रुपये (16.50 रुपये प्रति प्रति) था तथा वास्तविक खर्चा 79,652.75 रुपये (15.93 रुपये प्रति प्रति) आया । इसमें सरकार द्वारा दिया गया कागज़ का 23,500 रुपये का खर्चा भी शामिल था ।

(ख) समीक्षा के लिये 17 प्रतियों समेत 268 ।

(ग) जी, हां । "इण्डियन एक्सप्रैस", मद्रास तथा फाइनेन्सल एक्सप्रैस, बम्बई की समीक्षाओं की प्रतियां सभा पटल पर रखी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1749/69]**

(घ) इस प्रकाशन का प्रायोजक रजिस्ट्रार जनरल, भारत था ।

(ङ) अभी तक 436 प्रतियां बिक चुकी हैं, रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया तथा उसके अधिकारियों को, जो इस पुस्तक के संकलन कर्ता थे, दो सौ प्रतियां दी गई ।

चीनी बनाने के नये कारखानों की स्थापना

4314. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य से गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में चीनी बनाने के नये कारखानों की स्थापना के लिए अलग-अलग कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) स्वीकृति देने में, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के मामले में, विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य से प्राप्त किस-किस आवेदन को अच्छी तरह विचार किये बिना ही अस्वीकार कर दिया गया है और किन कारणों से; और

(घ) चीनी बनाने के कारखाने अधिक स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1750/69]**

(ख) मुख्यत: नये चीनी कारखानों के लिए सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस दिये जाते हैं और हाल ही तक ये कारखाने अपनी अधिकांश पूंजी सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम से रुपया-ऋण पर निर्भर करते थे । क्योंकि पहले जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिये गये

थे उनके लिए भी यह व्यवस्था करनी कठिन थी इसलिए समस्या का समाधान होने तक प्राप्त आवेदनों को लम्बित रखना पड़ा। इसके अतिरिक्त, चौथी योजना के लिए क्षमता तथा चीनी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना था और इस पर कुछ समय लगा। ज्योंही चौथी योजना (1969–74) के लिए क्षमता के लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया गया और नई सहकारी समितियों के गठन लगाने का तरीका तैयार कर लिया गया त्यों ही महाराष्ट्र से प्राप्त आवेदन पत्रों सहित अधिकांश प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया गया।

(ग) कोई भी नहीं। आवेदन पत्रों को रद्द केवल उपयुक्त विचार करने के बाद किया जाता था।

(घ) चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस विभिन्न पांच वर्षों के अधीन क्षमता और उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों के प्रति दिये जाते हैं। वर्तमान यूनिटों का विस्तार कर और मुख्यतः सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना कर इस क्षमता के लाइसेंस दिये गये। राज्यवार क्षमता का आवंटन नहीं है और प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्षेत्र में गन्ने की सम्भाव्यता और योजना आदि को कार्यरूप देने की आवेदक की योग्यता को ध्यान में रख कर गुण-दोषों पर विचार किया जाता है।

Appointment of Production Assistants in A.I.R.

4315. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Production Assistants appointed in various Divisions of the All India Radio, New Delhi during 1968 and 1969 and the details regarding their names, educational qualifications and experience in the field ;

(b) whether applications were invited for the posts by advertising them in the daily news-papers ;

(c) the number of applications received and the number of candidates called for interview:

(b) whether it is a fact that senior officers have recruited girls against most of those vacancies while the main duty attached to this post involved outdoor recording which cannot be discharged by girls efficiently ; and

(e) if so, the action proposed to be taken by Government in this behalf?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I .k. Gujral) : (a) Seven. Their names, educational qualifications and experience in the field are given in the statement Laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T—1751/69]

(b) No, Sir. The posts were advertised in AIR journals, displayed on notice boards of AIR stations and announcements were made on the microphone.

(c) 79 candidates applied for the posts out of which 41 were called for interview.

(b) and (e). The work of Production Assistants is normally in the Studios of AIR. only occasionally they have outdoor work. Women are thus as capable as men of discharging the duties. However, no preferences were shown in the selection.

आकाशवाणी में प्रसार प्रबन्धक

4316. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** तथा **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में प्रसार प्रबन्धक संवर्ग कब अस्तित्व में आया;

(ख) उनमें से कितनों को प्रोग्राम प्रबन्धक के रूप में पदोन्नति दी गई है;

(ग) उनमें से कितने अभी भी आकाशवाणी में तदर्थ आधार पर प्रोग्राम प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरने का क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 15 मई, 1957 से ।

(ख) और (ग). 140; उनमें से 85 इस समय तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं, और 6 शीघ्र ही नौकरी शुरू करने वाले हैं ।

(घ) आकाशवाणी के प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूटिव के पद सम्बन्धी वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण ।

टेलीविज़न केन्द्र, दिल्ली में प्रस्तुतकर्ता

4317. **श्री शिवनारायण**
श्री नरदेव स्नातक } : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के टेलीविज़न केन्द्र में काम करने वाले प्रस्तुतकर्ताओं तथा सहायक प्रस्तुतकर्ताओं की संख्या कितनी है, वे किस-किस श्रेणी के कार्यक्रम करते हैं, प्रस्तुतकर्ता/सहायक प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनकी नियुक्ति किस-किस तारीख को की गई तथा उनका चयन कैसे किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि दर्शन कार्यक्रमों के लिए एक प्रस्तुतकर्ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त प्रस्तुतकर्ता एक दूसरी हैसियत में काम कर रहा है तथा उस एकक का काम एक सहायक प्रस्तुतकर्ता (फिल्म लाइब्रेरी) तथा एक ट्रांसमिशन एग्ज़िक्यूटिव द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त सहायक प्रस्तुतकर्ता तथा ट्रांसमिशन एग्ज़िक्यूटिव को यह काम इसलिये सौंपा गया था ताकि उन्हें आस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिल सके तथा वे दोनों व्यक्ति आस्ट्रेलिया हो आये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त कृषि दर्शन प्रस्तुतकर्ता की क्या आवश्यकता है जबकि यह काम अन्य लोगों को भी दिया जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1752/69]**

(ख) और (ग). जी, नहीं । प्रोड्यूसरों के पद काम के विभिन्न मदों के लिये निर्धारित नहीं किये गये हैं । कृषि दर्शन कार्यक्रम एक प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूटिव, एक सहायक प्रोड्यूसर तथा एक ट्रांसमिशन एक्ज़ीक्यूटिव को सौंपा गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के उर्दू कार्यक्रम म वार्ताएं

4318. **श्री शिव नारायण :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के वैदेशिक सेवा विभाग के उर्दू कार्यक्रम के लिये इस विभाग के आरम्भ होने से 30 सितम्बर, 1969 तक वार्ता, प्रसारण तथा नाटकों के लिये कितने व्यक्तियों को बुक किया गया है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को बुक करने के लिये क्या कसौटियां निश्चित की गई हैं; और क्या उनकी कोई विशिष्ट योग्यता आदि रखी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उर्दू सेवा में एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों को ही अधिक संख्या में काम दिया जाता है तथा अन्य समुदाय के व्यक्तियों को अवसर नहीं दिया जाता; और

(घ) उपर्युक्त सेवा में स्टाफ आर्टिस्टों तथा अन्य नियमित कर्मचारियों की संख्या क्या है, उनका कुल मासिक वेतन क्या है तथा उपर्युक्त सेवा पर औसतन मासिक व्यय भी बताना चाहिये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री कु० इ० गुजराल) :

(क) (1) बुक किये गये वार्ताकारों की कुल संख्या 250

(2) बुक किये गये नाटक स्वरों की कुल संख्या . . . 126

(ख) वार्ताकारों को प्रसारण विषय में उनकी विशेषज्ञता और नाटक स्वरों को विशिष्ट रोल अदा करने में उनकी योग्यता के आधार पर बुक किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) (1) सेवा के लिए स्वीकृत स्टाफ इस प्रकार है :—

नियमित . . .	6
स्टाफ आर्टिस्ट . . .	26

(2) स्टाफ के वेतन पर औसतन मासिक व्यय 14,919 रुपये 25 पैसे है ।

(3) सेवा पर औसतन मासिक व्यय 23.106 रुपये 15 पैसे है; इसमें स्टाफ का खर्चा भी शामिल है ।

आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली की स्टाफ कारें

4319. **श्री शिव नारायण :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्रों, तथा टेलीविजन केन्द्र के पास कुल कितनी स्टाफ कारें हैं और वर्ष 1966, 1967, 1968 और जून 1969 तक उक्त प्रयोजन के लिए नियुक्त कर्मचारियों के रखने पर प्रति वर्ष कुल कितना खर्च हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में इन केन्द्रों द्वारा टैक्सी और गैर-सरकारी गाड़ियों को किराये पर लेने में कुल कितना धन खर्च आया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन कार्यालयों के परिवहन यूनिट भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं और उनमें नियुक्त कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय तक वहीं पर नहीं रखना चाहिये और उनको बदलते रहना चाहिये ताकि निहित स्वार्थों को कम किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के आदेश क्या हैं और इनका पालन कहां तक किया जाता है और निरीक्षण दलों ने परिवहन यूनिटों के कार्य संचालन के बारे में क्या रिपोर्ट दी हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी महानिदेशक के लिए एक स्टाफ कार दिल्ली स्थित आकाशवाणी की विभिन्न यूनिटों के लिए 38 ड्यूटी कारें हैं जिनमें चलती फिरती रिकार्डिंग वैन और बाहरी प्रसारण वैन भी शामिल हैं। उनके लिए नियुक्ति स्टाफ के अनुसरण पर कुल वार्षिक व्यय इस प्रकार हैं :—

1966	1,77,167 रुपये
1967	1,91,872 रुपये
1968	2,06,094 रुपये
1969 (जून, 1969 तक) . . .	1,04,794 रुपये

(ख) इन वर्षों में इन यूनिटों द्वारा टैक्सियों/प्राइवेट गाड़ियों को किराये पर देने में हुआ खर्च इस प्रकार है :—

1966 .	30,978 रुपये
1967 . . .	23,961 रुपये
1968	74,566 रुपये
1969 (जून, 1969 तक)	48,443 रुपये

(ग) और (घ) : आकाशवाणी की स्थानीय परिवहन यूनिटों में भ्रष्टाचार का कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं आया है।

गाड़ियों के अनुसरण के लिए नियुक्ति स्टाफ की बदली के बारे में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं। तथापि सरकारी निर्णय के अनुसार, उन अनुभागों के, विशेषकर जिनका जनता से सम्पर्क पड़ता हो, स्टाफ की सिद्धान्ततः बारी बारी बदली होनी चाहिये और इस प्रकार के अनुभागों में एक ही सीट पर किसी भी व्यक्ति को तीन साल से अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, सिवाय उच्चतर प्राधिकारी की अनुमति से।

जहां तक इन गाड़ियों के अनुरक्षण से सम्बन्धित स्टाफ का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई आदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

परिवहन युनिटों के संचालन के बारे में निरीक्षण दलों की रिपोर्ट यह प्रकट नहीं करती कि उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। तथापि, प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं बताई गई हैं और उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है।

सूखे की स्थिति बताने वाला गुजरात का मानचित्र

4320. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे की स्थिति को स्थाई रूप से हल करने के लिये एक 'पायलट प्रोजक्ट' चालू करने के लिए राज्य सरकार से वहां की सूखे की स्थिति बताने वाला गुजरात का मानचित्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता । राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार स्थायी रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के कृषि विकास की योजना केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र से राजकीय क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है ।

गुजरात को गेहूं की सप्लाई

4321. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1968–69 के लिये कितना गेहूं मांगा था ; और

(ख) इस अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कितना गेहूं नियत किया तथा वस्तुतः उसे कितना गेहूं दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) :

वर्ष	(आंकड़े हजार मीटरी टन में) कुल मात्रा जिसके लिये मांग प्राप्त हुई थी	आंवटित की गयी मात्रा	सप्लाई की गयी मात्रा
1968 (जनवरी–दिसम्बर)	410	322	210
1969 (जनवरी–जुलाई)	100	180	83

47 एक्सचेंज, कलकत्ता के ई० एस० पी० के विरुद्ध आरोप

4322. **श्री गणेश घोष** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मार्च मास में कलकत्ता टेलीफोन्स के महाप्रबन्धक का ध्यान कलकत्ता में 47 एक्सचेंज के एक ई० एस० पी० के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सरकारी धन के दुर्विनियोग के इन गम्भीर आरोपों की ओर दिलाया गया था कि वह (1) उपस्थिति नामावली में हेर-फेर करता है (2) उपस्थिति नामावली में अनेक डी० आर० एम० के झूठे नाम दिखा कर, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, नियमित रूप से धन लेता है, (3) निजी कार्यों के लिये विभागीय कार का नियमित रूप से दुरुपयोग करता है और (4) सार्वजनिक टेलीफोन बक्सों से नियमित रूप से स्वयं सिक्के इकट्ठे करता है और सारी राशि कार्यालय में जमा नहीं करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चूंकि इन आरोपों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, कुछ समय पहले डाक व तार महानिदेशक, नई दिल्ली का ध्यान इनकी ओर दिलाया गया था परन्तु उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की; और

(ग) क्या सरकार का विचार विस्तृत जांच तथा उपचारात्मक कार्यवाही के लिये यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के कर्मचारियों का तबादला

4323. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो सहायक केन्द्र निदेशक, कार्यक्रम संचालक, प्रेषण संचालक, सहायक अभियन्ता, सहायक केन्द्र, इंजीनियर, वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक इंजीनियरिंग सहायक गत आठ वर्षों से आकाशवाणी दिल्ली, समाचार प्रभाग, विदेश-सेवा प्रभाग, विविध भारती, दूर-दर्शन केन्द्र निदेशालय तथा दिल्ली में स्थित अन्य आकाशवाणी एककों में काम कर रहे हैं; उनकी संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं और वे किस-किस तारीख से दिल्ली में तैनात हैं;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कर्मचारियों को, जो दिल्ली में एक निश्चित अवधि के लिये सेवा कर चुके हैं; दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ; और

(ग) जो कर्मचारी लम्बे समय से दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन्हें किन विशेष परिस्थितियों में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जाता ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है ? **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1753/69]**

(ख) और (ग) :— वे व्यक्ति जो दिल्ली में काफी समय, प्राय: 5 वर्ष या इससे अधिक से हैं, स्थानान्तारित किये जाते हैं । तथापि, कुछ अधिकारियों को उनकी लम्बी अवधि तक रहने के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में जैसे अनुसंधान, टेलीविजन इत्यादि में उनकी विशेषज्ञता के कारण या अनुकम्पा आधार पर उनको स्थानाल्तरित नहीं किया गया है । तथापि, सरकार इस विषय का पूर्णरूप से पुनर्विलोकन कर रही है ताकि एक समान नीति निर्धारित और कार्यान्वित की जा सके ।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के अधिक दाम

4324. **श्री दे० चि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यत: सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से वहां के आदिवासी क्षेत्रों में गत तीन महीनों से खाद्य पदार्थों के भाव बहुत बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इस क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थों के जो मूल्य रहे हैं वे इसी अवधि में अन्य राज्य में इनके मध्यमान भावों से कितने अधिक थे या कम थे ;

(ग) मध्य प्रदेश में और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मूल्य रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के मूल्य कम रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले तीन महीनों में आदिम जाति के क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोतरी हुई हैं ।

(ख) मई-जुलाई, 1969 के दौरान मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1754/69]**

(ग) मूल्यों में यह बढ़ोतरी मौसमी है । आदिम जाति के क्षेत्रों जोकि मुख्यत: पहाड़ी और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, सप्लाई के लिए सहवर्ती क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं : संचार के अन्य साधनों से खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होती है ।

(घ) राज्य सरकार बढ़ते हुए मूल्य पर निगरानी रखने के लिए 1968–69 के मौसम में अधिप्राप्त ज्वार को सरकारी वितरण प्रणाली से वितरित कर रही है । सरकारी प्रणाली के माध्यम से जरुरतमन्द इलाकों में वितरण करने के लिए गेहूं चावल और माइलों का पर्याप्त स्टाक भी दिया गया है ।

मध्य प्रदेश में अधिक उपज वाली किस्मों के विकास का कार्यक्रम

4325. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 में या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में अनाजों तथा अन्य कृषि जिन्सों की अधिक उपज वाली किस्में विकसित करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा और इसके अन्तर्गत किन-किन जिन्सो का विकास किया जायेगा तथा प्रत्येक जिन्स की काश्त कितने-कितने क्षेत्र में की जायेगी; और

(ग) राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्रीय सरकार से क्या और कितनी सहायता मांगी है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश की वन सम्पदा से निकले माल पर स्वामित्व में वृद्धि

4326. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह मांग की है कि राज्य की जन सम्पदा से निकाले गये माल पर स्वामित्व की दर में वृद्धि की जाये;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वस्तुतः क्या मांग की है और स्वामित्व में कितनी वृद्धि की मांग की है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है, और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी, दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र द्वारा की गई खरीद

4327. **श्री शिव नारायण** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, दिल्ली के टेलिविजन केन्द्र में मेक-अप का सामान, प्रयोगशाला उपकरण, टेलीविजन फिल्में, प्लाईवुड तथा सेंटों के डिजाइन बनाने और निर्माण करने सम्बन्धी अन्य सामान किस प्रकार खरीदा जाता है और यह खरीदारी किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा की जाती है;

(ख) क्या इस सामान की प्रति वर्ष जांच की जाती है तथा ऐसी जांच कितनी बार की गई है, और

(ग) ऐसी जांच के क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) सेटों के डिजाइन बनाने और उनका निर्माण करने के लिए मेक-अप के सामान, प्लाइवुड व अन्य सामान तथा प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद इस प्रकार की जाती है :—

(1) ख्यातिप्राप्त फर्मों से प्राप्त सब से कम कोटेशन के आधार पर,

(2) सुपर बाजार, सरकारी इम्पोरियम आदि जैसे स्थानों से उनकी निश्चित दरों पर और

(3) जब कोई छोटी वस्तु लेनी हो तो खुली मार्केट में जांच करके सबसे कम उपलब्ध रेटों के आधार पर ।

टेलीविजन फिल्में स्वीकृत दरों पर या तो किराये पर ली जाती हैं या खरीदी जाती हैं : तथापि सभी, वस्तुओं की खरीद टेलीविजन केन्द्र के सहायक केन्द्र निदेशक / निदेशक की मंजूरी ली जाने के बाद ही की जाती है ।

(ख) जी, हां । स्टाक की हर वर्ष जांच की जाती है ।

(ग) कोई त्रुटि नहीं देखी गई ।

अमरीका से उर्वरकों का आयात

4328. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष अमरीका से कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1968–69 के दौरान अमरीका से आयात किए गए उर्वरकों की मात्रा और रुपयों में उनका मूल्य निम्न प्रकार है :—

उर्वरक की किस्म	मात्रा (मीटरी टनों में)	मूल्य (करोड़ों में)
नाइट्रोजन	417472	85.67 रुपये
फासफेटिक	119941	
पोटासिक . . .	20637	

तमिल नाडु में समन्वेषी नलकूप संगठन

4329. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा स्थापित संगठन के नमूने का एक समन्वेषी नलकूप संगठन स्थापित करने का तामिल नाडु सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) अन्य राज्यों को ऐसे ही संगठन स्थापित करने के लिए उत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तमिल नाडु सरकार राज्य में भूमिगत जल संसाधनों का क्रमबद्ध सर्वेक्षण करने के लिए एक भूमिगत जल सैल की स्थापना कर चुकी है ।

(ख) इस सैल का मुखिया एक अधीक्षक अभियन्ता है, और इसमें 6 भू–विज्ञानी और अभियंता शामिल हैं । इस कार्यक्रम में भूमिगत जल के आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा सम्पादन करना, समन्वेषी छिद्रण और भूमिगत जल विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शन और विनियमन के लिए हाईड्रोलोजिकल नक्शे और रिपोर्ट तैयार करना शामिल है ।

(ग) इस मंत्रालय ने 1966–67 में राज्यों के हाईड्रो–जियालोजिकल सैल्स द्वारा भूमिगत जल की विस्तृत जांच-पड़ताल करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को आरम्भ किया था । तमिलनाडु के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भी ऐसे ही सेलों की स्थापना की है । अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध म चिकनाई की कमी

4330. **श्री अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध में चिकनाई की मात्रा घट गई है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना के भैंस के टोंड तथा डबल टोंड और गाय के दूध में चिकनाई की मात्रा कितनी होनी है, इसमें कितनी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वितरित किये जाने वाले सभी प्रकार के दूध में चिकनाई अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) भैंस के दूध के सिवाय, जिसकी सप्लाई बन्द करके उसके स्थान पर 10 जून 1965 से मानकीकृत दूध सप्लाई किया जा रहा है, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संभरण होने वाले सब प्रकार के दूध में चिकनाई की मात्रा अपरिवर्तित रही है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की किस्में और उनकी निर्धारित न्यूनतम चिकनाई की मात्रा निम्न प्रकार है :—

दूध की किस्में	न्यूनतम चिकनाई	टिप्पणी
1. भैंस का दूध	6.5 प्रतिशत	5-5-65 से सप्लाई बन्द कर दी गई थी।
2. मानकीकृत दूध . .	5 प्रतिशत	10-6-65 से सप्लाई को प्रारम्भ किया गया था।
3. गाय का दूध . .	4.00-4.5 प्रतिशत	—
4. टोंड दूध . .	3 ,,	—
5. डबल टोंड दूध .	1.5 ,,	—
6. निर्जीवीकृत दूध . .	3 ,,	—

(ग) दूध की प्राप्ति, रख-रखाब और परिष्करण के विभिन्न स्तरों पर दूध के नमूनों की परीक्षा की जाती है और केवल निश्चित न्यूनतम चिकनाई की प्रतिशतता वाले दूध को ही वितरित किया जाता है।

आकाशवाणी के प्रोड्यसरों का स्थानान्तरण

4331. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी**
श्री शिव नारायण

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री सहायक प्रोड्यूसरों/प्रोड्यूसरों के बड़ी संख्या में स्थानान्तरण के बारे में 31 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1711 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली स्थित केन्द्रों के उन स्टाफ आर्टिस्टों, सहायक प्रोड्यूसरों और प्रोड्यूसरों के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस तिथि को नियुक्त किये गये थे जिनका अभी तक वहां से तबादला नहीं किया गया है ; और

(ख) उनको स्थानान्तरित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन प्रोड्यूसरों/सहायक प्रोड्यूसरों के नाम दिये गये हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से दिल्ली में हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1755/69]**

(ख) स्थानान्तरण कुछ समय के अन्दर प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार जायेगें ।

Telephone connections in Gorakhpur

4332. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communicatons** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that corrupt traders regularly bribe the employees of the Telephone Exchange, Gorakhpur and those who do not do so do not get Telephone connection ;

(b) whether certain employees connect Trunk calls wrongly with other traders and also connect Telephones with other stations without booking by taking half the charges ;

(c) whether it is also a fact that they take 10 to 15 minutes when any number is asked for from the Exchange ; and

(d) whether Government propose to enquire into those facts through Intelligence Department and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). No such case has come to the notice of the Department.

(c) No.

(d) In view of such an allegation being made on the floor of the House, the vigilance organization of the department will be asked to make preliminary enquiries.

भूमिगत जल के लिये राजस्थान का सर्वेक्षण

4333. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त राजस्थान में भूमिगत जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चौथी योजना में केन्द्रीय सहायता से जल के उन संसाधनों की खोज के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिनका अब तक पता नहीं लगाया गया था ; और

(घ) बनाये गये कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने लगभग सारे राज्य में फैले हुये लगभग 1,34,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भू-जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है । इस मंत्रालय की समन्वेषी नलकूप संस्था ने 11 जिलों में 94 समन्वेषी छिद्रण किये हैं जिनमें से सिंचाई की दृष्टि से 21 छिद्रण सफल

सिद्ध हुये हैं। समन्वेषी नलकूपों के लिए 281 छिद्रण किये हैं, जिनमें से 170 छिद्रण सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त समन्वेषी नलकूप संस्था ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान के जेलौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के चुने हुये क्षेत्र में भूमिगत जल के निर्धारण के लिये विस्तृत अध्ययन के लिये एक परियोजना चालू की है। भू-गर्भ जल विकास कार्यक्रम के निर्देशन तथा नियमन के लिए राज्य ने अपना एक भू-गर्भ जल सेल भी स्थापित किया है जिसका उद्देश्य भू-गर्भ जल आंकड़ों को एकत्रित करने, उनका समन्वय करने, समन्वेषी छिद्रण करने के लिये भूमिगत जल सम्बन्धी नक्शे तैयार करना और रिपोर्ट तैयार करना है।

(ग) और (घ). लघु सिंचाई योजनाओं के लक्ष्यों (जिसमें भूमिगत जल का शोषण भी शामिल है) का निर्णय राज्य के कुल वित्तीय संसाधनों के आधार पर किया जाता है और इन संसाधनों में उनका अपना भाग तथा केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। चतुर्थ योजना के लक्ष्यों में खुदाई के 18,000 नलकूपों का निर्माण करना, 2900 खुदाई के नलकूपों का छिद्रण, खुदाई के 69,750 नलकूपों को गहरा करना तथा 475 नलकूपों का निर्माण करना शामिल है। राज्य सरकार का एक भू-गर्भ जल बोर्ड है जिसके पास किसानों के लिये छिद्रण कार्य करने के लिये, 33 रिगें मौजूद हैं।

चोर बाजार में आयातित ट्रैक्टरों का मूल्य

4334. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित ट्रैक्टर चोर बाजार में दुगुनी कीमत पर बिक रहे हैं ;

(ख) क्या चौथी योजना में सरकार का ट्रैक्टरों को किराये पर देने के लिए किराये पर ट्रैक्टर देने वाले केन्द्र खोलने का विचार है ;

(ग) ये केन्द्र कहां खोले जायेंगे ; और

(घ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो ट्रैक्टरों को चोर बाजार में बेच रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि आयातित ट्रैक्टर चोर बाजार में दुगुनी कीमत पर बेचे जा रहे हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने किसानों को उचित दरों पर ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि मशीनरी देने के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि ट्रैक्टर किराए पर देने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना प्रायोजित की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 240 पूर्णतया सुसज्जित उप-केन्द्रों सहित 30 केंद्रों की स्थापना करना है ताकि विभिन्न कृषि कार्यों को यांत्रिक रूप से शुरू किया जा सके और किसानों को इन एककों की सेवायें उपलब्ध की जा सकें। चौथी योजना के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रों के स्थान के बारे में यथा समय निर्णय किया जाएगा। फिर भी 1969–70 के दौरान कृषि मशीनरी को किराये पर देने वाले ग्यारह केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें से एक एक केन्द्र उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, केरल, बिहार तथा दो दो केन्द्र मैसूर तथा आन्ध्र

प्रदेश में स्थापित किए जायेंगे । ये केन्द्र कृषि-उद्योग निगमों द्वारा आयोजित किए जायेंगे और उन्हीं के द्वारा चलाये जायेंगे ।

(घ) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

जोरबाग एक्सचेंज (नई दिल्ली) में टेलीफोन के तार (केबल) बिछाना

4335. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के जोरबाग एक्सचेंज क्षेत्र में अतिरक्त केबल बिछाने के काम में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जोरबाग एक्सचेंज क्षेत्र में 79.4 प्रतिशत केबल बिछाए जा चुके हैं ।

(ख) देश में आम तौर पर केबल की कमी के कारण अब तक बाकी केबल नहीं बिछाए जा सके । चालू वर्ष के दौरान दिल्ली टेलीफोन ज़िले को अतिरिक्त केबल सप्लाई करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

आर्वी (पूना) में भू-उपग्रह केन्द्र

4336. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्वी (पूना) में वाणिज्यिक भू-उपग्रह केन्द्र कब तक बन कर पूर्ण हो जायेगा ;

(ख) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा तथा इस परियोजना पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) क्या इस से हमारे टेलीफोन, रेडियो और टेलीवजिन व्यवस्था के विस्तार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) पूना के निकट आर्वी में अवस्थित, वाणिज्यिक-उपग्रह के भूमि-स्थित-केन्द्र के फरवरी, 1970 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है ।

(ख) इस भूमि-स्थित-केन्द्र पर कुल 522.60 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें 250.90 लाख रुपये का विदेशी-मुद्रा-व्यय शामिल होगा ।

(ग) वाणिज्यिक-उपग्रह के आर्वी में अवस्थित भूमि-स्थित-केन्द्र की स्थापना से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन, तार, टेलेक्स तथा अन्य सेवाओं के विस्तार पर काफी प्रभाव पड़ेगा । क्योंकि इस केन्द्र का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार परियात को संभालना ही है अतः देश की आंतरिक टेलीफोन, रेडियो और दूर-दर्शन व्यवस्था के विकास पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Preservation of Green Fodder

4337. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether a system of preserving green fodder by spreading propionic acid has been discovered ; and

(b) if so, the details of experiments being made in India in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No such experiments have been carried out. However during silage making from green fodder among other acids, lactic acid and propionic acids are formed due to microbial action. Those acids act as preservatives for the silage.

(b) Does not arise.

Legislation regarding Joint Management Council

4338. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the reasons for not enacting a law relating to Joint Management Council keeping in view its good results and indifferent attitude of mill-owners in this ragard ; and

(b) the reasons for not applying the Joint Management Council system in all the factories in the public sector till a law is enacted in this behalf ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The scheme of Joint Management Councils was introduced by Government in 1958 after tripartite discussions. The consensus of opinion that emerge from these discussions was that the scheme should be worked on a voluntary basis, and not under compulsive legislation.

Script Writers for Agriculture Programmes

4339. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the qualifications of the Script Writers for agricultural programme broadcasts from A.I.R. ; and

(b) whether they possess only bookish knowledge or have attained practical knowledge of the subject after living among the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) : (a) No special qualifications have been prescribed for Script Writers for agricultural programmes, but a copy of the standard qualifications prescribed for this category of Staff Artists is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1772/69]

(b) Most of the Script Writers handling agricultural programmes have practical experience.

Supply of Fertilisers to Farmers

4340. Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken during 1966-69 to supply fertilisers to the farmers at cheap rates and the results thereof ;

(b) the changes effected in these steps recently and proposed to be effected in the future; and

(c) the present as well as the probable results of such changes ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The following steps have been taken from time to time during the priod 1966—69 to supply fertilisers to the farmers at cheap rates :

(i) The operations of the Central Fertiliser Pool are oriented to the procurement and supply of fertilisers to the farmers at the cheapest possible cost by importing fertilisers from foreign countries at the most competitive prices through a system of centralised purchasing by the Department of Supply, by engaging ships at the most competitive freight rates, by increasing imports of fertilisers in bulk subject to limitations of the material and the port capacities. etc.

(ii) Till January 1969, the domestic production of fertilisers was mainly being distributed through the Central Fertiliser Pool by paying the local factories the retention prices based on the cost of production of the factories as determined by the Cost Accounts Officers of the Ministry of Finance. These, together with the imported material, were sold to the farmers at a 'no-profit, no-loss' price. With a view to encouraging local manufacturers to develop competitive marketing and cost reductions in their operations, it was decided not to take any part of their output for distribution through the Pool from the 1st January, 1969. However, the Government have still the option to take over 30% of their domestic production, should that be necessary to maintain reasonable prices of fertilisers.

(iii) The farmer-oriented price policy of the Central Fertiliser Pool is also followed by the Public Sector fertiliser manufacturers who account for more than 60% of the total Nitrogen capacity at present. They have been asked to allow, the same Pool prices and not to charge higher prices than the maximum retail prices fixed for each fertilisers.

(iv) The Government of India have fixed ditribution margins separately for each type of fertiliser to prevent the distributing system from over-charging the farmers.

(v) The prices of four major fertilisers, *viz.*, Ammonium Sulphate, Urea, Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate Nitrate, are statutorily controlled and any instance of selling them at higher prices is immediately investigated by the State Government and action taken under the Fertiliser Control Order, 1957.

(vi) The business operations of the Pool are constantly reviewed and attempts are made to pass on to the farmers the economies effected in the import costs of fertilisers. Recently, the price of Ammonium Sulphate was reduced by Rs. 10/- as a result of this review.

(vii) When the Rupee was de-valued in 1966, Government took a decision not to increase the prices of fertilisers upto 31st March, 1967 and thus subsidise the prices at a cost of Rs. 40·65 crores to the Pool. However, in view of the decision of the National Development Council against subsidising agricultural inputs, the prices had to be revised upwards as a result of devaluation, with effect from 1st April, 1967.

The cost of production of indigenous fertiliser factories and consequently their sale prices are expected to come down with the establishment of large-sized factories and with the manufacture of concentrated complex fertilisers.

(c) It is expected that the steps mentioned in (a) and (b) above will keep the prices of fertilisers within reasonable limits at which the farmer would get substantial returns by optimal application of fertilisers.

Visit by Japanese Agricultural Survey Team

4341. **Shri Brij Bhusham Lal :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Banjeet Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Japanese Agricultural Survey Team toured India from the 10th February to the 19th March, 1969;

(b) if so, the places visited by them and the nature of survey conducted ; and

(c) the details of the recommendations made in their report and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Japanese Agricultural Survey Team visited the four Agricultural Extension Centres at Arrah (Bihar), Vyara (Gujarat), Mandya (Mysore) and Khopoli (Maharashtra) and also Dandakaranya Project. The team undertook a study tour and held discussions with Officers of State and Central Government.

(c) The report of the team containing the detailed recommendations are not available to Government of India. However, during the discussios in this Ministry the Japanese team agreed to provide further technical assistance for (i) stepping up the activities of the extension centres at Arrah, Vyara and Mandya, both at the farms and in the villages of the districts in which the farms are located, particularly for promoting the farm mechanisation by providing to extent possible, agricultural machinery service and demonstrations to private farmers, and (ii) organising an area development and farm mechanisation programme on a more extensive scale in the Kolaba district of Maharashtra in which the Khopoli centre is located.

Agricultural Universities in the States

4342. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Tulsidas Dasappa :
Shri Gadilingana Gowd :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Education Commission had recommended that there should be at least one Agricultural University in each State to co-ordinate education research and spread of education ; and

(b) if so, the names of the States in which such Universities do not exist and the date by which they would be opened there ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) 1. Bihar.
2. Gujarat.
3. Haryana (At present Punjab Agricultural University is catering to the needs of this State under the provisions of the Punjab Reorganisation Act, 1966).
4. Jammu and Kashmir.
5. Kerala.
6. Tamil Nadu.
7. Nagaland.

Since the final decision on the establishment of Agricultural Universities rests with the State Governments, it is difficult to say how much time will be taken by the State Governments to open Agricultural Universities.

भूमिगत जल के निकालने को नियंत्रित करने के लिये विधान

4343. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री झा० सुन्दरलाल :
श्री प० म० सईद :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे जल सप्लाई समाप्त न होने देने के हेतु भूमिगत जल निकालने को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त विधान लागू करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय कार्यकारी दल ने लघु सिंचाई के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए यह सिफारिश की थी कि राज्यों को यथाशीघ्र समुचित भूमिगत जल विधान बनाने की दिशा में सक्रिय विचार करना चाहिए, ताकि सुरक्षित सीमाओं के अन्तर्गत भूमिगत जल की उत्पत्ति को विनियमित और नियंत्रित किया जा सके। इस मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को कार्यकारी दल की सिफारिशों से अवगत करा दिया था।

(ख) मई, 1969 में हुए राजकीय कृषि उत्पादन आयुक्तों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन का बहुमत यह था कि अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जबकि भूमिगत जल विकास को विनियंत्रित और नियंत्रित करने के लिए कानूनी उपाय करना आवश्यक हो गया है। परन्तु इस बात को मान लिया गया है कि ऐसे कानूनी उपायों की क्रियान्विति से पूर्व, वैज्ञानिक पद्धति से भूमिगत जल की जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा। इस सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि भारत सरकार राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श विधेयक का मसौदा तैयार करे। मन्त्रालय ने इस आदर्श विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

संसद् सदस्य द्वारा आकाशवाणी के विदेश प्रचार डिवीजन के विरुद्ध शिकायत

4344. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के विदेश प्रचार डिवीज़न के ठीक प्रकार से कार्य न करने के बारे में कुछ संसद् सदस्यों के पत्र मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके पत्रों में क्या लिखा हुआ था ; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) पत्रों में यह बात कही गई थी कि कुछ विदेशियों ने करार की अवधि से पूर्व विदेश सेवा प्रभाग छोड़ दिया है, दुर्व्यवहार तथा षड़यन्त्र की शिकायतें हैं, सुपरवाइज़र के गैडर में पदों के होने के कारण विदेशी सेवा का स्तर ह का हैं, कार्यक्रम आकर्षक नहीं है तथा विदेशी सेवा प्रभाग में राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं ।

(ग) जांच करने पर पता लगा है कि विदेशियों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रभाग छोड़ा तथा आम तौर पर अन्य शिकायतों में कोई सार नहीं था । तथापि, विदेश सेवा प्रभाग के व्यक्तियों की काम करने की शर्तों में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है । विदेश सेवा प्रभाग के कर्मचारियों का उपलब्धियों तथा अन्य सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । जब भी कोई ठोस शिकायत मिलती है उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है ।

Training of farmers about Modern Methods of Cultivation

4345. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the farmers do not have knowledge about improved seeds, modern implements and modern methods of cultivation as a result of which the agricultural production is not increasing adequately ;

(b) if so, whether Government would consider a proposal to educate the farmers in respect of the above mentioned items by taking them to the State farms on Government expense ;

(c) if so, the time by which this training is likely to be started ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) : Knowledge of improved beeds, modern implements and modern methods.of cultivation is carried to the farmers through extension activities which now from an integral part of the production effort. These activities have been continuing now for several years and are being progressively intensified to cover more and more farmers. Under the scheme 'Farmers Training and Education' already taken up in 50 selected High Yielding Varieties Programme Districts and proposed to be extended to another 50 districts during the Fourth Plan period, farmers are to be afforded comprehensive knowledge about the package of improved practices ; this effort is to be carried out through demonstrations

supported by audio-visual aids ; visit to State Farms, research stations, etc., is an integral element of the effort. Under this programme, farmers will, to the extent possible be provided opportunities to visit the Government farms and other farms of progressive farmers, within and outside the states.

(c) The scheme of 'Farmers Training and Education' was started on a pilot basis in 1966-67 and has been expanded from year to year thereafter.

(d) Does not arise.

Shortage of Economic Experts

4346. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation be pleased** to state :

(a) whether the news item, published in the Statesman (Calcutta edition) on the 12th May, 1969 that there is shortage of economic experts in the country whereas technical persons are unemployed, is correct ; and

(b) if So, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation on (Shri Bhagwat Zha Azad) : (a) & (b). The imbalances in the demand for and supply of experts and technical manpower in various categories do occur. They are reviewed by the Government and efforts are made to reduce such imbalances to the extent possible.

राज्य मंत्री द्वारा मंजूर किये गये टेलीफोन

4347. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री कार्तिक उरांव :
श्री तेन्नटि विश्वनाथम :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग में राज्य मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये थे उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं ; और

(ख) उन्होंने कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये हैं, उन व्यक्तियों के नाम तथा पते क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : मंत्री जिन टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी देते हैं, उनका कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता। फिर भी, यह सूचना एकत्रित की जा रही है, और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

4348. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969–70 में उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : 1969-70 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

1. अफजलगढ़
2. बंहरू
3. भदोही
4. भांगांव
5. मोजीपुरा
6. बिलसांडा
7. दौराला
8. दाईवाला
9. गौरी बाजार
10. हलदुआ
11. हसनपुर
12. जलालाबाद
13. जलालपुर
14. जवार
15. झिंझक
16. लार
17. महामदी
18. महाराजगंज
19. मिहीन पुरवा
20. मीरापुर कटरा
21. मुहम्मदाबाद (कानपुर डिवीजन)
22. मुहम्मदाबाद (गोरखपुर डिवीजन)
23. मोहनलाल गंज
24. मुस्तफिर खाना
25. मसूरी
26. प्रयागपुर
27. शाकपुर
28. सिघौली
29. सितारगंज
30. सांख
31. तिरवा
32. घाना भवन

जेनेवा में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

4349. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1969 में जेनेवा में कोई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ था ;

(ख) सम्मेलन में किन अन्य देशों ने भाग लिया था; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 121 सदस्य-राज्यों में से 116 देशों ने जिनमें भारत भी है, सम्मेलन में भाग लिया । भाग लेने वाले देशों के नाम सभा पटल पर रखे गये परिशिष्ट में दिये गये हैं **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1756/69]**

(ग) सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ (i) 1970-71 की द्विवार्षिक अवधि के लिए 5 करोड़ 97 लाख 10 हजार डालर का निबल बजट व्यय स्वीकार किया, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक द्वारा सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए विश्व रोजगार कार्य-क्रम के बारे में सुझाये गये प्रयास का औपचारिक रूप से समर्थन किया और (iii) कृषि में श्रमिक निरीक्षण संबंधी अभिसमय तथा सिफारिश और डाक्टरी देख-रेख व बीमारी लाभ संबंधी एक अभिसमय और सिफारिश स्वीकार की ।

भारतीय खाद्य निगम में छंटनी

4350. **श्री तुलशीदास जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में हाल में कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य निगम में नियमित स्टाफ की कोई भी छंटनी नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की किस्म में गिरावट

4351. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनता की इस आम शिकायत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध का गुण-प्रकार तथा जीवाणु किस्म बनाये रखने का स्तर गिर गया है ; और

(ख) खरीदे जाने वाले दूध के निरीक्षण के लिये विशेष रूप से क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) दिल्ली दुग्ध योजना में एक गुणनियन्त्रण प्रयोगशाला मौजूद है जो माहिर कर्मचारियों की देख रेख में चलाई जा रही है। इस योजना द्वारा निर्मित होने वाले उत्पादों और दूध की कोट पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है। विभिन्न स्तर पर नमूने लिये जाते हैं और जीवाणुओं व गुणों की दृष्टि से उनकी जांच की जाती है यह शिकायत दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संभरित किये जाने वाले दूध का स्तर गिर गया है औचित्यपूर्ण नहीं है ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने अपने दुग्ध एकत्रण और प्रशीतन केन्द्रों पर गुण नियन्त्रण प्रयोगशालायें स्थापित की हैं, जहां दूध को स्वीकार करने से पूर्व उसकी क्वालिटी की भली प्रकार जांच कर ली जाती है। केन्द्रीय डेरी की गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला के अधिकारियों द्वारा भी दूध के गुणों की आकस्मिक जांच की जाती है ।

ग्राम सेवक

4352. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम सेवक का पद स्थायी नहीं बनाने के क्या कारण हैं ;

(ख) यदि वित्तीय आपत्ति है, तो इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को अनुदान नहीं देने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में सभी सरकारी गतिविधियों के बारे में प्रगति का एक मासिक प्रतिवेदन निश्चित किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (घ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में बेरोजगारी

4353. श्री लोबो प्रभु : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में इस समय बेरोजगारों की संख्या अब बढ़ कर 12 लाख हो गई है जो कि 1964 में 7.5 लाख थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 211 औद्योगिक संस्थान बन्द हो गये हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों के बारे में बेरोजगारी की तदनुरूप स्थिति सुनिश्चित कर ली है ; यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आवश्यक आंकड़ों के बारे में पूछने का है? और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रबन्धकों द्वारा दिये गये कारण योजना के अनुसार हैं क्या सरकार ने औद्योगिक संस्थानों को बन्द करने की समस्या की जांच की है ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : : (क) और (ग) केरल अथवा अन्य राज्यों में बेरोजगारी के यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बेरोजगारी तथा तदानुरूप स्थिति का अनुमान लगाने का रीतिविधान विशेषज्ञों की समिति के विचाराधीन है ।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

सहकारी उपभोक्ता स्टोरों का कार्य संचालन

4354. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितने सहकारी उपभोक्ता स्टोर चलाये जा रहे हैं और उन में से प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उनके कार्य का क्या परिणाम रहा है, उनमें हुए लाभ और हानि तथा बिक्री के आंकड़े क्या हैं और यदि हानि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उन स्टोरों के कार्य से सन्तुष्ट है और यदि नहीं, तो उनके कार्य में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने इन स्टोरों के कार्य की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) उपभोक्ता सहकारी भंडार इस मंत्रालय द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। वे सम्बन्धित राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के सहकारी समिति अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाते हैं और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, जो उन्हें वित्तीय सहायता भी सुलभ करते हैं. के सांविधिक नियंत्रण में हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1966–67 से 1968–69 तक राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को उनके उपभोक्ता सहकारी कार्यक्रमों के लिए 12.30 करोड़ (लगभग) की वित्तीय सहायता सुलभ की गई। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की अंशपूंजी में 15 लाख रुपये का अंशदान दिया।

(ख) एक विवरण जिसमें उपभोक्ता सहकारी भंडारों के गत तीन वर्षों के कार्यकरण के परिणाम दिए गए हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी—1757/69]**

(ग) बहुत से भंडारों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं रहा है। चूंकि सहकारिता राज्य विषय है, अतः प्रत्येक मामले में, सम्बन्धित सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा की गई लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण के आधार पर, राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आवश्यक प्रतिकारक उपाय किए जाते हैं। उनकी समस्याओं तथा उनमें सुधार करने सम्बन्धी उपायों के बारे में गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में अध्ययन तथा विचार-विमर्श भी किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Late Delivery of Telegrams

4355. Shri Prem Chand Verma : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that telegrams are delivered late as compared to letters, if so, the number of complaints received and the number of complaints inquired into and the results thereof;

(b) whether Government propose to give special instsuctions to the Telegraphs Department to perform their duties properly so that telegrams may be delivered in time; and

(c) whether Government are aware that telegrams in Hindi are delivered later than those in English and if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No complaints expressed specifically in these terms have been received but complaints are being received about delay in the delivery of telegrams. The total number of complaints of late delivery of telegrams received during the

last year was 9,514. The telegrams were delayed in delivery due to interruption over the circuits caused by natural or other reasons beyond the control of the Department and also some times due to lapses on the part of the staff. Steps are taken to avert such situations and the officials at fault brought to book suitably.

(b) The existing regulations already include instructions to the staff in this regard.

(c) Complaints regarding delay in delivery of telegrams filed in Devnagri script are not dealt with separately and separate figures of delay to such telegrams are not available. It may be stated that Devnagri telegrams are routed on the same circuits as the telegrams in Roman script. Delay to Devnagari telegrams is, however, sometimes caused by sudden absenteeism of Devnagari signallers in remote telegraph offices where only one signaller may be working.

Modern Bakeries (India) Ltd.

4356. Shri Prem Chand Verma :
Shri Sradhakar Supakar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the branches of the Modern Bakeries (India) Ltd., which have started production have submitted their profit and loss accounts for the period ending the 31st March, 1969 and the details of profit or loss in each case ;

(b) whether it is a fact that the private bakeries and the shopkeepers have joined hands not to sell the products of the Modern Bakeries Ltd., and if so, whether the company propose to make its own arrangements to sell its products ; and

(c) whether it is also a fact that the advertisement of the Modern Bakeries Ltd. is broadcast from the All India Radio in English in Hindi bulletins and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The units of Modern Bakeries (India) Ltd., at Ahmedabad, Bombay, Cochin, Delhi and Madras have started production. The profit and loss accounts of the Company for the period ending 31st Macrh, 1969 is not yet available as this has not yet been finalised.

(b) No, Sir.

(c) The Commercial advertisements over All India Radio of the Modern Bread are in English at present but, arrangements are being made for advertisements in Hindi also from Bombay and Delhi stations.

दिल्ली में सुपर बाजार को राज सहायता

4357. श्री सीताराम केसरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 और 1968–69 में दिल्ली में विभिन्न सुपर बाजारों को सरकार ने कितनी राजसहायता दी है ;

(ख) क्या इन सुपरबाजारों में बेची जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के मूख्य बाजार में प्रचलित मूल्य जैसी ही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन स्टोरों में बाजार से सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध करने के लिये और उन्हें लाभ के आधार पर चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली, जो नई दिल्ली में सुपर बाजार की तीन यूनिटों को चलाता है, को 2.91 लाख रुपये दिये गये ।

(ख) सामान्यतया सुपर बाजार में बेची जाने वाली पण्य वस्तुओं की दरें बाजार के मूल्यों के मुकाबले में प्रतियोगी हैं ।

(ग) सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा उसके साथ समय-समय पर परिचालन, हिसाब-किताब तथा प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले निर्देशों और निर्माताओं से सीधे माल प्राप्त करने जैसी सुविधाओं का उद्देश्य यह है कि सुपर बाजार उचित दरों पर सामान बेच सकें और लाभ में चल सकें । सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने भी लागतों को कम करने, प्रशासनिक तथा परिचालन प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने, वस्तुओं के अनधिकृत रूप से बाहर जाने तथा उनमें कमी होने को रोकने और बिक्री तथा अन्य आय को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाए हैं ।

आकाशवाणी के कार्यक्रम 'जय भारत' तथा 'जय माला'

4358. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा सैनिकों के लिये प्रसारित किये जाने वाले "जय भारत" तथा "जय माला" कार्यक्रमों में अधिकांशत: प्रणयगीत होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपर्युक्त दो कार्यक्रमों में सैनिकों के लिये केवल वीरता के गीत सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) "जय भारत" कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, रक्षा, वीरता, आदि विषयों पर गीत होते हैं : "जय माला" कार्यक्रम में सभी प्रकार के लोकप्रिय गीत होते हैं जिनमें प्रणयगीत भी शामिल हैं ।

(ख) कार्यक्रम मनोरंजन के लिये होता है और उसमें सभी प्रकार के वे गीत शामिल किये जाते हैं जो लोकप्रिय होते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) यह मुख्यत: सामान्य मनोरंजन कार्यक्रम है जिसमें सभी प्रकार के गीत होते है । देश भक्ति, साहस, राष्ट्रीय एकता, आदि जैसे विषयों पर गीत केवल "जय माला" कार्यक्रम में ही सम्मिलित नहीं किये जाते, अपितु कार्यक्रम योजना और श्रोताओं की रुचि के अनुरूप दिन भर चलने वाले विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में भी सम्मिलित किये जाते हैं । अत: इस कार्यक्रम के क्षेत्र और इसके विषय को सीमित करना परिहार नहीं समझा जाता ।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि

4359. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग सामान की मांग के अनुसार रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

फिल्म वित्त निगम

4360. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई, के पास इसकी स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को कितनी प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी थी;

(ख) निगम ने 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों अथवा अन्य पार्टियों से पृथक-पृथक् कितना ऋण प्राप्त किया;

(ग) पिछले तीन वर्षों में निगम ने ब्याज के रूप में कितनी राशि चुकाई;

(घ) पिछले तीन वर्षों में इसके कार्य सम्पादन का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई लाभ अथवा हानि हुई हो तो वह कितनी है; और

(ङ) यदि कोई हानि हुई तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 1969–70 के लिए प्राक्कलन क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) फिल्म वित्त निगम लि० बम्बई की प्राधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी निम्न प्रकार थी :—

	प्राधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी
25–3–60 को (जिस तारीख को निगम स्थापित किया गया था)	1 करोड़ रुपये	20 लाख रुपये
31 मार्च, 1969 को	1 करोड़ रुपये	50 लाख रुपये

(ख) सरकार ने 31 मार्च, 1969 तक निगम को 50 लाख रुपये का ऋण दिया । निगम द्वारा बैंकों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया ।

(ग) पिछले तीन वर्ष में निगम ने सरकार को व्याज के रूप में निम्न राशि अदा की :—

वर्ष	व्याज की राशि रु०
1966–67	2,23,596
1967–68	2,77,303
1968–69	2,67,813
	7,68,712

(घ) पिछले तीन वर्षों में निगम ने ऋण की नीचे बताई गई राशि स्वीकृत की, बांटी और वसूल की :—

	वर्ष 1966–67	वर्ष 1967–68	वर्ष 1968–69
ऋण जो मंजूर किया	12,47,912	15,84,123	9,36,020
ऋण जो वितरित किया गया	11,94,269	15,05,429	19,06,358
ऋण अदायगी (केवल मूलधन)	15,82,410	15,82,872	3,32,470

1966–67 के दौरान निगम को 5,44,359 रुपये की हानि हुई और 1967–68 तथा 1968–69 में क्रमशः 3,414 रुपये तथा 13,004 रुपये का लाभ हुआ ।

(ङ) वित्त निगम को 1966–67 में जो हानि हुई उसका मुख्य कारण कुछ फिल्मों के फेल हो जाने के फलस्वरूप 5,38,193 रु० का ऋण बट्टे खाते में डाला जाना था ।

1969–70 का आय तथा व्यय का अनुमानित विवरण नीचे दिया गया है :—

अनुमानित आय	3,88,400 रु०
अनुमानित व्यय	5,36,800 रु०
अनुमानित घाटा	1,48,400 रु०

Allotment of Land to Agricultural Graduates

4361. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to draw up a plan to give cultivable land free of cost to the employed and the unemployed Agricultural Graduates ;

(b) if so, the details of the scheme ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) Porgrammes of Allotment of land are adminis-

tered by State Governments and they take into account various principles. According to available information, only one State *viz.* Madhya Pradesh, has so far embarked on a scheme of allotment of land to agricultural graduates. Simultaneous with the allotment, the allottee is given some financial assistance, a part of which is a grant and the remainder a loan. The financial assistance relates to distinct items of work like clearance of land, land development, purchase of cattle and fodder, construction of a well, purchase of seeds and implements, etc, It will be for each State to decide on the policy it considers appropriate in the context of local circumstances.

Cutting and Stealing of Telephone Wire on Bayana-Agra Telephone Line of Bharatpur Sub-Division (Rajasthan)

4362. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of incidents of cutting and stealing of the telephone wire, separately during 1968-69 and 1969 so far, in the Bayana-Agra telephone line of Bharatpur Sub-Division in Rajasthan ;

(b) the total loss suffered by the Department due to this wire cutting ;

(c) whether it is a fact that despite the heavy incidence of wire-cutting on this route, Government have totally failed to check the recurrence of this evil practice ;

(d) whether the frequent incidents of wire-cutting on the Bayana-Agra line have necessitated the rerouting of this telephone line *via* Bharatpur; and

(e) if so, the time by which this work is likely to be completed; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 34 incidents during 1968-69 and 11 during 1969 (upto July, 69).

(b) Rs. 47875 during 1968-69 and Rs. 9380 during 1969.

(c) All cases were promptly reported to the Police who are making necessary investigations in the matter. Besides, the following action has been taken to minimise the incidents of copper wire thefts in the country.

(i) The Chief Ministers of States have bene addressed to direct the Inspectors General of Police to take steps to prevent the copper wire thefts.

(ii) The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 is being amended for more severe punishment of culprits.

(iii) The Department is gradually replacing copper wire with copper clad steel (copper weld) wire or Aluminium Conductors.

(d) Yes.

(e) The Circuit has been provided *via* Bharatpur on 4-7-1969.

इमारतें बनाने वाले अकुशल श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी

4363. **श्री बलराज मधोक :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में इमारतें बनाने वाले अकुशल श्रमिकों, राज और बढ़ई के लिए न्यूनतम मजूरी कितनी निर्धारित की गई है; और

(ख) यह न्यूनतम मजूरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ौसी राज्यों में निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी से कितनी कम अथवा अधिक है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने अकुशल श्रमिकों के लिए जो मजूरी दरें निश्चित की हैं वे उत्तर प्रदेश की दरों से अधिक हैं लेकिन हरियाणा की तुलना में कम हैं ।

विवरण

विवरण जिसमें दिल्ली प्रशासन द्वारा फरवरी, 1964 में भवन मजदूरों, राजों और बढ़इयों की कुशल व अकुशल श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजूरी-दरें दी गई हैं

श्रेणी	दर
1. मजदूर पुरुष	2.50 रु० प्रति दिन
2. मजदूर महिला	2.25 रु० प्रति दिन
3. बढ़ई ग्रेड–1	5.75 रु० प्रति दिन
4. बढ़ई ग्रेड–2	5.00 रु० प्रति दिन
5. राज ग्रेड–1	5.75 रु० प्रति दिन
6. राज ग्रेड–2	5.00 रु० प्रति दिन

वेरावल और नवसारी उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

4364. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सर्कल में वेरावल और नवसारी उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन उप-डाकघरों को अब तक मुख्य-डाकघरों में वर्गोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक समुचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण वेरावल शाखा डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया जा सका । इस काम को शीघ्र करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है । नवसारी शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर प्रधान डाकघर बनाने की 14 जुलाई, 1969 को मंजूरी दे दी गई है और इसका दर्जा शीघ्र ही बढ़ा दिया जायेगा ।

मेहसाना मुख्य डाकघर का विभाजन

4365. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहसाना मुख्य डाकघर में उसके उप-डाकघरों के कार्य के कारण कार्यभार अत्यधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके क्षेत्राधिकार में किसी उपयुक्त उप-डाकघर को वर्गोन्नत करके मेहसाना मुख्य डाकघर के विभाजन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । 1 जुलाई, 1968 को इस प्रधान डाकघर का विभाजन करके कलोल प्रधान डाकघर बनाया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अभी गत वर्ष ही प्रधान डाकघर का विभाजन किये जाने के कारण अब वहां काम ज्यादा नहीं है और मौजूदा मानकों के अनुसार इसमें अब और कमी करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है ।

Fall in Sale of Chemical Fertilizers

4366. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the increase in the tax on chemical manure in the last Budget, the sale of fertilizers is going down ;

(b) if so, whether Government do not consider that due to this agricultural production will fall down ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Fertilizer applications for the Kharif crop is still proceeding. Reports of off take of fertilizers received so far from the State Governments and manufacturers do not show that the sale of fertilizers has generally gone down after the levy of duty

(b) and (c). Do not arise.

नयी किस्म के गेहूं तथा धान के बीजों की अनुपलब्धता

4367. श्री विभूति मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित नई किस्म के धान तथा गेहूं के बीज दूरस्थ ग्रामों के किसानों को उपलब्ध नहीं होते; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनके समान रूप से वितरण के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Licences for manufacturing Fruit and Vegetable Products

4368. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of firms in the country which were given licences upto September, 1968 for manufacturing fruit and vegetable products ; and

(b) the names and addresses of such firms and the details of the products to be prepared by them during the year 1969-70 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The total number of licences manufacturing fruit and vegetable products, as on 30th September, 1968, was 1073.

(b) The statement to be compiled will be very voluminous and the time and labour involved in compiling the statement will not be commensurate with the results sought to be achieved.

Agricultural Schemes

4369. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of India have concluded agreements for 86 new schemes concerning agriculture during the year 1968-69 and those schemes involve assistance of Rs. 12.62 crores ; and

(b) if so, the details of the above new schemes with the names of the countries with whom the agreements for these schemes have been made ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b). The Government of India had concluded agreements in 1968-69 for schemes involving foreign assistance to the extent of Rs. 8.34 crores. The list and important details of these schemes are given in Annexure I. (Placed in Library. *See* No. LT-1758/69).

In addition to these the Freedom From Hunger Campaign which is an organisation under the auspices of the Ministry of Food & Agriculture had also considered proposals involving both foreign assistance as well as indigenous resources. Not all these schemes were finalised during 1968-69; some were continuing from earlier years and some were initiated during the year. Approximately the increase in the value of the projects both under consideration and under implementation, over projects in the preceding year under FFHC was Rs. 4.28 crores. The list is given in Annexure II. (Placed in Library. *See* No. LT-1758/69).

Implementation of Land Reforms

4370. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Minister of Food and Agriculture had drawn the attention of the Chief Minister of the States to the recommendations of the Land Reforms Implementation Committee of the National Development Council in 1968-69 with a view to remove the shortcomings of the Act and for its speedy implementation; and

(b) if so, the details of the recommendations and the reactions of the Chief Ministers of different States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) : A Review by the land Reforms Implementation Committee of the National Development Council was published by the Planning Commission in August 1966 and copies of the publication were made available to members of Parliament. The main points which called for immediate attention were summarised on page 17 of the Review and are indicated below :

(1) Administrative arrangements for enforcement and supervision are often inadequate and public opinion has not been sufficiently built up to quicken the pace of reforms.

(2) Records of tenants which are essential for effective implementation of land reforms do not exist in several States and are often incomplete and out of date even where they exist.

(3) The economic condition of tenants, even where they have been conferred permanent rights still continues to be weak. They should have the right to make improvements and get timely agricultural credit from cooperatives and governmental agencies to carry out improvements.

(4) In some States, such as Andhra Pradesh (Andhra Area), Assam, Bihar, Tamil Nadu and West Bengal, existing provisions for security of tenure are of an interim nature and comprehensive measures to bring tenants and share croppers into direct relation with the State have yet to be adopted.

(5) Most ejectments take the form of voluntary surrendres. Several States have yet to adopt suggestions made in the plans in this regard. In future surrender should not be permitted except to Government.

(6) The right to resumption widens the scope of ejectments. In view of the period that has elapsed, there should be no further right of resumption.

(7) In Andhra Pradesh (Andhra Area) Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Punjab and West Bengal rents have yet to be brought down to 1/4th of the gross produce or less. Besides, produce rents have yet to be replaced by fixed cash rents in these and several other States. This is necessary so that the uncertainties arising out of annual fluctuations in rents may be eliminated and the tiller assured of the full benefit of his investment.

(8) Several States have yet to provide for conferment of ownership on tenants, and in some others where the provisions exist, active steps have not yet been taken to implement them.

(9) Security of tenure for the tiller is crucial to the whole scheme of tenancy reform. Experience has shown that it is difficult to ensure security of tenure and effective enforcement of rentals, unless the landlord-tenant bond is broken. It is necessary, therefore, that immediate steps should be taken to break the landlord-tenant relationship, the State interposing between landlords and tenants to collect fair rents from tenants and pay them to landlords after deducting land revenue and the collection charges.

(10) Although legislation for ceilings has been adopted, steps for dealing with the problem of transfers have yet to be adopted in several States.

The Review was forwarded to the State Governments with the expectation that they would take necessary action on the recommendations made in the Review. The view of the State Governments on the recommendations made by the Committee have also been included in the Publication. Some States such as Gujarat, Kerala, Maharashtra have taken specific steps in the light of the recommendations made by the Land Reforms Implementation Committee. In Assam, Tamil Nadu and West Bengal further measures are under consideration. The response from other States has been rather slow.

Employment Through Employment Exchanges

4371. **Shri Molahu Prashad :** will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make it obligatory for the direct applicants for those seeking employment through Employment Exchanges to submit a certificate of monthly or annual income of their guardians from a senior officer of the Revenue Department in addition to the certificates pertaining to their qualifications and caste ;

(b) whether Government also propose to give priority to those candidates whose guardians belong to the lowest income group in the matter of recruitment ; and

(c) if not, the reasons therefor and if so, whether the views of the different State Governments in this regard will be invited ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) : No.

(c) Employment Exchanges submit applicants to the prospective employers on the basis of their merits and in accordance with the job requirements.

States Affected by Drought

4372) **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the areas and the States in the country which have been affected by drought conditions continuously for the last more than three years ;

(b) the total amount spent on irrigation and the provision of facilities in those areas during the last three plan periods and the irrigation capacity created; and

(c) the details of the schemes prepared by Government to augment the irrigation capacity in those areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) : The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Forcible occupation of land in Nimar District (MP))

4373. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain persons have forcibly occupied the Government land in the eastern and western Nimar Districts in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the number of such persons and the total areas illegally occupied by them ;

(c) whether Government propose to evict them from that land and whether the Government of Madhya Pradesh have made any correspondence with the Central Government in this connection ; and

(d) if so, the time by which these persons will be evicted and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d); The subject-matter is entirely the responsibility of the State Government. The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) has no information nor received any communication from the State Government.

Scholarship to Agricultural Students of M.P.

4374. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of students of Agricultural Colleges in Madhya Pradesh who were granted scholarships by the Government during the last three years, the names of Agricultural Colleges and the criteria for granting those scholarships, and

(b) if no scholarship has been granted, whether Government propose to introduce some scheme in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The scholarships were awarded to the students of Agricultural Colleges of Madhya Pradesh during the last three years as per attached statement.

The Scholarships are allocated to the Colleges at a rate not exceeding 5 per cent of the actual admissions. In 1966-67, students who had secured not less than 55% marks in the qualifying examination were considered for the award. From 1967-68 onwards, students who have secured not less than 60% marks in the qualifying examination and whose parents' income does not exceed Rs. 500/- per month are considered for the award of scholarship. A national prize of Rs. 100- and a certificate of merit is awarded in lieu of scholarship to eligible students whose parents' income exceeds Rs. 500/- per month.

(b) Does not arise.

Statement

Statement showing number of Scholarships awarded to Agricultural Colleges in Madhya Pradesh during the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69

	1966-67	1967-68	1968-69	Total
1. Agriculture College, Jabalpur	5		..	5
2. Agriculture College, Gwalior	3		2	5
3. RAK Agricultural College, Sehore	3	..	2	5
4. Government Agricultural College, Rewa	2	1	2	5
5. Agriculture College, Indore	2			2
6. Agriculture College, Raipur			3	3
	15	1	9	25

Central Assistance for Famine affected population in Madhya Pradesh

4375. Shri G C Dixit : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared a scheme to give some financial assistance and concessions to the people of Madhya Pradesh especially to the families belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, keeping in view the famine conditions prevailing in some parts of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna sahib Shinde) (a) and (b) : No cash assistance or concession is being

granted by the Government of Madhya Pradesh to the people in the drought affected areas of the State. In 16 districts of the State affected by drought, relief works have been opened by the State Government to provide employment to the people. In some areas where necessity has been felt, arrangements are being made for free feeding programmes. These programmes are conducted through the Tribal Welfare Department of the State Government, but will cover all sections of the affected population.

Package Programme in M.P.

4376. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of Districts of Madhya Pradesh in which Package Programme has been started and the amount spent in these districts ;

(b) the expenditure incurred year-wise in these Districts since 1962 ;

(c) the results achieved in terms of production ; and

(d) the amount spent on the petrol and other ancillaries of jeeps during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The district of Raipur was selected by the State Government for the implementation of the Intensive Agricultural District Programme (IADP) popularly known as the 'Package Programme'.

An amount of Rs. 178·30 lakhs was spent on the implementation of this programme from 1961-62 upto 1968-69.

(b) The year-wise expenditure incurred on the implementation of this programme in the district of Raipur is as follows :

Year	(Rs. in lakhs)
1961-62	14·05
1962-63	18·68
1963-64	22·67
1964-65	25·50
1965-66	24·90
1966-67	23·17
1967-68	26·13
1968-69	23·20
	178·30

(c) Approximately 90 per cent of the gross cropped area in the district is under foodgrains and the remaining under non-food crops, mainly oil-seeds. Among the foodgrains crops, rice, which is the principal crop of the district, occupies as much as 70 per cent of the total gross cropped area.

The total production of rice in the district has generally shown arising trend during the period of operation of the programme, except during the years when the district was affected by

widespread drought. The highest production reached during the programme period was 7·84 lakh tonnes of rice during 1964-65 as compared to 6·24 lakh tonnes during the pre-package period (1958-61).

(d) The information is not available.

बिहार में सोवियत फिल्म गाड़ी

4377. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले दिनांक 31 मई, 1969 के दैनिक "सर्च लाइट" के प्रातःकालीन संस्करण के पृष्ठ पांच, कालम पांच पर "मुजफ्फरपुर नोट्स—सोवियत फिल्म वैन टूरिंग बिहार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत सरकार ने बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में फिल्म गाड़ी के माध्यम से लेनिन की वर्षगांठ मनाने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति ले ली है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार रूस में भी गांधी शताब्दी बनाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। एक स्थानीय समाचार पत्र में यह रिपोर्ट छपी थी कि इण्डो-सोवियत कलचरल सोसायटी की बिहार परिषद् ने यह घोषणा की है कि लेनिन शताब्दी समारोह के सिलसिले में सोवियत फिल्म की एक गाड़ी बिहार के क्षेत्रों में एक पखवाड़े के लिए टूर करेगी ।

(ख) यूनेस्को के पन्द्रहवें आम सम्मेलन के एक प्रस्ताव जिसको भारत के द्वारा भी प्रायोजित किया गया था, के अनुसार, सभी सदस्य देशों को यह कहा गया है कि वी० आई० ई० लेलिन की जन्म शताब्दी के उत्सव को मनाने के लिए उपयुक्त गतिविधियां शुरू करें। यूनेस्कों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (इण्डियन नेशनल कमीशन) को सोवियत रूस में इसके सहअंग द्वारा यह कहा गया है कि वह 1970 में शताब्दी में भाग ले। मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार के निमन्त्रण पर सोवियत रूस सरकार ने रूस में गांधी शताब्दी को मनाने में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। गांधी शताब्दी के सम्बन्ध में अनेक उपयुक्त कार्यक्रमों का प्रबन्ध करने के लिए एकेडेमी आफ साइन्सिस की **इन्स्टीट्यूट आफ दी पीपल्स आफ एशिया** में रूस की सरकार ने एक उप-आयोग स्थापित किया है। इसमें से कुछ कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं :—

(1) गांधी जी की जन्म शताब्दी के विषय में रूस की **एकेडेमी आफ साइंसिस** की **इन्स्टीट्यूट आफ दी पीपल्स आफ एशिया** की विद्वान परिषद का वैज्ञानिक अधिवेशन करना।

(2) शताब्दी के अवसर पर यूनियन आफ फ्रेन्डशिप सोसायटियों की शानदार सभा।

(3) लेनिन ग्राड तथा ताशकन्द में इसी प्रकार की सभायें करना।

(4) महात्मा गांधी की पुस्तक 'मेरा जीवन' (माई लाईफ) के दूसरे संस्करण को प्रकाशित करने की तैयारी ।

(5) ई० एन० कोमारोव तथा ए० डो० लिटमैन द्वारा लिखित "वर्ल्ड आउटलुक आफ एम० के० गांधी", नामक पांडित्वपूर्ण लेख के तैयार करना तथा प्रकाशन करना ।

(6) गांधी जी के जीवन और कार्य पर केन्द्रीय समाचारपत्रों के उपयोग के लिए सामग्री तैयार करना ।

(7) **'पीपल्स आफ एशिया एण्ड अफ्रीका'** पत्रिका के लिए गांधी जी तथा गांधीवाद पर एक लेख तैयार करना ।

(8) **"एशिया एण्ड अफ्रीका'** टूडे' पत्रिका के लिए महात्मागांधी पर सामग्री तैयार करना ।

(9) गांधी जी पर "सोवियत लैण्ड" का एक विशेष अंक तैयार करना ।

(10) रेडियो पर प्रसारण के लिए गांधी जी पर सामग्री तैयार करना ।

(11) रूस के संचार मंत्रालय को गांधी जी पर शताब्दी डाक-टिकट जारी करने की प्रार्थना करना ।

(12) भारत में गांधी शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए सोवियत विद्वानों को एक शिष्ट-मण्डल भेजने के प्रश्न पर विचार करना ।

(13) रूस के इन्स्टीटयूट आफ पीपल्स आफ एशिया आफ दी एकेडेमी आफ साइन्सिस में गांधी जी पर पुस्तकों की प्रदर्शनी की व्यवस्था करना तथा गांधी जी तथा लियो टालस्टाय के मध्य सम्पर्क पर यासनया पोल्याना में सामग्री प्रदर्शित करना ।

कुछ राज्यों में न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

4378. **श्री अदिचन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों ने हाल में विभिन्न रोजगारों के लिए न्यूनतम मजूरियां पुनरीक्षित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1969 में किन राज्यों ने इन दरों की पुनरीक्षित किया है तथा प्रत्येक प्रकार के रोजगार के लिए निर्धारित तथा न्यूनतम पुनरीक्षित सीमाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) दूसरे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरियों का ब्यौरा क्या है ; और इन मजूरियों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है अथवा सर्वेक्षण का आदेश दिया जा रहा है कि क्या काफी लोग निर्धारित न्यूनतम मजूरी के न्यूनतम से ही काफी कम मजूरी प्राप्त करते हैं ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सम्पूर्ण देश में सामूहिक रूप में ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित प्रतिशत संख्या क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) . न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी संशोधन "संबंधित सरकारों" द्वारा अपने राज-पत्रों में अधिसूचित किये जाते हैं। इन राज-पत्रों में विभिन्न रोजगारों की संशोधित दरों का ब्यौरा भी दिया जाता है इस अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित संशोधित मजूरी दरें सांविधिक रूप से लागू होती हैं।

(घ) जी नहीं। सांविधिक मजूरी से कम अदायगी करने के मामलों को तय करने के लिए आवश्यक प्रवर्त्तन तंत्र पहले ही मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Damage to crops in Suratgarh Farm

4379. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that heavy damage is being caused to the crop in the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh (Rajasthan) owing to the presence of numerous Nilo (Rose) in that Farm ; and

(b) if so, the concrete steps proposed to be taken or orders proposed to be issued to save the crop from such destruction ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) 'Nilgais' are not causing any serious damage to the crops at the Central State Farm Suragrah.

(b) Necessary precautions are being taken. Round the clock vigil is maintained by the security staff of the Farm for driving out the animals.

Multi-purpose Co-operative Societies

4380. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of multipurpose Co-operative Societies in the country ;

(b) their number, State-wise ;

(c) whether it is a fact that there are a number of inactive and bogus co-operative Societies in the States ;

(d) if so, their number, state-wise;

(e) whether Government have advised the State Governments to get rid of such bogus societies ;

(f) if so, the details thereof ; and

(g) the reaction of the State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswamy) : (a) to (d) : The primary agricultural credit societies are meant to provide short and medium term credit, undertake distribution of agricultural inputs and assist in the marketing of the produce of its members. State-wise information for the cooperative year ending on 30th June, 1957 about the total number of primary agricultural credit societies and the number of such societies which remained inactive is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT—1759(69]. Information for the subsequent years has not yet been published by the Reserve Bank. All the inactive societies cannot be considered as bogus societies.

(e) to (g) : A programme for reorganisation of primary agricultural credit societies into economically viable units is under implementation in many States. This programme envisages a number of steps. The quantum of credit and non-credit business for different regions which will enable a society to function as a viable unit is to be fixed and a survey is to be conducted

for determining areas which can ensure the required business. If there are more than one society in a delimited area, action is to be taken for either amalgamation or liquidation of weak and dormant societies. State Governments have been advised to complete the programme of reorganisation at an early date.

Central Study Team sent to West Bengal to study the Problem of Gheraos

4381. **Shri Raghubir Singh Shastri:**
Shri Bhola NathMaster :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri Y. A. Parsad :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri P. C. Adichan :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri M. S. Oberoi .
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had sent a Study Team to West Bengal to study the situation regarding 'gherao' there ;

(b) if so, the main findings of the team ;

(e) the names of the members of the team ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to meet the situation arising out of the 'gheraos' ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Government did not depute any Study Team to West Bengal.

(b) to (d) : Do not arise.

Strength of Staff in the Ministry

4382. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Tulsidas Dasappa :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of officers and employees working in his Ministry at present ;

(b) the number of officers and employees out of them belonging to Scheduled Castes and backward classes ; and

(c) the total strength of permanent and temporary staff in his Ministry at present ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) (i) Officers 205
(ii) Employees . . . —1058
TOTAL . . 1263

(b) (i) Officers 8
(ii) Employees . . 163
TOTAL . 171

(c)

	Permanent	Temporary	Total
(i) Officers . . .	143	62	205
(ii) Employees . .	663	395	1058
TOTAL . .	806	457	1263

Officers and Employees in the Departments of Community Development and Cooperation

4383. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of officers and employees working in the Departments of Community Development and Co-operation at present ; and

(b) the number of permanent and temporary officers/employees out of them ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M.S. Gurupadaswamy) :

(a) (i) Officers 64

(ii) Employees 349

(b)	Perma-nent	Tempo-rary
(i) Officers	60	
(ii) Employees	266	

Officers and employees in the Departments of food and Agriculture

4384. Shri Hukam Chand Kachwai; Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees working in the Departments of Food and Agriculture at present; and

(b) the number of gazetted/non-gazetted and permanent/temporary employees out of them ?

The Minister of State in the Ministry of food Agriculture, Community Development and Cooperation(Shri Annasahib Shinde):

(a) Department of Food:

No. of Gazetted Officers	*No. of Employees*	*Total*
140	822	962

Department of Agriculture :

No. of Gazetted Officers	*No. of Employees*	*Total*
232	1380	161

(b) Department of Food:

No. of Gazetted Officers	*Permanent*	*Temporary*
140	107	33
No. of Non-Gazetted Officers	*Permanent*	*Temporary*
822	510	312

Department of Agriculture:

No. of Gazetted Officers	*Permanent*	*Temporary*
232	195	37
No. of Non-Gazetted Officers.	*Permanent*	*Temporary*
1380	860	520

Note : 'Permanent' either in the Department of Food or Agriculture or elsewhere.

Number of Employees in the Department of Communications

4385. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Officers and employees in the Department of Communications at present;

(b) the number of employees and officers out of them who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) the number of temporary employees made permanent during the last two years and the number of temporary employees at present ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (c). Information required is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्य में उपभोक्ता सहकारी समितियां

4386. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष आंध्र प्रदेश और मैसूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली उपभोक्ता सहकारी समितियों को कितनी राशि का ऋण दिया है ;

(ख) इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या ये समितियां लाभ में चल रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) : ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समितियों को सीधे सहायता देने की कोई योजना नहीं है ; राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की विपणन सहकारी समितियों के लिए अंश पूंजी अंशदान तथा प्रबन्धकीय उपदान प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे रहा था । इस वर्ष से यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है । वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को उनके केन्द्रीय सहायता के कुल भाग के प्रति अर्थोपाय अग्रिम दे दिए गए थे । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अब तक राज्यों को कोई योजना सहायता नहीं दी है ।

यह जानकारी कि क्या वे समितियां जिन्हें अब तक इस योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई है लाभ में चल रही हैं, तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

Purchase of shares of Samachar Bharati by State Governments

4387. **Shri Gunanand Thakur:**
Shri Shiva Chandika Prasad:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number of shares of Samachar Bharati News Agency, New Delhi purchased by various State Governments, separately;

(b) the basis on which the shares are being purchased; and

(c) whether Government keeps any watch over it that this money is not misused in any way ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The number of shares of the Samachar Bharati News Agency purchased by the various State Governments is as follows:—

State Governments	*No. of shares of Rs. 100/- each held.*
1. Gujarat	3,000
2. Rajasthan .	5,000
3. Madhya Pradesh .	5,000
4. Bihar	5,000

(b) The shares have been purchased with a view to improving the existing arrangements for the collection and distribution of news and feature services in Indian languages particularly in Hindi for which the news agency was set up.

(c) It is for the State Government's who have invested in the agency to take steps to safeguard their investment.

Payment of wages to workers of Samachar Bharati News Agency

4388. Shri Gunanand Thakur:
Shri Kartik Oraon:
Shri Shiva Chandika Prasad:

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the reasons for which equal pay for equal work is not being paid to the employees of the Samachar Bharati News Agency, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the employees working in the offices of the Agency at Patna, Bombay, Bhopal and Jaipur have not received their pay for the last three months; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to see that equal pay is given for equal work and the time by which the arrears of pay of the employees would be paid to them and the reasons for delay in the payment ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The Samachar Bharati is an independent News Agency and the Government have no control over its day-to-day working.

केरल में काली मिर्च के लिये पैकेज कार्यक्रम

4389. श्री पी० सी० अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य में काली मिर्च के बागान के विकास के लिए एक पैकेज कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, उस पर कितना व्यय होगा तथा उसके लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या कार्यक्रम के लिए इस बीच स्वीकृति दे दी गई है और यदि हां, तो उसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं। किन्तु, भारत सरकार ने काली मिर्च के लिए केरल के लिए पैकेज कार्यक्रम के विषय में एक योजना तैयार की है, जो कि राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जायेगी ।

(ख) और (ग) : अभी योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

पम्पिग सेटों के लिए राज्यों को केन्द्रीय ऋण

4390. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों में, जिनमें सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, छोटी सिंचाई सुविधाओं के लिए पम्पों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को ऋण अथवा अनुदान दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को ऋण तथा अनुदानों के रूप में कितनी सहायता दी गई है और प्रत्येक राज्य में कितने पम्प लगाये गये हैं तथा उनसे कितने एकड़ भूमि असिंचित भूमि में सिंचाई की जाने लगेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । केन्द्रीय सरकार लघु सिंचाई की सुविधाओं के विकास के लिए (जिनमें जहां कहीं सम्भव हो पम्प सैटों की स्थापना के लिये है) राज्यों को ऋण तथा अनुदान देती रही है । केन्द्रीय सहायता 'लघु सिंचाई' आदि विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत दी जाती है न कि प्रत्येक योजना के आधार पर ।

(ख) गत तीन वर्षों में उस शीर्ष "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता (ऋण तथा अनुदान) के राज्यवार आंकड़े प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (विवरण **1**) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या** एल० टी० 1760/69] इन आंकड़ों में प प सैटों के लिए उपयोग की गई सहायता भी सम्मिलित है ।

1968–69 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में लगाए गए डीज़ल तथा बिजली के पम्प सैटों की अनुमानित संख्या सभा पटल पर रखे गये विवरण (विवरण 2) में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1760/69]** केवल पम्प सैटों की सहायता से सिंचित क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

जेनेवा म अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन

4391. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में हाल ही में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई और विचार व्यक्त किये गये; और

(ख) भारत में बेरोजगार की समस्या को हल करने के लिए उन्हें दृष्टि में रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 53वें अधिवेशन ने अन्य बातों के साथ-साथ (i) उस विश्व रोजगार कार्य-क्रम के बारे में महा-निदेशक द्वारा सुझाये गये प्रयास का समर्थन किया जो कि सम्मेलन में सामान्य विचार-विमर्श का विषय था; (ii) 1970--71 को द्विवार्षिक अवधि के लिए 5 करोड़ 96 लाख 70 हजार डालर का बजट व्यय स्वीकार किया; और (iii) इन चार नयी लिखतों को स्वीकार किया—कृषि में श्रमिक निरीक्षण सम्बन्धी अभिसमय और सिफारिश तथा डाक्टरी देख-रेख व बीमारी लाभ सम्बन्धी एक अभिसमय और सिफारिश ।

(ख) विश्व रोजगार कार्यक्रम में आर्थिक विकास के अनुरूप रोजगार में वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से यथोचित सहायता की व्यवस्था की गई है। परिकल्पित कार्यक्रमों में ग्रामीण कार्य लघु पैमाने के उद्योग और उद्योग में कम-गहन योजनाएं, सिंचाई तथा विद्युत्-परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना सरकार की पहले से ही नीति है। एशियायी जन-शक्ति योजना, जो कि विश्व रोजगार कार्यक्रम के प्रादेशिक भागों में से एक है, के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विशेषज्ञों का एक प्रादेशिक दल स्थापित किया जा रहा है, जो एशिया के विकासशील देशों को उनकी बेरोजगारी तथा हुनर विकास योजनाओं को हल करने में सहायता प्रदान करेगा। देश में बेकारी की समस्या को हल करने में सरकार प्रादेशिक विशेषज्ञ दल द्वारा दी जाने वाली सहायता और विशेषज्ञता का पूरा-पूरा उपयोग करेगी।

समाचार भारती

4392. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री शिव चंडिका प्रसाद :**
श्री कार्तिक उरांव : **श्री नम्बियार :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार भारती समाचार एजेंसी के भारत में कितने शाखा कार्यालय हैं तथा उनमें कितने व्यक्ति श्रेणीवार स्थायी/अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं;

(ख) समाचार भारती के दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में श्रेणीवार स्थायी/अस्थायी पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा स्थायी/अस्थायी स्टाफ रिपोर्टरों की सेवा की शर्तें क्या हैं;

(ग) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1966–67, 1967–68 तथा 1968–69 में इस समाचार एजेंसी को कितना अनुदान/ऋण दिया गया और इन्हीं वर्षों में व्यवसाय से कितना धन प्राप्त हुआ; और

(घ) इन वर्षों में समाचार एजेंसी द्वारा विभिन्न शाखा/प्रधान कार्यालयों में कितना धन व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क), (ख) और (घ). समाचार भारती एक स्वतन्त्र समाचार एजेंसी है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

(ग) समाचार भारती को दिये गये ऋण इस प्रकार हैं :—

सरकार का नाम	ऋण		
	1966–67	1967–68	1968–69
	रुपये	रुपयें	रुपये
केन्द्रीय सरकार .	—	75,000	75,000
उत्तर प्रदेश सरकार . .	—	—	76,000

समाचार भारती को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

ऋण भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिन्दी में समाचारों तथा फीचर लेखों के संग्रह तथा वितरण करने, जिसके लिए यह समाचार एजेंसी स्थापित की गई थी की वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार करने की दृष्टि से दिया गया है । ऋण की वसूली 1972 से शुरू होगी ।

श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

4393. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों को अपने अधिकारों तथा दायित्वों तथा श्रम विधियों के बारे में प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय केन्द्र कहां-कहां कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनके द्वारा अब तक कितने-कितने श्रमिकों तथा श्रमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1761/69]**

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में उपभोक्ता सेवाओं के लिये योजनाएं

4394. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मैसूर के गांवों में गांव सहकारी समितियों के माध्यम से आयोजित उपभोक्ता सेवाओं की व्यवस्था करने की कितनी योजनाएं हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या सहायता दी है; और

(ग) किन-किन स्थानों में ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने विपणन तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोज्य वस्तुओं का वितरण करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1963–64 में प्रायोजित की थी । यह योजना सम्पूर्ण देश के लिए लागू थी । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चुनी हुई विपणन समिति को अंश-पूंजी, अंशदान तथा प्रबन्धकीय उपदान के रूप में क्रमश: 10,000/– रु० व 5,000/– रु० तक की सहायता सुलभ की गई । चालू वित्तीय वर्ष से यह योजना राज्य योजना क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 613 ग्रामीण समितियां तथा 46 विपणन सहकारी समितियां, मध्य प्रदेश में 9473 ग्रामीण समितियां तथा 200 विपणन सहकारी समितियां और मैसूर राज्य में 8991 ग्रामीण सहकारी समितियां तथा 188 विपणन समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कर रही थीं । तथापि, जहां वे स्थित थीं उन स्थानों के नाम तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं ।

डाक तथा तार घरों का खोला जाना

4395. **श्री गार्डिलिगन गौड़ :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मैसूर और मध्य प्रदेश के ग्रामों तथा अन्य केन्द्रीय प्रशासित राज्यक्षेत्रों में कितने डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है;

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कितने डाकघर, बचत बैंक, तारघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे थे;

(ग) क्या राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सभी प्रार्थनाओं पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक कितनी प्रार्थनाएं की गई हैं और कितनी प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (घ). एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1762/69]**

अनाज का स्टाक

4396. **श्री अब्दुल गनी वार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1969 को गेहूं, चने, चावल तथा अन्य उत्पादों का कुल कितना-कितना तथा कितने मूल्य का और स्टाक था; और

(ख) यदि स्टाक में कोई कमी पाई गई तो कितनी और कितने मूल्य की वस्तुएं कम पायी गयीं तथा उनके कम होने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम अब सारे केन्द्रीय सरकार के स्टाक और कुछ राज्य सरकारों के स्टाक को रखता है। उनके पास 30-6-1969 को लगभग 40 लाख मीटरी टन स्टाक था जिसका मूल्य लगभग 332 करोड़ रुपये है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1968-69 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे खाद्यान्नों की मार्ग तथा संचयन में अनुमानतः 0.51 प्रतिशत हानि हुई थी। ये हानि संचयन में नमी, तोल के विभिन्न तरीके, विशेषतया किराये के गोदामों में जहां संचयन स्थिति सरकारी गोदाम जैसी अच्छी नहीं है अनाज के दानों का बिखरना, और मार्ग में दानों के गिरने के कारण हुई थी।

विट्ठलभाई जवेरी द्वारा निर्मित महात्मा गांधी पर चलचित्र

4397. **श्री रवि राय** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री विट्ठल भाई जवेरी ने महात्मा गांधी के बारे में साढ़े पांच घंटे चलने वाला एक चलचित्र बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चलचित्र आलोचकों का मत यह है कि यह महात्मा जी के जीवन के बारे में बहुत परिश्रम पूर्वक बनाया गया उत्तम और व्यापक चलचित्र है जो कई वर्ष पहले सेल्यूलाइड पर तैयार और संभाल कर रखे गये चलचित्रों से लिया गया है; और

(ग) सरकार ने इसके निर्माता से सम्पर्क करने तथा इस चलचित्र को गांधी शताब्दी वर्ष में समुचित रूप से प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) महात्मा गांधी पर 5½ घंटे वाली फिल्म भारत सरकार के फिल्म प्रभाग के सहयोग से गांधी स्मारक निधि द्वारा बनाई गई है। श्री विट्ठलभाई जवेरी इस फिल्म के निर्देशक हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) फिल्म का समुचित रूप से प्रयोग करने के बारे में सरकार ने निधि से बातचीत की और वर्तमान स्थिति यह है :—

(1) भारत में तथा स्वदेशों में फिल्म के व्यापारिक प्रदर्शन की देख रेख निधि द्वारा की जाएगी। भारत में प्रदर्शन के लिए निधि ने फिल्म को दो भागों में करने का निर्णय किया है।

(2) सम्पूर्ण फिल्म की प्रिंटों तथा/या इसके 14 भागों को जिनमें प्रत्येक में एक एक उपाख्यान है, भारत तथा विदेशों में व्यापारिक तथा अव्यापारिक प्रयोग के लिए निधि द्वारा बेचा जाएगा।

(3) काठमण्डु और लन्दन स्थित भारतीय दूतावासों को गांधी शताब्दी समारोहों के दौरान प्रदर्शन के लिए फिल्म की एक एक प्रति भेज दी गई है ।

(4) भारत में फिल्म के कुछ विशेष शो आयोजित किए गए हैं ।

(5) फिल्म की प्रिंटों तथा उसके 14 भागों को फिल्म प्रभाग द्वारा राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों को देने का प्रस्ताव है ।

(6) फिल्म तथा इसके 14 भागों को केन्द्रीय सरकार की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाने का प्रस्ताव है ।

(7) 14 भागों में से पहला भाग फिल्म प्रभाग द्वारा देशभर के सिनेमा घरों को पहले ही रिलीज किया जा चुका है ।

(8) शेष 13 भाग फिल्म प्रभाग द्वारा सिनेमा घरों को एक एक करके शीघ्र रिलीज किए जाएंगे ।

भूमिहीन किसानों की सहकारी समितियां

4398. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 15 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि भूमिहीन किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को अन्य किस्मों की सहकारी समितिया से न तो ऋण आदि मिलता है और नही अन्य लाभ मिलते हैं ; और

(ख) यदि हां , तो सभी पंचायतों में विशेषकर इस वर्ग के लिए सहकारी समितियां न बनाये जाने का क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं । यह कहना सही नहीं है कि भूमिहीन किसानों और खेतिहर मजदूरों को सहकारी समितियों के माध्यम से न तो ऋण ही मिलता है और न ही अन्य लाभ मिलते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Memorandum from All India Employees' provident fund staff federation

4399. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the All India Employees' Provident Fund Staff Federation has submitted a 20 point memorandum to the Chairman of the Board of Trustees, Employees' Provident Fund ;

(b) if so, whether it is also a fact that the copies thereof have also been endorsed to him and other officers of the Department;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Yes.

(c) A copy of the memorandum is laid on the table of the House. [placed in Library. *See* No. LT-1763/69.]

(d) The demands are under consideration of the Central Board of Trustees, which administers the Employees' Provident Fund. No action is called for on the part of Government at this stage.

आम की काश्त पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

4400. **श्री कृ० सु० देशमुख :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अन्य देशों के अनेक बागबानी विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने दिल्ली में जून 1969 में हुई आमों की काश्त पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लिया था ; और

(ख) संकर किस्मों के आम की काश्त और आम की काश्त के क्षेत्र में प्रमाणीकरण तथा आत्म निर्भरता के बारे में गोष्ठी ने क्या मुख्य सिफारिश की हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारत से 86 तथा विदेशी से 6 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी ने यह सिफारिश की थी कि विश्वभर में जनन-द्रव्य का एक क्रमबद्ध सर्वेक्षण तथा एकत्रीकरण किया जाना चाहिए। "रूटस्टाक्स और वैकल्पिक रूप में प्रजनन तकनीक के मानकीकरण तथा मालफार्मेशन" रोग की समस्या पर अनुसन्धान आरम्भ करने की दिशा में भी सिफारिश की गई थी।

उड़ीसा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

4401. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनपल्ली, वासुदेवपुर, जालसवर, जूनागढ़ तथा निमापुर में अब तक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोले जा चुके हैं ;

(ख) पुरी डाक डिवीजन में 1968–69 में कहां-कहां पर दूरस्थ स्थानों के टेलीफोन तथा स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये गये ;

(ग) पुरी डाक डिवीजन में 1969–70 में कहां-कहां पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(घ) उड़ीसा में पुरी जिले के इसपल्ला में गनियों में सार्वजनिक टेलीफोन कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) वनपल्ली (सहीनाम बरपल्ली है), जालसवा, जूनागढ़ और निमापुर में पहले से ही स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं। वासुदेव पुर में भी एक छोटा स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किया गया है और वह शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

(ख) 1968–69 के दौरान पुरी डाक डिवीजन में कोणार्क, बगुनिया और कनास में लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन घर और सूर्यनगर, शहीदनगर और भुवनेश्वर में कल्पना, स्केवर और पुरी में जगन्नाथ बल्लव में स्थानीय टेलीफोन घर खोले गये थे।

(ग) 1969–70 के दौरान पुरी डाक डिवीजन में काखरा में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने की संभावना है।

(घ) गतिया में नया गढ़ एक्सचेंज से सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया, चूंकि इस योजना से विभाग को घाटा दिखाई दे रहा था और विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार इस घाटे को छोड़ा नहीं जा सकता था। डसपल्ला में छोटा स्वचालित एक्सचेंज खोलने के बाद इस मामले की फिर से जांच की जायगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों की स्थापना

4402. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 24 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में चावल मिलें स्थापित करने पर कितनी लागत लगी है ; और

(ख) क्या इन मिलों ने काम करना आरम्भ कर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथ सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में 24 चावल मिलें स्थापित करने के लिये कुल अनुमानित पूंजी लागत लगभग 8.04 करोड़ रुपये बैठने की सम्भावना है।

(ख) तमिलनाडु में थन्जावूर, मन्नारगुड्डी तथा सेम्बन्नकायल में स्थापित की गयी तीन तीन मिलों ने कार्य शुरू कर दिया है।

कपास की खेती के लिये वैज्ञानिक तरीके

4403. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने कपास की खेती के लिये वैज्ञानिक तरीके अपनाने में एक बड़ भूखण्ड के कपास उगाने वाले किसानों को सहायता देने के लिये मिलों को पृथक तथा सामूहिक रूप से आमंत्रित करके अपनी कपास विकास परियोजना का पुनर्नवीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी तथा कौन कौन सी मिलें इस योजना में भाग लेने के लिए सहमत हो गई है ; तथा उनके द्वारा वैयक्तिक और सामूहिक रूप से कितने एकड़ भमि में उक्त योजना क्रियान्वित की जायेगी ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितना-कितना क्षेत्र आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). भारतीय सूती कपड़ा मिलों के संघ से इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उड़ीसा के कुलावरूद मधुसूदन दास की स्मृति में डाक टिकट

4404. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या आधुनिक उड़ीसा के एक महान वास्यशास्त्री कुलावरूद मधुसूदन दास के में एक सम्मान स्मारक डाक-टिकट निकालने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : यह प्रस्ताव डाक-टिकट सलाहकार समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा ।

दूसरे सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वयन

4405. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा कार्मिक संघों ने यह निर्णय किया है कि दूसरे सूती कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिश के बारे में कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये अनुचित रवैये के विरूद्ध समस्त उत्तर प्रदेश में संघर्ष आरम्भ करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो पंचाट को क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) मजूरी बोर्ड की सिफारिशें न्यायाधिकरण के पंचाट के समान नहीं है । राज्य सरकार से अनुनय और परामर्श द्वारा क्रियान्विति करने की प्रार्थना की गई है ।

रूस के सहयोग से बाल फिल्मों का निर्माण

4406. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल फिल्म संस्था ने रूस के सहयोग से भारत में अनेक बाल फिल्में तैयार करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली पहली फिल्म का नाम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग म राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ग). जी, नहीं । तथापि चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी ने "ब्लैक माऊंटेन" नामक एक फीचर फिल्म बनाने के लिए मैसर्स मास्को पापुलर साईंस स्टुडियो के साथ सहयोग करार किया है ।

(ख) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी और पापुलर साईंस एण्ड एजुकेशनल फिल्म्स मास्को का केन्द्रीय स्टुडियो फिल्म के संयुक्त निर्माता होंगे । फिल्म, जो रंगीन होगी, लगभग 2,400 मीटर लम्बी होगी और उसकेनवम्बर, 1970 तक पूरी हो जाने की संभावना है । इस फिल्म के निर्माण में मास्को स्टुडियो का कुल खर्चा 1,00,000 रूबल्ज (लगभग 8 लाख 33 हजार रुपये) से कम

नहीं होगा और सोसाइटी का 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होगा । फिल्म भारत में तथा-भारत की परम्परागत फिल्म निर्यात मार्केट में सोसाइटी द्वारा वितरित की जायेगी तथा सोवियत संघ में तथा इसकी परम्परागत फिल्म निर्यात मार्केट सोवेक्सपोर्ट फिल्म द्वारा । इन दोनों श्रेणियों में न आने वाले देशों में सोसाइटी तथा सोवेक्सपोर्ट फिल्म दोनों मिलकर वितरित करेंगे और लाभ दोनों में आधा आधा बांटा जायेगा ।

Number of Post Offices in Bihar

4407. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Post Offices in the country;

(b) the total number of post offices in Bihar ;

(c) the number of Post Offices that were opened at Brahmpur Chourasta in Shahabad district last year; and

(d) the total amount spent on its inauguration and the justification therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of communications (Shri Sher Singh): (a) 102650

(b) 7878

(c) One

(d) Rs. 2358.66. This amount was spent to celebrate the opening of the one hundred thousandth post office in the country. This was considered a landmark in the history of the Indian Post Office because at the time of Independence, there were only 22,116 post offices in the country.

Exhibition of Pakistani films in India and Vice-versa

4408. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Information and Broadcasting and** Communications be pleased to state:

(a) the number of Pakistani films being exhibited in India and the terms and condition thereof and the States in which they are being exhibited; and

(b) the number of Indian films being exhibited in Pakistan and the terms and conditions thereof?

The Minister of State for Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). Trade with Pakistan was suspended in September, 1965. Although India has lifted the ban Pakistan has not reciprocated and unless and until this is done trade between the two countries cannot be resumed; there has been no import of Pakistani films into India. Efforts to persuade Pakistan to resume trade with India have not met with any success.

Fire in the Dispensary of P & T Department Agra

4409. Shri Nihal Singh :
Shri Shashi Bhushan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fire in a Dispensary of Post and Telegraph Department, Agra resulted in a loss of Rs. 2 lakhs;

(b) whether it is also a fact that the Officials holding enquiry did not find in the ashes even the glass pieces of the bottle containing medicines; and

(c) if so, the names of persons against whom action has been taken and the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of communications (Shri Sher Singh): (a) Yes Sir, but the loss assessed is Rs. 1,04,679.00.

(b) No, it is not a fact.

(c) The pharmacist of the said dispensary is reported to be responsible for the accidental fire and necessary action is being taken against him.

Levelling of Uneven Land by C.T.O.

4410. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government would consider the proposal to get the uneven land of river valleys in different States levelled by the Central Tractor Organisation;

(b) if so, the time by which the scheme would be implemented by the Government; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The Central Tractor Organisation has since been wound up. The question of uneven land of the river valleys being levelled by the Central Tractor Tractor Organisation does not therefore arise.

Reclamation of Land by C.T.O.

4411. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the acreage of land in each State proposed to be made cultivable after being reclaimed by the Central Tractor Organisation during the Fourth Five Year Plan period ;

(b) the names of the State Governments which have made such a demand; and

(c) the reaction of the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The Central Tractor Organisation has been wound up. The question of cultivable land in each State being reclaimed by the Central Tractor Organisation during the Fourth Five Year Plan does not, therefore, arise.

Rehabilitation of Indian Repatriates from Foreign Countries

4412. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the names of the countries from which refugees came to India during the last six months and the number thereof;

(b) the details regarding their settlement in difierent States;

(c) the number of those to whom employment and accommodation could not be provided; and

(d) the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The number of new migrants from East Pakistan and repatriates from

Burma and Ceylone, who came to India during the period from 1.1.1969 to 30-6-1969, is as follows :—

	No. of persons
New migrants from East Pakistan	4270
Repatriates from Burma	5164
Repatriates from Ceylon	2313*

These figures do not include refugees from Tibet.

*Those who came u nder the Indo-Ceylon Agreement, 1964.

(b) to (d). Rehabilitation plans and programmes are not drawn up on the basis of the requirements of specified sections of new migrants or repatriates who migrate/repatriate over a small specific period of time. It is, therefore, not possible to indicate specifically how many of the persons who came to India during the last 6 months have already been settled or provided rehabilitation assistance.

However, during the said period of six months, 1502 families (consisting of approximately 6308 persons) of new migrants from East Pakistan were settled in agricultural and non-agricultural occupations in different States, in Dandakaranya Project and in the Andaman and Nicobar Islands. 1853 Burma Repatriates were given rehabilitation assistance in the shape of business loans. Besides, employment was found for 241 Burma repatriates. During the same period, rehabilitation assistance was provided to 245 Ceylon repatriates. These figures are inclusive of migrants/repatriates who came to India prior to 1-1-1969.

All possible efforts are being made for the speedy rehabilitation of migrants and repatriates. It is not, however, possible to say when exactly this work is likely to be completed.

Implementation of the Instructions of the Ministry of Home Affairs regarding reservations in promotions of Scheduled Caste Employees

4413. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) Whether the Employee's Provident Fund Organisation and the Employees' State Insurance Corporation have complied with the circular No. 1-12-67 (Establishment) dated the 11th July, 1968 issued by the Ministry of Home Affairs in connection with the reservations in promotions of Scheduled Caste employees;

(b) whether these organisations have declared any roster and separate selection list as desired by the Ministry of Home Affairs regarding promotions in the region of Gujarat and Uttar Pradesh after the receipt of the aforesaid circular; and

(c) if so, the time by which the said circular would be complied with ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): The Employees' State Insurance Corporation and the Employees' Provident Fund Organisation have reported as under :—

(a) The instructions issued by the Ministry of Home Affairs are being complied with by the Employees' State Insurance Corporation and the Employees' Provident Fund Organisation.

(b) (*i*) *Employees' State Insurance Corporation.* Promotion up to the cadre of Upper Division Clerks is being made on regional basis and the prescribed roster is being maintained in Gujarat and Uttar Pradesh Regions. No separate selection list is to be drawn for these posts. Promotion to the posts of Head-Clerks and above is made on all India basis and necessary roster and selection list are prepared at the Headquarters' Office.

(*ii*) *Employees' Provident Fund Organisation.* Yes.

(c) Does not arise.

Reservation of Posts for Scheduled Castes in Employees Provident fund Organisation and Employees State Insurance Corporation.

4414. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of class I, II and III (Supervisory) posts in the regions of Gujarat and Uttar Pradesh respectively in the Employees' Provident Fund Organisation and the Employees' State Insurance Corporation and the number of posts out of them reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes; and

(b) the number of reserved posts out of them lying vacant at present and the efforts made to fill up the said vacancies by appointing the Scheduled Caste candidates ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). Information as furnished by the Employees' Provident Fund Organisation and the Employees' State Insurance Corporation is given in the Statements I and II laid on the table of the houses. [Placed in Library. *See* No. LT-1764/69].

समाचार भारतीय न्यूज एजेन्सी का खर्च

4415. **श्री कार्तिक उरांव :**
श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद :
श्री नम्बियार :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की समाचार भारती न्यूज एजेन्सी के अधिकारी इस एजेन्सी के धन को अपने निजी लाभों के लिये बुरी तरह खर्च कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि महा-प्रबन्धक सहित एजेन्सी के अधिकारी फिजूल खर्च को न रोकते हुए जल्दी-जल्दी नियमित रूप से शाखा कार्यालयों की विमान से यात्रा करते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुप्रबन्ध के कारण नई दिल्ली शाखा कार्यालयों के कर्मचारियों को उनकी मासिक अदायगी नियमित रूप से नहीं की जाती है;

(घ) पिछले वर्ष प्रत्येक अधिकारी द्वारा की गई विमान-यात्राओं की संख्या क्या है, उन यात्राओं पर कितना खर्च हुआ तथा कितने मामलों में अदायगी विलम्ब से हुई; और

(ङ) यदि उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं तथा प्रशासनिक मामलों में मितव्ययता लागू करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ङ). समाचार भारती एक स्वतन्त्र समाचार एजेंसी है। इस मंत्रालय का इसके दिन-प्रतिदिन के संचालन पर कोई नियंत्रण नहीं है, न ही इसके पास पूछी गई जानकारी है।

बिहार सरकार द्वारा समाचार भारती न्यूज एजेंसी के शेयरों की खरीद

4416. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने समाचार भारती न्यूज एजेन्सी, नई दिल्ली से शेयर खरीदे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और शेयरों को किस आधार पर खरीदा गया;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने समाचार भारती के निदेशक बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिये कोई कार्यवाही की है जिससे कर्मचारियों की कार्यकारी स्थिति और उनके विनियोजन के वित्तीय पहलुओं पर निगाह रखी जा सके; और

(घ) क्या बिहार सरकार ने अन्य राज्य सरकारों की भांति अपने खातों की लेखा परीक्षा करवाने के बारे में कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने समाचार भारती समाचार एजेन्सी से सौ सौ रुपये के 5000 शेयर खरीदे थे। यह भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिन्दी भाषा में समाचारों तथा फीचर सेवा के संग्रह तथा वितरण करने, जिसके लिये न्यूज एजेन्सी स्थापित की गई थी, की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने के दृष्टिकोण से खरीदे गये थे।

(ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय

4417. **श्री अदिचन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से भारत वापिस लौटने वाले 1500 भारतीयों का एक नया दल भारत पहुंच गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 जुलाई, 1969 तक की अवधि में 6,729 भारतीय बर्मा से स्वदेश लौटे हैं।

(ख) बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिये की गई कार्यवाही सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1765/69]**

श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिये कन्या कुमारी में रबड़ बागान सम्बन्धी योजना

4418. **श्री जनार्दनन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने श्रीलंका से वापिस लौटने वाले भारतीयों के लिये तमिलनाडु में कन्या कुमारी ज़िले में रबड़ बाग़ान सम्बन्धी कोई योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : जी, हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें योजना की मुख्य बातें दी गई हैं, संलग्न है ।

(ग) 124.63 लाख रुपये ।

विवरण

मंजूर की गई योजना के अन्तर्गत क्षेत्र	2,000 एकड़
परियोजना का स्थान	तमिल नाडू का कन्याकुमारी ज़िला
रोजगार संभाव्य	666 व्यक्ति
योजना के लिये मंजूर की गई धनराशि (ऋण)	124.63 लाख रुपये
परिपालन एजेन्सी	तमिल नाडू सरकार ।

आकाशवाणी के विविध भारती तथा प्रतिलेखन केन्द्रों में प्रतिलिपिकों तथा टाइपिस्टों के रिक्त पद

4419. **श्री शिव नारायण :**
श्री लताफत अली खां :
श्री राम चरण :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, नई दिल्ली के रिकार्ड प्रत्यंकन और विविध भारती केन्द्र में प्रतिलिपिकों/टाइपिस्टों के बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और क्या इन पदों पर व्यक्तियों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो इनको किन-किन तारीखों पर नियुक्त किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि दो बार के चयन अब तक रद्द किय जा चुके हैं या उनमे परिवर्तन किया जा चुका था क्योंकि चयन के प्रभारी अधिकारियों ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और चुने गये व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें थीं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले की इस समय क्या स्थिति है और इन मामलों में चयन के लिये संक्षेप में क्या तरीका अपनाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) ये पद जुलाई, 1968 से खाली रहे हैं । इन पदों पर कैजुअल आधार पर लगाये गये व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	नाम	कापिस्ट/जनरल असिस्टेंट के रूप में कैजुअल आधार पर लगाये जाने की शुरू की तारीख	
1.	श्री वेद प्रकाश, हिन्दी कापिस्ट	*14–11–1967	*प्रारम्भ में पहले की रिक्तियों के बदले लगाये गये, परन्तु पहले की रिक्तियां भर जाने पर नई रिक्तियों के बदले पद पर बने रहे ।
2.	श्री यामिन, हिन्दी कापिस्ट	16–10–1968	
3.	श्री गोपाल कृष्ण (अपाहज व्यक्ति)	*10–10–1967	
4.	कुमारी सुमित्रा तिवारी	3–2–1969	

(ग) जी हां ।

(घ) मामले की जांच हो रही है । कापिस्ट/जनरल असिस्टेंट के पद टैस्ट और इन्टरव्यू के आधार पर भरे जाते हैं ।

शान्ति के लिये खाद्यान्नों का भेजा जाना

4420. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका के एक श्रमिक संघ के नेता ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह "शान्ति के लिए खाद्यान्नों" के भेजे जाने के मामलों के अमरीका के कानून की उपेक्षा करने और अमरीकी श्रमिकों की बातचीत में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) गैर-अमरीकी पताका जलयानों की कमी को दृष्टि में रखकर और पी० एल०-480 विनियमों का अनुपालन करने के लिये, जिनके अनुसार खाद्यान्न का 50 प्रतिशत अमरीकी पताका जलयानों द्वारा भेजा जाना चाहिये, भारतीय सप्लाई मिशन के लिए अमरीकी पताका जलयानों का उपयोग करना आवश्यक था । चूंकि अधिकांश अमरीकी पताका जलयानों पर समुद्री नाविकों की 15 जून, 1969 से होने वाली आशंकिक हड़ताल का बुरा असर पड़ता, इसलिये भारतीय सप्लाई मिशन ने यह मांग करना विवेक-पूर्ण समझा कि अमरीकी पताका जलयान-मालिक हड़ताल के परिणामस्वरूप होने वाली ले-टाइम की

हानि और/अथवा खाद्यान्न सप्लाई कर्ताओं के भारतीय सप्लाई मिशन द्वारा हर प्रकार के दायित्व की सारी जिम्मेदारी उठा लें ।

फफूंद रोग के कारण आमों के उत्पादन में कमी

4421. **श्री कृ० गु० देशमुख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेष प्रकार की फफूंद लगने के कारण उत्तर भारत में प्रसिद्ध आमों की उपज में 30 प्रतिशत कमी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में फफूंद लगने के कारण "दशहरी" किस्म के आमों की उपज में 50 प्रतिशत कमी हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि इस रोग के कारण उपज में हुई कमी का कोई निश्चित दित्ता उपलब्ध नहीं है, तथापि रोग बढ़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उपज में काफी कमी हो रही है । 1969 के मौसम के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्रायोगिक फलोधान में समस्त फलित 'दशहरी' किस्मों का लगभग 57 प्रतिशत इससे प्रभावित पाया गया ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की एक योजना जिसके अन्तर्गत एक उद्यान-विशेषज्ञ, एक विकृति-विज्ञानी एक वाइरस-विज्ञानी और एक कीट-विज्ञानी संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, इस रोग के कारण और उसे भली-भांति नियंत्रण में लाने के ढंग व इस दिशा में विस्तार से पता लगाने का कार्य प्रगति पर है । इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में प्रभावित प्ररोहों को काटने और 0.1 प्रतिशत "कैप्टन" (एक फन्गीसाइड) तथा "एकार" (एक मिटिसाइड) का वृक्ष पर छिड़काव करने से उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं ।

समुद्रपार सेवाओं में समाचारों का विलम्ब से प्रसारण

4422. **श्री प० मु० सईद** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12/13 जून, 1969 को वैदेशिक सेवा विभाग, सामान्य समुद्रपार सेवा में सुबह निर्धारित समय 3–30 बजे प्रसारित किये जाने वाले समाचार को पांच मिनट विलम्ब से प्रसारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समाचारों के विलम्ब से प्रसारित करने वाले कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) क्या सरकार को आकाशवाणी के परिसर में विशेषकर समुद्र पार सेवाओं में रात्रि में चल रही अनैतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सरकार को इस प्रकार की किसी शिकायत की जानकारी नहीं है ।

Requirement of Rigs in the Country

4423. Shri Yashwant Singh Kushwah: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the present requirement of rigs in the country for drilling tubewells for irrigation and the arrangements made to meet the requirement ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): The Sub Group on Water Well Drilling Equipment set up for formulation of Fourth Plan Proposals had assessed the requirement of power rigs in the country for boring tubewells and drilling tubewells during the Fourth Plan as 400. Steps have been taken to expand the indigenous manufacturing programme of rigs and it is expected that most of the requirement would be met from the indigenous market. Only some specialised and highly sophisticated rigs are now required to be imported. Foreign exchange amounting to Rs. 291·04 lakhs has already been released for import of these rigs.

कार निकोबार द्वीप समूह के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

4424. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार निकोबार द्वीप समूह में काम करने वाले लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा के स्थायीकरण, कर्मचारी भविष्य निधि नियमों तथा आवास आदि की शिकायतों के बारे में लोक निर्माण विभाग कार निकोबार के कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन सरकार के पास आया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन मांगों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1766/69]**

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा उत्पादित खाद्य-उत्पादों के मूल्य

4425. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित खाद्य उत्पाद गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित इसी प्रकार के खाद्य उत्पादों की तुलना में अधिक अथवा समान मूल्यों

पर बिक रहे हैं जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र को उत्पाद-शुल्क अथवा करों में छूट आदि वे सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जोकि सरकारी क्षेत्र को प्राप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा तैयार किए खाद्य पदार्थों के मूल्य तुलनात्मक किस्म के इसी प्रकार के पदार्थों के बाजार में चल रहे मूल्यों के साथ उपयुक्त बराबरी करते हैं । वस्तुतः इन प्रतिष्ठानों को उत्पादन-शुल्क से मुक्ति जैसी कोई विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं ।

चीनी के सहकारी मिलों द्वारा चीनी को अधिक मूल्य पर बेचा जाना

4426. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी चीनी मिलों को अपने सहकारिता के लक्षणों के कारण अन्य गैर-सरकारी मिलों की अपेक्षा, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों में छट के साथ-साथ और अधिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के द्वारा अपेक्षाकृत अत्यधिक मूल्य पर चीनी बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सहकारी चीनी मिलों को उत्पादन शुल्क में कोई भी छूट नहीं दी गई है । तथापि, आयकर-लेवी में रियायत देने की अनुमति है ।

(ख) सहकारी चीनी मिलें लेवी-चीनी की बिक्री सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यों पर करती हैं । व मुक्त चीनी की बिक्री बाजार में चल रहे मूल्यों पर करती हैं ।

छोटी परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त धन

4427. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कम धन आवंटित किये जाने के कारण उनका मंत्रालय स्वतन्त्रता के बाद छोटी सिंचाई सम्बन्धी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वित्त मंत्रालय से अधिक धन देने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ग) छोटी परियोजनाओं के लिये अपर्याप्त धन दिये जाने से देश को इससे कितनी हानि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत

छोटी सिंचाई के लक्ष्य पूरी तरह से पूरे कर लिये गये हैं । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय, तकनीकी तथा आर्थिक औचित्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की योजनाओं, संगठन तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर लघु सिंचाई कार्यक्रम की प्रत्येक योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता । प्रत्येक राज्य में लघु सिंचाई तथा अन्य प्लान स्कीमों के लिये पंचवर्षीय योजनाओं तथा वर्षानुवर्ष के लिये धन का आवंटन, दोनों केन्द्रीय तथा राज्य के पूर्ण वित्तीय संसाधनों तथा क्षेत्रवार सम्बन्धित प्राथमिकता, राज्यों तथा केन्द्र के आपसी विचार-विमर्श के आधार पर, निर्धारित किया जाता है । भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषि पुनर्वित निगम आदि संस्थानात्मक एजेन्सियों से अतिरिक्त धन की गतिक्षमता के द्वारा, योजना आवंटन की अत्यधिक सम्भव सीमा तक अनुपूर्ती की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

भेड़-पालकों के संघों को सहायता

4428. श्री क० लकप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेड़-पालकों के कितने पंजीकृत और अपंजीकृत संघ हैं ;

(ख) राज्यों अथवा केन्द्र के माध्यम से भेड़-पालकों के संघों में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुदान अथवा वित्तीय सहायता स्वीकार की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पूछी गई जानकारी को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण यथा समयसभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पत्तन से रेल तक खाद्यान्नों का परिवहन

4429. श्री क० लकप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों का पत्तन से रेल तक परिवहन करने के लिए कितने ठेकेदारों को पंजीकृत किया हुआ है ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में कदाचार के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने पत्तनों से रेल छोरों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए किसी ठेकेदार को पंजीबद्ध नहीं किया है । ये ठेकेदार प्रत्येक अवसर पर आमन्त्रित टेंडरों के आधार पर समय-समय पर नियुक्त किए जाते हैं ।

(ख) किसी कदाचार की सूचना नहीं दी गयी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईसाई धर्म प्रचारकों के माध्यम से गेहूं का मुफ्त वितरण

4430. श्री क० लकप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ईसाई धर्म प्रचारक के माध्यम से गेहूं के मुफ्त वितरण के लिये की गई व्यवस्था का भारतीय खाद्य निगम द्वारा देश में उसके वितरण के लिये एजेन्सी निर्धारित करने में दुरुपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हमारे देश के लोगों में अन्य देशों से प्राप्त इन मुफ्त उपहारों के वितरण के लिये सरकार द्वारा क्या सिद्धान्त तथा नीति निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारतीय खाद्य निगम का संबंध कुछ द्विपक्षीय करारों के अधीन प्राप्त खाद्यान्नों के उपहार माल की केवल निकासी, भण्डारण तथा प्रेषण से है । ऐसे उपहार माल के वितरण के लिए कोई एजेंसी निर्धारित करना उनका कार्य नहीं है ।

(ख) द्विपक्षीय करारों के अधीन विदेशों से प्राप्त गेहूं और अन्य खाद्यान्नों व खाद्य पदार्थों के उपहार स्वीकृत राहत एजेसियों द्वारा नामित वितरकों द्वारा वितरित किए जाते हैं । गरीबों और जरूरतमंद लोगों में यह वितरण बिना किसी जाति-पांति के भेदभाव के किया जाता है । वितरण की योजना संबंधित जिला कलक्टर को ऐसी देख-रेख के लिए जैसी कि आवश्यक हो, प्रस्तुत की जानी है । जहां तक भारत सरकार से प्राप्त ऐसे पहारों का संबंध है, सामान्यत: इनका वितरण राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है ।

टेलीप्रिन्टरों का निर्यात

4431. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **सूचना और प्रसारण** तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मध्य पूर्व देशों को टेलीप्रिन्टरों का निर्यात करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने आर्डर भेजे हैं ;

(ग) कितने टेलीप्रिन्टरों का निर्यात किया जाना है तथा कब किया जाना है ; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). इस समय मध्य-पूर्वीय देशों को दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) निर्यात करने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है । हां, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास ने कुवैत सरकार द्वारा आमंत्रित निविदा (टेण्डर) के उत्तर में 1800 अदद दूरमुद्रक उपस्कर के संभरण तथा अधिष्ठापन का प्रस्ताव अवश्य किया है । इस निविदा के परिणाम की प्रतीक्षा है ।

Enquiry against R. M. S. Employees of Kota District

4432. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Superintendent, R. M. S., Jaipur made an enquiry into the allegation that certain employees of the R. M. S. Kota District obstruct the work and threaten and lodge false complaints against those employees, who want to give evidence in court cases ;

(b) if so, the results of the enquiry ; and

(c) the action taken against those found guilty and the reasons for not transferring them?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) The Superintendent enquired into complaints made by a Sorter and an Inspector of R.M.S. Kota against each other in August, 1968.

(b) and (c). It was found that the complaints related to a personal matter and the matter was also pending in a Court, which was later compromised; hence no action was taken.

Distribution of Pumping Sets in Bihar

4433. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has ever been drawn to the corrupt practices and heavy bribery being indulged in the distribution of handpumps supplied for drinking water in Mehsi and Kalyanpur Block in Champaran District of Bihar ;

(b) whether it is a fact that many social workers discussed this matter writh the Block Development Officers and other big officers; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

पालघाट जिले (केरल) के डाक तथा तार कर्मचारी

4434. श्री ई० के० नायनार : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट जिले (केरल राज्य) में डाक तथा तार के कितने कर्मचारियों को अब भी परेशान किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पालघाट डाक डिवीजन में तृतीय श्रेणी का एक कर्मचारी अब भी निलम्बित है जबकि उसके विरुद्ध दर्ज किया गया दंडिक मामला भी वापिस ले लिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पालघाट जिले में विभागीय शाखा पोस्टमास्टर ड्यूटी से हटा दिया गया था और उससे 19 सितम्बर, 1968 को अनुपस्थित रहने के कारण आरोप-पत्र दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) किसी को भी परेशान नहीं किया गया ।

(ख) पालघाट डाक मंडल में एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी 7-10-1968 से मुअत्तल है । उसके विरुद्ध जिस न्यायालय में दंडिक मामला चल रहा था वहां से सहायक लोक अभियोजक ने मामला वापिस ले लिया था । मामला वापिस लेने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका पर केरल के उच्च न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, इसलिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई समाप्त नहीं की गई है ।

(ग) जी नहीं । लेकिन पालघाट जिले में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा-पोस्टमास्टर को उसके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्रवाई के समाप्त होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया था । इस शाखा-पोस्टमास्टर को बहाल कर दिया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अरबी का आकाशवाणी द्वारा प्रसारण

4435. **श्री प० मु० सईद :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने निर्धारित क्षेत्रों में अरबी प्रसारण के बारे में अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुए डब्लू० ए० एन० ए० क्षेत्र सम्मेलन में भारतीय राजदूतों से विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजदूतों का यह विचार था कि आजकल प्रसारित होने वाला कार्यक्रम बड़े घटिया स्तर का है तथा इसमें पूर्ण रूप से सुधार की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) बाना रीजन के भारतीय दूतावासों के प्रमुखों का एक सम्मेलन मई, 1969 में विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था । इस सम्मेलन में इस रीजन के लिए आकाशवाणी के प्रसारणों के बारे में विचार हुआ था ।

(ख) हमारे राजदूतों ने इन प्रसारणों के तकनीकी तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पहलुओं के बारे में अपनी राय दी थी और उनमें सुधार के लिए सुझाव दिए थे ।

(ग) कार्यक्रमों के स्तर में सुधार के लिए सरकार कदम उठा रही है । राजकोट के निकट अधिक शक्तिशाली मीडियम वेव ट्रांसमिटर के लग जाने से इन क्षेत्रों में आकाशवाणी के प्रसारणों के श्रवण स्तर में सुधार होगा ।

श्रम प्रशासन व्यवस्था की स्थापना

4436. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि राज्यों में उचित श्रम प्रशासन व्यवस्था की स्थापना करने पर होने वाले खर्च में केन्द्र सरकार का भी अंशदान होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को योजना कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता तो देती है, परन्तु श्रम कानूनों को लागू करने में प्रशासन-व्यय के लिए कोई अलग सहायता नहीं दी जाती ।

स्टाफ कलाकारों की भर्ती की प्रक्रिया

4437. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में स्टाफ कलाकारों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सब पदों के विज्ञापन समाचार पत्रों में नहीं दिये जाते और सभी पदों के लिए कोई आवेदन-पत्र या प्रवेश-शुल्क निर्धारित नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से पद हैं जिनके लिये समाचार पत्रों या अन्य साधनों से विज्ञापन दिये जाते हैं, और कितने मामलों में आवेदन-पत्र तथा प्रवेश-शुल्क निर्धारित है ; और

(घ) चयन प्रक्रिया में यदि कोई अन्तर है तो क्या ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल)

(क) सीधी भर्ती द्वारा और नीचे की श्रेणियों से पदोन्नति द्वारा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रोड्यूसर सहायक प्रोड्यूसर, अनाउन्सर, न्यूजरीडर और स्क्रिप्ट लेखकों की रिक्तियां समाचार-पत्रों और आकाशवाणी की पत्रिकाओं में विज्ञापित की जाती है । वाद्य गायकों और नाटक स्वरों की रिक्तियों को सम्बन्धित प्रदेशों के निर्धारित श्रेणी के स्वीकृत कलाकारों के बीच सर्कुलेट किया जाता है । अन्य स्टाफ आर्टिस्टों की रिक्तियां रेडियो पर

घोषित की जाती हैं, केन्द्रों के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित की जाती हैं और आकाशवाणी की पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती हैं । अनाऊंसर / न्यूजरीडर-अनुवादक के पद के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन फार्म, जो 5 रुपये की फीस के साथ प्राप्य हैं, में आवेदन करना होता है । अन्य पदों के लिए कोई फीस नहीं है न ही कोई आवेदन फार्म निर्धारित किया गया है ।

(घ) सीधी भर्ती वाले पद खुली मार्केट से भरे जाते हैं, साथ-साथ विभागीय उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाता है । पदोन्नतियों के मामले में, केवल विभागीय उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाता है ।

संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों का क्लब

4438. श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत तथा नाटक विभाग के निदेशक संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों के क्लब के सभापति थे अथवा हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्लब की स्थापना सरकार की स्वीकृति से हुई है ;

(ग) क्या यह एक पंजीकृत संस्था है, तथा इसने अपने कार्यकर्ताओं का चुनाव किया है ;

(घ) संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों से प्रतिमास कुल कितना धन एकत्रित किया गया है ; और

(ङ) इस समय क्लब के पास कुल कितना धन शेष पड़ा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी हां, । गीत तथा नाटक प्रभाग के निदेशक गीत या नाटक प्रभाग के मनोरंजन क्लब के पदेन अध्यक्ष हैं ।

(ख) गृह मंत्रालयों के अनुदेशों के अनुसार क्लब प्रभाग के कर्मचारियों के कल्याण की गतिविधियों के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था ।

(ग) क्लब पंजीकृत नहीं है तथा वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इसको पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है । अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को क्लब चुनता है ।

(घ) क्लब का मासिक शुल्क प्रति व्यक्ति 50 पैसे है और सदस्यता शुल्क में औसतन 111 रुपये प्रति मास इकट्ठा होता है ।

(ङ) 8 अगस्त, 1969 को क्लब के पास 1,800 रुपये 40 पैसे धन शेष था ।

Nationalisation of Film Industry

4439. Shri Deven Sen: Will the Minister of **Information and Broad Casting and Communications** be pleased to state:

(a) whether following the nationalisation of banks, Government propose to nationalise the film Industry;

(b) if so, the time by which it would be done; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government are keen to encourage self regulation through an institutional framework and does not regard nationalisation essential.

गुरु नानक के बारे में पुस्तक

4440. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिख धर्म के संस्थापक की 500वीं जन्म शताब्दी के सुअवसर पर गुरु नानक के जीवन तथा उनके उपदेशों के बारे में अंग्रेजी, हिन्दी तथा पंजाबी भाषाओं में कोई पुस्तक प्रकाशित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री० ई० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) पुस्तक में गुरु नानक के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर लेख आदि होंगे । बच्चों और सामान्य जनता के पढ़ने के लिये हिन्दी में गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी भी निकालने का विचार है ।

सुन्दर नगर (टाटा नगर) टेलीफोन एक्सचेंज का बन्द किया जाना

4441. **श्री हरि कृष्ण** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दर नगर (टाटा नगर) टेलीफोन एक्सचेंज को बन्द करने का निर्णय किया जा चुका है ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) इस एक्सचेंज के बन्द होने से कठिनाई-ग्रस्त होने वाले एक्सचेंज उपभोक्ताओं के लिये स्थानीय तथा बाह्य कालों की सुविधा देने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है अथवा किया जायेगा;

(घ) क्या बिहार सर्किल के पोस्ट-मास्टर जनरल को कोई आदेश दिये गये हैं कि वह कोई सन्तोषजनक वैकल्पिक व्यवस्था करें जिससे उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न हो ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हुमायून कबिर द्वारा प्रस्तावित विधेयक के बारे में समाचार

4442. **श्री अबदुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने काले धन का पता लगाने तथा करों के अपबंचन को रोकने के बारे में संसद्-सदस्य, श्री हुमायून् कबिर द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर 25 जुलाई, 1969 को लोक-सभा में हुई चर्चा के बारे में कोई समाचार नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Supply of latest varieties of paddy seeds to states

4443. **Shri K. M. Madhukar** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of latest varieties of paddy seeds supplied by the Central Government to the States during the current year as compared to that during the previous years ;

(b) whether it is a fact that the latest varieties of paddy seeds could not be supplied this year in time due to the carelessness of the Government Officers and thus the desired results cannot be achieved;

(c) if so, the improvements proposed to be effected by Government in the procedure for supplying paddy seeds to the farmers in time; and

(d) in case no improvements are proposed to be effected; the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Central Government supplied 13,176.23 quintals of latest varieties of paddy seeds to State Governments as well to private parties during the current year upto 15-7-69 through the agency of the National Seeds Corporation against the supply of 38,491.80 quintals supplied during the last year.

(b) No, Sir. However, there had been some delay in supply of newly released paddy seeds of 'Jaya' variety due to cyclone and flood in Andhra Pradesh at the time of harvesting of paddy seeds which resulted in late procurement of paddy seeds.

(c) and (d). Do not arise.

Growing of paddy in sandy areas

4444. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news that a successful experiment has been carried in Ukraine where paddy crop can be grown in the sand ;

(b) if so, whether the said type of experiment is possible in India ;

(c) if so, the action to be taken in this regard for which Government have issued instructions to their agriculture scientists;

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) It is possible to carry out such experiments in the coastal regions of Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

(c) and (d). No experiments have been conducted so far in the country for growing paddy crop in sand as this study does not justify very high priority since rice crop grows very poorly under water stress and it would be possible to grow, with much less water usage, other dry crops.

Colourisation of Vanaspati

4445. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Government have abandoned the scheme for colourisation of Vanaspati Oil particularly Dalda with some special type of colour so as to prevent the adultration of pure ghee;

(b) if so, whether Government have given a thought to any other scheme to check the adulteration of pure ghee;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government wish to check the adulteration of pure ghee ; and

(e) if so, the effective measures taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a). No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Efforts to prevent the adulteration of all foodstuffs, including ghee, are constantly engazing Government's attention.

(e) So far as ghee is concerned, pursuant to the recommendations of the Committee Experts the following measures have been initiated to prevent or at least minimize, its adulteration with vanaspati :—

(i) The addition of sesame oil to serve as a latent colour for vanaspati is being continued; and the drawal of samples of vanaspati both at manufacturer's and market stages, for checking compliance with the Baudouin Test (for checking the presence of sesame oil) is being intensified.

(ii) Large-scale sampling of ghee sold in the markets for checking its freedom from adulteration with vanaspati, as reflected by a negative Baudouin Test.

(iii) More vigorous enforcement of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, and the Rules framed thereunder.

(iv) Encouraging the marketing of ghee in small containers under AGMARK seal.

Development of Agriculture and Cattle Wealth under Agreement with U. A. R.

4446. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and the U.A.R. have entered into an agreement where under both the countries would co-operate with each other in the development of agriculture and cattle-wealth in extending credit facilities for agricultural purposes, in regard to land protection and land reclamation;

(b) if so, the nature of assistance likely to be received by Indian from the U.A.R. in that connection;

(c) whether it is also a fact that the U.A.R. have established contacts with the National Seeds Corporation of India in this regard; and

(d) if so, the foodgrains whose seeds India proposes to supply to U.A.R. as also the quantity of seeds of each variety of foodgrains proposed to be supplied and the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The two countries have agreed to have technical and scientific cooperation in the form of exchange visits by experts, training facilities exchange of technical and scientific information, translation and publication of technical books exchange of equipment and material, exchange, of seeds and breeding material and grant *of* scholarships.

(c) and (d). The U.A.R. have requested for the supply of some medicinal seeds which is being arranged.

कालकाजी कालोनी (नई दिल्ली) में पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये धन

4447. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कालकाजी की कालोनी में अलाटियों के पुनर्वास के लिये मकान निर्माण करने का काम आरम्भ करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकार ने सरकार से पर्याप्त धन देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकार ने सूचित किया है कि वे दो या तीन चुने हुये नमूनों के अनुसार मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लेने तथा सदस्यों से किश्तें वसूल करने के लिये तैयार हैं यदि दो करोड़ रुपये की राशि, जो कि इस प्रयोजन के लिये आवश्यक है, भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में प्राधिकार को उपलब्ध की जाय । निर्माण तथा आवास विभाग के लिये इस प्रयोजन के लिये निधि प्राप्त करना संभव नहीं है । पुनर्वास विभाग की जिस योजना के अन्तर्गत दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किये गये हैं, उसमें भी इन व्यक्तियों को मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है, उस योजना में केवल विकसित प्लाटों को अलाभालाभ आधार पर प्रदान किया जाना ही लक्ष्य में रखा गया था। इसलिये दिल्ली विकास प्राधिकार को सूचित कर दिया गया है कि निधि के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्यों सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

4448. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास कार्य सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति ने दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में नई दिल्ली में कालकाजी के निकट एक कालोनी में पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के बारे में 24 जून, 1969 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बात क्या है; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर अमल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पश्चिम बंगाल से बाहर पुनर्वास के मामले का विषय समीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं आता और इसलिए नई दिल्ली में कालकाजी के निकट बस्ती में शरणार्थियों के पुनर्वास पर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तथापि, श्री एन० सी० चटर्जी, संसद् सदस्य, ने जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, 24 जून, 1969 को एक "नोट" भजा था जिसमें कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती के सम्बन्ध में कुछ विषय उठाये गये थे या सुझाव दिये गये थे। एक विवरण की प्रतिलिपि, जिसमें विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में स्थिति बताई गई है, सभा पटल पर रखी गयी है । **[पुस्तकालय म रखो गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1767/69]** ।

आकाशवाणी में सहायक संयोजकों की नियुक्ति

4449. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक संयोजकों के पदों का जिनका चुनाव आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र तथा विविध भारती की दिल्ली यूनिट पर वर्ष 1968 में हुआ था समाचारपत्रों में भी विज्ञापन दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि साक्षात्कार के लिए केवल तृतीय श्रेणी के स्नातकों को ही बुलाया गया तथा उन्हीं में से चुनाव किया तथा उन्हीं को नियुक्त भी किया गया था; और

(ग) चुने गये तथा कार्य पर लिए गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; उनकी योग्यता क्या है और उनकी बी० ए० में क्या श्रेणी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) मह आकाशवाणी की पत्रिकाओं में विज्ञापित किया गया था, आकाशवाणी के केन्द्रों के नोटिस बोर्डों पर सूचित किया गया था तथा माइक्रोफोन पर भी घोषणा की गई थी।

(ख) और (ग). इस पद के लिये 38 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 18 व्यक्ति, जिनमें द्वितीय श्रेणी के स्नातक और एम० ए० भी शामिल थे, परीक्षा के लिए बुलाए गए थे, जिनमें से 9 उपस्थित हुए थे। परीक्षा में 5 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए अर्हता प्राप्त की थी। ये सभी तृतीय श्रेणी के स्नातक थे। चुने गये और काम पर लगाये गये व्यक्तियों के नाम ये हैं :—

1. श्री आनन्द शिवपुरी
2. कुमारी चित्रा निगम
3. श्री मोहेन्द्र कोहली ।

त्रिपुरा के वनों में इमारती लकड़ी का पाया जाना

4450. श्री किरित विक्रम देव बर्मन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 24 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7520 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा के वनों में चौथी, पंचवर्षीय योजना की अवधि में इमारती लकड़ी की उपलब्धता का अनुमान लगा लिया है अथवा लगाया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विभागों को ध्यान में रखते हुए क्या त्रिपुरा में बनी कार्यकारी योजनाएं अब तैयार हो गई हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) वनों की उपर्युक्त कार्यकारी योजनाओं के आधार पर क्या त्रिपुरा में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की इन योजनाओं को अब अन्तिम रूप दे दिया है, अथवा विचाधीन है, यदि हां, तो प्रत्येक योजना पर कुल कितनी लागत आएगी तथा प्रन्येक की कितनी क्षमता होगी; और

(घ) त्रिपुरा में प्लाईवुड का कारखाना स्थापित करने के लिए सर्वश्री जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कलकत्ता के आवेदन पत्र पर क्या अब कोई निर्णय लिया जा चुका है, यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) त्रिपुरा में 1760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इमारती लकड़ी की उपलब्धि के निर्धारण का कार्य कर लिया गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान शेष वनक्षेत्र में इमारती लकड़ी की उपलब्धि के निर्धारण के कार्य पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं। फिर भी दो प्रमाणों के लिए कार्यकारी योजनाओं की तैयारी का कार्य चालू है।

(ग) इस समय इमारती लकड़ी के संसाधनों की उपलब्धि का निर्धारण न होने के कारण त्रिपुरा में वन-उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखना सम्भव नहीं है। फिर भी गैर-सरकारी क्षेत्र में एक प्लाइवुड का कारखाना स्थापित करने के लिए सर्वश्री जयश्री चाय तथा उद्योग लिमिटिड, कलकत्ता के एक आवेदन-पत्र पर विचार किया जा रहा है, अतः लागत था क्षमता को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) जी नही। प्रस्तावित कारखाने हेतु कच्ची सामग्री के संभरण के लिए त्रिपुरा सरकार और सर्वश्री जयश्री चाय तथा उद्योग लिमिटेड, कलकत्ता के बीच तय होने वाले पट्टे के समझौते की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Reservation for Scheduled Castes in Employees Provident Fund Organisation

4451. Shri Arjun Singh Bhadoria: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total number of posts (i) Regional Commissioners (ii) Deputy Regional Commissioners (iii) Assistant Regional Commissioners (iv) Accounts Officers (v) Inspectors Grade-I,and (vi) other administrative posts,alongwith the names of posts in the Employees' Provident Fund Organisation;

(b) the number out of each category of them which are reserved for persons belonging to the Scheduled Castes;

(c) the number out of the said reserved posts against which employees and officer belonging to Scheduled Castes have been appointed and the number of posts lying vacant at present; and

(d) the names of the castes to which the officers working on these posts at present belong and the steps being taken by the Employees' Provident Fund Organisation to fill up the vacant posts by appointing the persons belonging to the Scheduled Castes ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d). A statement giving the information as furnished by the Employees' Provident Fund Organisation is laid on the Table of the House. [placed in Library *See* No. LT-1768/69]

Realisation of the Dues of Employees' Provident Fund from the Public Undertakings

4452. Shri Arjun Singh Bhadoria: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the amount of Employees' Provident Fund due from those Public Undertakings where the Employees' Provident Fund Act is applicable ;

(b) whether Government are aware that lakhs of rupees are not realised even after a lapse of many years from these undertakings as the inspectors of the organisation are not visited with prosecution powers like the Inspectors of the State Government;

(c) whether Government propose to vest the Inspectors of the organisation with the prosecution powers; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, an autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The Provident Fund Authorities have reported as under :—

Information is not readily available regarding the amount of Employees' Provident Fund dues payable by Public Undertakings to the Employees' Provident Fund Organisation, this will be collected and laid on the Table of the House. The majority of Public Sector enterprises and departmental undertakings of the Central and the State Governments are implementing the provisions of the Employees' Provident Funds Act. Of the remaining establishments, a large number have retirement benefits which are not less favourable than those provided for under the Scheme and would therefore, qualifiy for exemption under Section 17. Efforts continue to be made to ask the concerned enterprises either to

seek exemption or to implement the Employees' Provident Funds Scheme and during the last two months, 21 departmental undertakings of the Central Government have complied with the law by obtaining exemption under Section 17 of the Act.

(c) and (d). The power to sanction prosecution under the Employees' Provident Funds Act now vests with the State Governments. A proposal to amend the Act to empower officers of the Employees' Provident Fund Organisation to sanction prosecutions is under consideration.

Classification of Inspectors in the Employees' Provident Fund Organisation

4453. Shri Arjun Singh Bhadoria: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the propriety in classifying the Inspectors of the Employees' Provident Fund Organisation as 'Grade I' and Grade II';

(b) the reasons for making such a classification when duties and functions of both the Grades are the same;

(c) whether Government propose to do away with this classification and set up uniform grade of the Inspectors; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b). The posts of Provident Fund Inspector in the Employees' Provident Fund Organisation have been classified as (Grade I) and (Grade II) for administrative reasons.

(c) and (d). The Employees' Provident Fund Organisation which is an autonomous body is primarily concerned with the matter.

आकाशवाणी से वार्ता देने के लिये बुलाये गये अनुसूचित जाति के व्यक्ति

4454. श्री राम चरण : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967, 1968 तथा 1969 के जुलाई मास की 15 तारीख तक आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से हिन्दी कार्यक्रमों के लिये वार्ता प्रसारित करने हेतु अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को बुक किया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 तथा 1969 के अन्तर्गत इस समुदाय के व्यक्तियों को दिये गये कार्यक्रमों की संख्या कम हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल). (क) और (ख). आकाशवाणी द्वारा वार्ताकारों को उनकी विशिष्ट विषयों में वार्ता देने की योग्यता के आधार पर निमन्त्रित किया जाता है। वार्ताकार को बुक करते हुए यह जांच नहीं की जाती है कि वह किस जाति से सम्बन्ध रखता है। अतएव यह बताना सम्भव नहीं है कि 1966 के दौरान तथा उसके बाद आकाशवाणी से प्रसारण करने वाले वार्ताकारों में से कितने अनुसूचित जाति के थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

News Bulletins in Vividh Bharati Programme

4455. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the Hindi news bulletins which used to be broadcast in Vividh Bharati programme from the All India Radio, Delhi at 8.00 A.M. and 8.45 P.M. have been discontinued with effect from the 1st July, 1969 ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to reconsider this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Boradcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) These two bulletins have been substituted by nine bulletins in Hindi giving headline news every two hours. This has been done in order to give listeners important news at short intervals throughout the day. The change has been found to be popular with the listeners.

(c) No, Sir.

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज प्लाटों का नियतन

4456. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के लिये बीज भूखण्डों के नियतन के बारे में राष्ट्रीय बीज निगम कौन सी मौलिक नीति का अनुसरण कर रही है;

(ख) उत्पादित बीजों के मूल्य निर्धारण के आधार क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने मध्यप्रदेश राज्य में कितने प्लाटों की स्वीकृति दी है वे प्लाट कहां कहां हैं, वे कितने एकड़ के हैं तथा इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र बाकी पड़े हैं;

(घ) देश में प्रत्येक वस्तु के बीजों की कुल कितनी कमी है तथा उत्पादन की गति में तीव्रता लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं: और

(ङ) क्या भारत से बीजों को निर्यात करने की कोई गुंजाइश है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब सिन्दे) : (क) बीज उत्पादकों/बीज भूखंडों का चुनाव करते समय निगम निम्न बातों पर विचार करती है :

1. बीज उत्पादकों को प्रमुख रूप से बीज उत्पादन का पूर्व अनुभव होना चाहिये ।

2. बीज भूखंडों तक आसानी से पहुंच होनी चाहिये ।

3. उत्पादक के पास बीज उपादन के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिएं ।

4. बीज भूखण्डों में अन्य किस्में उगाने वाले क्षेत्रों से निर्धारित अलगाव अन्तरण अवश्य होना चाहिए ।

5. बीज भूखण्ड प्रक्रिया संयंत्रों के आस-पास स्थित होने चाहियें

उपरोक्त परिस्थितियों को पूरा करने वाले उत्कृष्ट भूखण्डों के लिए यथा सम्भव उत्पादन का नियंतन किया जाता है ।

(ख) बीज उत्पादकों की बीज उत्पादन की लागत और उचित लाभ प्रदान करते हुए बीज उत्पादकों से बीज के अधिप्राप्ति मूल्य निश्चित किए जाते हैं। दूसरा तरीका बीज उत्पादन की अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुए अनाज या बीज के बाजार भाव पर उचित प्रीमियम देना है। एक मौसम से दूसरे मौसम तक के लिये मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। ये मूल्य बीज उत्पादन की लागत, व्यापारिक अनाज के बाजार भाव तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिप्राप्ति के लिये नियत मूल्यों पर निर्भर करने के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होते हैं।

(ग) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मंजूर किए गए भूखण्डों की संख्या और उनके स्थान तथा एकड़ों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 1769/69] निगम के पास बाकी आवेदनों के बारे में अपेक्षित जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा बीज उद्योग द्वारा गत कई वर्षों से सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में किए गए सामूहिक प्रयत्नों से अब देश बीजों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा है। वास्तव में आजकल राज्य सरकारों तथा बीज उत्पादकों के पास गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में--विशेषकर संकर बीज--फालतू पड़े हैं।

(ङ) राष्ट्रीय बीज निगम ने अन्य राज्यों को बीज का निर्यात पहले ही शुरू कर दिया है। निगम ने 33928.80 रुपए के मूल्य के धान्य, मोटे अनाज और सब्जियों का श्री लंका, मलेशिया, डेनमार्क, घाना तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ को निर्यात किया है। विदेशों को बीजों के निर्यात की सुविधायें बढ़ाने के लिए उदारता बरती जा रही है।

पटना के बड़े डाकघर में गबन

4457. **श्रीमती ईला पाल चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पटना के बड़े डाकघर में एक बड़ी राशि के गबन के बारे में पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) पटना मुख्य डाकघर के तार मनीआर्डर निर्गम क्लर्क ने भेजने वालों से तार मनीआर्डरों की रक़म स्वीकार करके पूरी रक़म के लिए मनीआर्डर रसीदें और तार मनीआर्डर संज्ञापन जारी किए, लेकिन सरकारी खाते में कम रक़म और कमीशन जमा किया। इस तरह उसने 67 तार मनीआर्डरों की 31,149 रुपये की रक़म का ग़बन किया। अभियुक्त फरार है। इस मामले की रिपोर्ट विशेष पुलिस संगठन को कर दी गई है और वे इसकी छानबीन कर रहे हैं। पर्यवेक्षण कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अभियुक्त को इस गबन में मदद मिली है। इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

Scheme for Providing Telephones to farmers in Rajasthan

4458. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the details of the work being done in Rajasthan under the Scheme of providing Telephones to the farmers; and

(b) in case no work is being done there, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no special scheme at present to provide telephone connections to farmers. The farmers can, however, obtain telephone connections as per normal rules. The demand for telephones for farmers in rural areas being few, provision of telephones in such areas is not ordinarily economical. The Research Branch of the Department has taken up development of a cheaper type of communication system to meet such needs.

(b) Does not arise.

New Trunk Telephone System

4459. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have evolved a new scheme for connecting the trunk telephone from one city to another quickly and properly under which big cities would be connected by telephones in such a way that they would function in the same manner as local telephones function ;

(b) if so, the places in Rajasthan where the said scheme would be enforced during 1969-70;

(c) whether it is also a fact that an experiment under the above scheme is being made between Agra and Gangapur city of Bharatpur Sub-Division of Rajasthan; and

(d) if so, the time by which the said experiment would be completed, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The Scheme is known as Subscriber Trunk Dialling (STD) Scheme.

(b) The scheme is at present functioning between Delhi and Jaipur. The Scheme is no likely to be extended to other places in Rajasthan during the current year.

(c) No, Sir

(d) Does not arise. The scheme involves provision of a large number of high grade transmission circuits between the two stations to be connected. In the present state of resources position such schemes are being undertaken only between the large cities having automatic exchanges with a very large number of trunk calls. The trunk traffic between Agra and Gangapur is quite small still and Gangapur is a manual exchange.

ईदगाह (दिल्ली) में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण कार्य

4460. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईदगाह, दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसी ही अन्य बहुमंजिली इमारतों की तुलना में सभी औपचारिकताएं पूरी किये बिना उच्च प्रतिशतता पर एक ठेकेदार को दिया गया था;

(ख) इस ठेकेदार को यह कार्य इतनी अधिक प्रतिशतता पर दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि अन्य विभागों में प्रतियोगिता है और काम कम प्रतिशतता पर दिये जाते हैं;

(ग) क्या कम प्रतिशतताओं पर भी कोई काम दिये गये थे;

(घ) क्या इनमें से कुछ कामों के बारे में लोक लेखा समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया था, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इन त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं; और

(ङ) क्या इस ठेकेदार के विरुद्ध इस को पहले दिये गये कामों के बारे में पुलिस में कुछ मामले दर्ज थे और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उसी प्रकार का कोई भी काम उक्त अवधि के दौरान कम प्रतिशतता पर नहीं दिया गया था ।

(घ) जी हां । लोक लेखा समिति ने 1965-66 (तीसरी लोक-सभा) की अपनी 43वीं रिपोर्ट में रामकृष्णपुरम के इलाके में डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का काम देने के संबंध में टिप्पणी की थी । लोक लेखा समिति ने इस ओर संकेत किया था, कि क्वार्टरों के कुछ वर्गों के लिए प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों की ओर से बहुत कम टेंडर प्राप्त हुए थे, और अनुदेशों के अनुसार निम्न श्रेणी के ठेकेदारों से भी टेंडर मांगें जाने चाहिए थे । ईदगाह में बहुमंजिली इमारत तैयार करने का काम उसी श्रेणी में नहीं आता । इस मामले में उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों से टेंडर मंगाए गए थे और जितनी संख्या में टेंडर प्राप्त हुए, उसे संतोषजनक समझा गया ।

(ङ) जी नहीं ।

Rehabilitation of landless people in Kumaon Region

4461. Shri J.B.S. Bist : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the assurance given in reply to part (b) of the question has since been fulfilled, if so, the details thereof ;

(b) whether the Committee constituted under the Chairmanship of Shri B.D. Sanwal of Kumaon area has submitted its report ;

(c) if so, the suggestions made in the report for the benefit of the landless people ;

(d) whether Government have accepted the suggestions made in the above report and whether steps are being taken for their early implementation ; and

(e) whether Government would lay the report on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes Sir. A copy of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) O.M. No. 11-2-69-Parl., dated 28-3-1969 to the Department of Parliamentary Affairs with its enclosures is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1770 (69)]

(b) to (e). The report of the Committee has been received by the State Government. Copies when received in the Ministry, will be placed on the Table of the House. Meanwhile, according to the State Government, the provisions of the Zamindari Abolition law are being extended to villages of the Tarai Bhabar Government Estate with effect from July, 1969 as recommended by the Sanwal Committee. Also, restrictions have been imposed on transfer of land by members of Scheduled Tribes in favour of non-tribals. Other recommendations are under consideration.

बिहार राज्य कृषि प्रधान उद्योग निगम

4462. श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य कृषि प्रधान उद्योग निगम की स्थापना समवाय अधिनियम के अन्तर्गत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इस में संस्था के नियम तथा ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या निगम के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी जिन्हें आरम्भ में मनोनीत किया गया था, अभी भी कार्य कर रहे हैं जब कि कानूनी तौर पर एक वर्ष के लिए उनका निर्वाचन अथवा नामजदेगी हो चाहिए ;

(घ) क्या कानूनी उपबन्धों के अनुसार निगम की वार्षिक बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर होनी चाहिए जिसके लिए विशेष अवस्थाओं में केवल तीन महीने की छूट दी जा सकती है;

(ङ) क्या नियमों के अनुसार निगम की वार्षिक बैठकें होती रही हैं तथा, अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताओं को निर्वाचित अथवा मनोनीत किया जाता रहा है; और

(च) यदि नही, तो इस के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बिहार राज्य कृषि उद्योग निगम के लिये संस्था के नियमों तथा ज्ञापन की एक प्रति, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं है। ये ऐसे सार्वजनिक प्रलेख हैं जिनके सम्बन्ध कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हैं।

(ग) जी नहीं। निगम के अध्यक्ष तथा अधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। कृषि उद्योग निगम बिहार के आर्टीकल्स आफ असोसियेशन के अन्तर्गत निदेशकों को गवर्नर नियुक्त कर सकता है। निगम के अध्यक्ष तथा पदाधिकारियों में समय-समय पर परिवर्तन होते हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) निगम की वार्षिक मिटिंग संस्था के नियमों के अनुसार हुई हैं। इन बैठकों में अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के चुनाव के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

(च) उपरोक्त स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार, प्रश्न ही नहीं होता।

संचार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

4463. श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार विभाग में उप-शाखा अधिकारियों द्वारा काम के आवंटन तथा समयोपरि भत्ते के भुगतान के मामले में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियो को परेशान किया जाता है; और

(ख) इस विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि क्षेत्र में क्रान्ति का वनों पर प्रभाव

4464. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि क्षेत्र में क्रान्ति से देश में और अधिक भूमि को खेती के अन्तर्गत लाया गया है यहां तक कि वनों को साफ किया जा रहा है और वन भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है;

(ख) क्या वह इस बात से सहमत हैं कि वनों का देश की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान है और इसके विकास के लिये इनका संरक्षण तथा विकास आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो देश की वन सम्पत्ति को बचाने तथा इसकी वृद्धि के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । विशेषतया महाराष्ट्र, मैसूर और केरल राज्यों में कुछ वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है ।

गत लगभग 15 वर्षों के दौरान लगभग 10.7 लाख हैक्टेयर वन भूमि को नदी घाटी परियोजनाओं, शरणार्थियों के पुनर्वास, खेती आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए निर्मुक्त कर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) वन संविधान की सातवीं सूची की स्टेट लिस्ट में सम्मिलित है । फिर भी, केन्द्रीय वन मण्डल ने, जिसके खाद्य तथा कृषि मंत्री अध्यक्ष हैं, समय-समय पर सिफारिश की है । वनों पर होने वाले हर प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाना चाहिये और भूमि की चकबन्दी, गैर-सरकारी वनों के अर्जन तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि व नहरों के तटों आदि पर वन लगा कर वन भूमि की प्रतिशतता को निहित स्तर (अर्थात् 33 प्रतिशत) तक बढ़ाया जाना चाहिये । इसके परिणामस्वरूप 10.7 लाख हैक्टेयर भूमि नदी घाटी परियोजनाओं, खेती आदि के लिए निर्मुक्त होने के बावजूद भी वन क्षेत्र 1951–52 में 734.4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से 1966–67 में 753.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ गया है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये रूसी सहायता

4465 . **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना के विकास में सहायता देने के लिये रूस सरकार ने पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रूस सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजना का विकास करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मीनक्षेत्र में सहकारिता के आधार पर एक सामान्य करार करने के प्रश्न पर

1966 में विचार किया गया था। इसके पश्चात औद्योगिक उपक्रमों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए दिसम्बर, 1966 में रूबल ऋण हेतु एक करार तय हुआ था। इस ऋण के एक भाग को मीन-उद्योग विकास के लिए इस शर्त पर सुरक्षित रखा गया था कि इसके लिए अलग करार द्वारा सहायता का कार्य-क्षेत्र और शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, मीन-उद्योग विकास के लिए ऋण देना स्वीकार किया गया है और यह एक करार में पहले ही अस्थाई रूप में अन्तर्निहित है। उन शर्तों के बारे में अभी कोई करार तय नहीं हुआ है जिनके अन्तर्गत मीन-उद्योग के लिए सुरक्षित रूबल ऋण का उपयोग किया जा सकेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

ट्रैक्टरों की कमी

4466. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि के लिये ट्रैक्टरों की बहुत कमी है और प्रत्येक पर इसकी किस्म के अनुसार बाजार में 2,000 रुपये से 7,000 रुपये तक अधिक अदा करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कृषकों को नियंत्रित मूल्यों पर ट्रैक्टर उपलब्ध करने और चोर-बाजारी रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ट्रैक्टरों के मूल्य नियत करने और उनकी वितरण प्रणाली में मुख्य त्रुटि यह है कि इनकी कीमतों पर तो नियंत्रण है परन्तु कारों की भांति इनके वितरण पर नियंत्रण नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली में से त्रुटि दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) 1968–69 की आवश्यकताओं की तुलना में 15,500 ट्रैक्टरों के आयात की मंजूरी दी गई थी। इन में से 7,000 ट्रैक्टर देश में पहुंच चुके हैं और शेष 8,500 इस वर्ष के दौरान ही पहुंच जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, 1969–70 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का आयात करने का प्रश्न भी विचाराधीन है। आयातित ट्रैक्टरों के प्रीमियम के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। इन ट्रैक्टरों का आयात और किसानों को इनका वितरण विभिन्न राज्यों में स्थापित कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से होता है और जहां ये निगम स्थापित नहीं किये गये हैं वहां यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कृषि उद्योग निगमों व राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार इन आयातित ट्रैक्टरों का वितरण कृषकों को निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है। इससे तथा चालू वर्ष के दौरान ट्रैक्टरों की बढ़ी हुई उपलब्धि से ट्रैक्टरों के अभाव को दूर करने में काफी सफलता मिलेगी।

यन्त्रीकृत फार्मों को स्थापित करना

447. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ यंत्रीकृत फार्मों के स्थापित करने का कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में कितने फार्म स्थापित किये जायेंगे तथा उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इनमें से कितने फार्म सरकारी क्षेत्र में और कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) देश में छः केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित किये जा चुके हैं। वे सूरतगढ़ (राजस्थान), जैतसार (राजस्थान), झारसुगुडा (उड़ीसा), हिसार (हरियाणा), जलंधर (पंजाब) और रायचुर (मैसूर) में हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक और फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह केरल में होगा। इसके लिये केरल के कैनोर जिले में भूमि निर्धारित की गई है और भूमि-अर्जन के लिये केरल सरकार से बातचीत की जा रही है।

वर्तमान केन्द्रीय राजकीय फार्म 1-8-1969 से भारतीय राजकीय फार्म निगम (जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है) को सौंप दिये गये हैं। केरल में सातवां फार्म भी राजकीय फार्म निगम द्वारा प्रशासित होगा। निगम की शेयर पूंजी के अंशदान के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था मौजूद है।

गुजरात में नदी उठाऊ सिंचाई योजना

4468. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 में गुजरात में नदी उठाऊ सिंचाई योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया है और 1969-70 के लिये योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से कितने अंशदान की मांग की गई है;

(ख) योजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और योजना पर आने वाली लागत के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के चालू प्रतिमान के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता "लघु सिंचाई" आदि लघु विकास शीर्षों के अन्तर्गत आवंटित और निर्मुक्त की गई थी, प्रत्येक योजना के लिये अलग रूप से नहीं। गुजरात राज्य में उठाऊ सिंचाई योजनायें लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाती हैं। 1968-69 में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए गुजरात सरकार द्वारा 10.76 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। 1968-69 में यह खर्च लघु सिंचाई पर किए गए समस्त खर्च में सम्मिलित किया गया था और राज्य सरकार ने अनुमोदित प्रतिमान पर सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया था। इस कार्यक्रम के लिए 239.50 लाख रुपये ऋण के रूप में और 87.15 लाख रुपये अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी।

1969-70 से केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को समस्त क्षेत्रों के लिए खण्ड अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाएगी जो 70 प्रतिशत ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत अनुदान के रुप में होगी। यह किसी अलग कार्यक्रम या योजना से सम्बन्धित नहीं होगी।

(ख) और (ग) जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उर्वरक सप्लाई परियोजना

4469 . **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलाराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में एक उर्वरक सप्लाई परियोजना स्थापित करने हतु एक स्वीकृत विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के उद्देश्य से भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ।

(ख) यदि हां, तो समझौते की क्या मुख्य बातें हैं; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में उर्वरक का उत्पादन होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) अल्मोड़ा जिले में एकीकृत कृषि विकास की भारत-जर्मन परियोजना उर्वरक सप्लाई योजना नहीं है । इस परियोजना का विस्तृत ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1771/69]**

हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिये टेलीफिन कनेक्शन

4470. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किसानों को टेलीफान कनेक्शन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूखा और अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को भी यह सुविधा दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) इस समय हिमाचल प्रदेश में किसानों को टेलीफोन कनेक्शन देने की कोई विशेष योजना नहीं है । फिर भी, किसान सामान्य नियमों के अनुसार टेलीफोन प्राप्त कर सकते हैं । देहाती क्षेत्रों में किसानों की ओर से टेलीफोनों की मांग बहुत कम होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में टेलीफोनों की व्यवस्था करने में साधारणत: मितव्ययता नहीं होती । इस तरह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभाग की अनुसंधान शाखा ने एक सस्ती किस्म की संचार प्रणाली का विकास करने का काम हाथ में लिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश मे शरणार्थियों का बसाना

4471. **श्री गंगा रेड्डी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में ईसागांव के स्थान पर कितने शरणार्थी परिवार हैं;

(ख) बन के कितने क्षेत्र को साफ कर दिया गया है;

(ण) इस भूमि को उपयोगी बनाने तथा अन्य कार्यों पर अब तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान स्थान पुनर्वास के लिये बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहां पर पानी की भारी कमी है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अर्नीली नदी (पार्न गंगा) के किनारे पर हजारों एकड़ भूमि जिसमें खेती होती है, सस्ते दामों पर उपलब्ध है और यह भूमि पुनर्वास के लिये बहुत ही उपयुक्त है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिये इस भूमि को खरीदने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के 867 परिवार ईसागांव में रह रहे हैं ।

(ख) पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन ने 6765 एकड़ भूमि का उद्धार किया है ।

(ग) उक्त भूमि के उद्धार पर खर्च की गई राशि का अनुमान लगभग 27.06 लाख रुपये है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अन्य कार्यों पर 96.06 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(घ) जी, नहीं । पुनर्वास के लिये चुना गया क्षेत्र खेती के लिये उपयुक्त पाया गया है और इसकी भूमि की व्यवस्था भली प्रकार हो सकती है और वहां अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं। वहां पानी की कोई कमी नहीं है और आवश्यक उपाये-जैसे कि गहरे बरमा कुओं की खुदाई, नलकूपों, खुले कुओं, निस्तार टैंकों का निर्माण तथा टूटे टैंकों की मरम्मत इत्यादि-हाथ में ले लिये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में डाक तथा तारघर

4472. **श्री चित्तिबाबू** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अब तक कुल कितने डाक तथा तार घर खोले गये हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) डाकघर 9524; तारघर 1069 ।

(ख) जी हां ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टेलिफोन सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिये विश्व बैंक का ऋण

4473. **श्री चित्ति बाबू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में टेलीफोन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिये विश्व बैंक 41.25 करोड़ रुपये का ऋण दे रहा है;

(ख) इस योजना में देश के किस भाग को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ग) यह ऋण कब लौटाया जाना है; और

(घ) क्या इस पर ब्याज नहीं लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां। 20.625 करोड़ रु० (275 लाख अमरीकी डालर) का ऋण विश्व बैंक से और 20.625 करोड़ रु० (275 लाख अमरीकी डालर) का ऋण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त हो रहा है।

(ख) ऋण का प्रयोग विभाग की चौथी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा जिसका उद्देश्य समन्वित रूप से पूरे देश का विकास करना है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक से मिलने वाला 275 लाख अमरीकी डालरों का ऋण 30 वर्षों में लौटाया जाना है; जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इस राशि पर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ऋण की बिना भुगतान की गई रकम पर 1 प्रतिशत का $\frac{3}{4}$ की दर से संविदा शुल्क भी लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से मिलने वाला 275 लाख अमरीकी डालरों का ऋण 50 वर्षों में लौटाया जाना है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इस पर कोई ब्याज नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का प्रशासनिक खर्च पूरा करने के लिए 1 प्रतिशत के $\frac{3}{4}$ के हिसाब से सेवा-शुल्क देना होगा।

बिहार के दरभंगा जिले में पखरौनी तथा शाहपुर के स्थानों पर डाकघर

4474. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले में पखरौनी (वर्तमान डाकघर सीरथ) तथा शाहपुर (हरिहरपुरटौला) (वर्तमान डाकघर लोहत) के निवासियों ने काफी पहले अपने अलग-अलग डाकघरों के लिये आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उन दो गांवों में अलग-अलग डाकघर खोलने की योजना बना रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा मंत्रालय संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रमुख समाचार-पत्रों का राष्ट्रीयकरण

4475. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में प्रमुख समाचारपत्रों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो समाचार पत्र उद्योग में स्वामित्व के संकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को दृष्टि में रखते हुए इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार यह नहीं समझती कि प्रमुख समाचारपत्रों का राष्ट्रीयकरण प्रेस की स्वतन्त्रता के अनुकूल है, ना ही यह समाचरपत्र उद्योग में स्वामित्व के सेंकेन्द्रीकरण की प्रवृति में सुधार करने का उचित उपाय है ।

मधुबनी सब-डिवीजन (बिहार) में छोटे सिंचाई कार्य

4476. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले की मधुबनी सब-डिविजन में छोटे सिंचाई-कार्यों पर कुल कितना व्यय किया जायेगा;

(ख) चौथी योजनावधि में कौन सी छोटी सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करना आरम्भ किया जायेगा;

(ग) इन परियोजनाओं से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी; और

(घ) इन योजनाओं से नई किस्म की धान के लिये कितने एकड़ भूमि को लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (घ). बिहार राज्य सरकार से अभी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) बिहार सरकार द्वारा चतुर्थ योजना की अवधि में निम्न लघु सिंचाई योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी:—

(क) कुंवों की खुदाई ।

(ख) गैर-सरकारी नल कूप ।

(ग) खुदे कुंवों का परिवेधन करना ।

(घ) डीजिल पम्पसेटों की स्थापना ।

(ङ) बिजली के पम्पसेटों की स्थापना ।

(च) रहटों की स्थापना ।

(छ) ग्रैहर्स और पाइन्स ।

(ज) भंडारण और मार्ग परिवर्तन योजनायें ।

(झ) राजकीय नलकूप ।

(ट) नदी उठाऊ सिंचाई योजनायें ।

(ठ) जल निकास और बान्ध योजनायें ।

(ग) अनुमान किया जाता है कि इन योजनाओं के कार्यान्वियन से चतुर्थ योजना की अवधि में कुल 22.74 लाख एकड़ क्षेत्र लाभान्वित होगा ।

जिला दरभंगा बिहार में टेलीफोन तथा तार व्यवस्था

4477. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला दरभंगा बिहार में आंध्र-थारी और लंकाहा स्थानों पर स्थित डाकघरों में टेलीफोन तथा तार की व्यवस्था किये जाने की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनकी वहां व्यवस्था कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). आंध्रा–थारी के लिए तार और टेलीफोन सुविधाओं की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक इनकी व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि इस के लिए आवश्यक सामान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ? सब सामान प्राप्त होने पर ये सुविधाएं प्रदान कर दी जाएगी । जहां तक लंकाहा का संबंध है, (इस स्थान का ठीक नाम लोकाहा होना चाहिए) यहां फोनोंकम आधार पर तार सुविधा पहले ही मौजूद है । लोवाहा में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना की जांच करने पर इसे घाटे का पाया गया है और विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार इसकी छूट नहीं दी जा सकती । फिर भी, यदि इसमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी विभाग को होने वाला घाटा पूरा करने के लिए तैयार हो तो यह सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला जा सकता है ।

भारतीय पशु पालन अनुसंधान संस्था इज्जतनगर में सेलेक्शन ग्रेड के अनुसंधान सहायक

4478. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5170 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु पालन अनुसंधान संस्था के अनुसंधान सहायकों को तदर्थ आधार पर दिया गया सैलेक्शन ग्रेड इस बीच नियमित कर दिया गया है और उसके अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों को उपलब्धियों की बकाया राशि दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय न किये जाने के अब तक क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, परिलब्धियों की बकाया राशि की अदायगी का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

भारत में समाचार-पत्रों के स्वामित्व तथा उन पर नियंत्रण का ढांचा

4479. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री तुलसी दास दासप्पा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रधान मंत्री से प्रार्थना की थी कि भारत में समाचारपत्रों के स्वामित्व तथा उन पर नियंत्रण के ढांचे में आमूल परिवर्तन लाया जाये ताकि उन्हें जनता की आशाओं तथा आकांक्षाओं का वास्तविक साधन बनाया जा सके,

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री को जो परिवर्तन लाने के लिये प्रार्थना की गई है, उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने ये सुझाव दिए हैं :—

(1) समाचार पत्र समूहों को ट्रस्टों में बदलाना ।

(2) कर्मचारियों का प्रबन्ध में भाग ।

(3) प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया और युनाइटेड न्युज आफ इंडिया को सरकारी निधमों में बदलना; और

(4) पृष्टानुसार सूची चालू करना ।

(ग) अभ्यावेदन का अध्ययन किया जा रहा है ।

केरल डाक तथा तार सर्किल में कर्मचारियों को तंग करना

4480. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल डाक तथा तार सर्किल के कुछ कर्मचारियों को हाल ही में तंग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शोषण के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस शोषण के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) केरल सर्किल में सितम्बर 1968 की हड़ताल में 3,000 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया था ।

इनमें से जिन कर्मचारियों को अब तक बहाल नहीं किया गया, उनकी संख्या केवल 281 है, जिनमें से 142 अस्थायी कर्मचारी हैं।

(ख) और (ग). चूंकि यह हड़ताल अवैध थी और यह सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध थी, इसलिए जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने ऐसी हड़ताल में भाग लिया था उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था उनके विरुद्ध मुकदमें और विभागीय कार्रवाई चल रही है। जिन अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और जिन्हें स्थानीय प्राधिकारियों ने बहाल नहीं किया उनकी याचिकाएं जब-कभी भी महानिदेशालय में प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है।

Brodcast of A.I.R. Programme in Sindhi from Jaipur

4481. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sindhi programme is broadcast from Jaipur twice a week ;

(b) if so, whether Government have any difficulty in broadcasting the above programme for half-an-hour daily twice a week ; and

(c) if not, the time by which the said programme would be broadcast for half-an-hour daily twice a week ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Increase in the duration or frequency of Sindhi programmes from All India Radio Jaipur is not possible in the near future due to paucity of resources and transmission time.

नकली मनिआर्डर

4482. श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री जि० मो० बिस्वास :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 जुलाई, 1969 के 'अमृत बाजार पत्रिका' में प्रकाशित शरारती लोगों के एक गिरोह द्वारा किये गये नकली मनीआर्डर के मामले की ओर दिलाया गया है जिस से लगभग एक लाख रुपये की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह का पता चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है; और कितनी राशि का धोखा किया गया है ; और

(ग) क्या डाक विभाग के किसी उच्च अधिकारी का गिरोह के साथ संबंध है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हां, किन्तु अब तक के अनुमान के अनुसार यह घाटा केवल 16,460 रुपये है।

(ख) जिन व्यक्तियों ने विशेष पुलिस संगठन (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) की सहायता से इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कराने के लिए जाल बिछाया, उसके नाम इस प्रकार हैं:—

श्री एस० के० चटर्जी, सहायक अधीक्षक, डाकघर, (सतर्कता), श्री एच० के० चक्रवर्ती, जांच निरीक्षक (सतर्कता), श्री एन० आर० लाहिरी, प्रवर अधीक्षक, डाक घर, उत्तर कलकत्ता डिवीजन, श्री सुनील गुप्ता शर्मा, नगर निरीक्षक (वीडन स्ट्रीट डाकघर) कलकत्ता यह मामला 14,460 रुपये का है।

(ग) जी नहीं ।

केरल में मोपला खाड़ी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह पर घाट का निर्माण

4483. श्री पी० गोपालन: **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री पी० पी० एस्थोस :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल में मोपला खाड़ी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह पर एक घाट बनाने के लिये अब तक तकनीकी मंजूरी तथा 5.95 लाख रुपये के अनुमानित खर्च की स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) मंजूरी कब तक दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख). मोपला खाड़ी पर एक घाट के निर्माण के लिए केरल सरकार द्वारा भेजा गया 5.95 लाख का एक अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है । केरल सरकार ने उस प्राक्कलन की प्रति भेजने के लिए अनुरोध किया है ।

(ग) (क) ब्रेक-वाटर (ख) ड्रेजिंग (ग) जेटीज और अन्य तटीय सुविधाओं की व्यवस्था प्रदान करने वाले मूल अनुमान के मुकाबले मोपला खाड़ी पर बन्दरगाह कार्यों हेतु 18.455 लाख रुपये की राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है । केरल सरकार द्वारा भेजे गए खर्च के ब्यौरे के आधार पर इन बन्दरगाह-कार्यों पर आये खर्च की रकम केरल सरकार को लौटायी जा रही है । अब तक 16.42 लाख रुपये की रकम दी गई है जिसमें आज तक का हुआ समस्त खर्च सम्मिलित है । केरल सरकार ने संकेत दिया है कि एक घाट जेट्टीज के संस्थान पर तैयार किए जाने का प्रस्ताव है जो अनुमोदित अनुमानों में सम्मिलित है । प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए अनुमान तथा औचित्य प्राप्त होने पर स्वीकृति के लिए मामले पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा ।

कृषि-स्नातक

4484. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री कृषि स्नातकों के सम्बन्ध में 3 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकत्र की गई जानकारी में पाई गई गल्तियों का इस बीच सुधार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संकलित किये गये आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ग). जहां तक भारत सरकार के पास जानकारी उपलब्ध है, पाई गई विसंगतियों का समाधान कर लिया गया है। इस मामले पर राज्य सरकारों / कृषि कालेजों से आगे और पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्रीय निबटारा आयुक्त के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं तथा मुकदमे

4485. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से लेकर अब तक क्षेत्रीय निबटारा आयुक्त उत्तर प्रदेश तथा बिहार (लखनऊ) के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों ने कितनी लेख याचिकाएं तथा दीवानी दावे दायर किये हैं ;

(ख) न्यायालय ने ऐसे कितने मामलों में निर्णय दिया है और उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या यह सच है कि न्यायालयों ने चाहे याचिका कर्त्ताओं के पक्ष में ही निर्णय क्यों न दिये हों, विभाग के प्रधान न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश की क्रियान्विति में टालमटोल कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) बन्दोबस्त संगठन के उत्तर प्रदेश तथा बिहार क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों ने तीन लेख याचिकाएं तथा दो दीवानी दावे दायर किये थे।

(ख) उक्त तीन लेख याचिकाओं के सम्बन्ध में न्यायालय ने निर्णय ले लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। दीवानी दावों का अभी तक फैसला नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). एक मामले में न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जा चुकी है जबकि एक अन्य मामले में ऐसी ही अपील दायर करने का प्रस्ताव है। तीसरे मामले में न्यायालय द्वारा दिये ये दो निर्देश पहले ही क्रियान्वित किये जा चुके हैं और तृतीय निर्देश की क्रियान्विति के लिये, गृह मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम म संशोधन

4486. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के भारी इंजीनियरी सम्बन्धी अध्ययन दल ने भारी इंजीनियरी में हड़तालों तथा तालाबंदियों को अवैध बनाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). भारी इंजीनियरी सम्बन्धी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही विचार करेगी।

उड़ीसा में मछली उद्योग का विकास

4487. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मछली उद्योग का विकास करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये हाल में एक केन्द्रीय दल पारादीप चिलका तथा गोपालपुर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) समुद्री उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल देते हुये, मत्स्य विकाश की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के तत्वाविधान में एक सर्वेक्षण दल ने मई 1969 में उड़ीसा में पारादीप और चिलका का दौरा किया। संस्थान ने अभी तक अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Telephone Service at the Residence of M.Ps

4488. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have provided free telephone Service at the residences of the members of Parliament ;

(b) if so, whether an extension from the said telephone could be provided from the residence to the Office within three miles of the Municipal limits restricting the number of calls to the permitted number, *i.e.*, 5,400 calls ; and

(c) if so; the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Kissing in Indian films

4489. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kissing scenes are exhibited in many Indian films screened in the Cinema Houses ;

(b) whether it is also a fact that according to a private survey conducted recently 60 percent of our youngmen have not approved of it ; and

(c) if so, the policy of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I.K. Gujral) ; (a) No, Sir.

(b) A report to this effect has appeared in the Press.

(c) The whole question of Cencorship of films is being considered afresh in the light of the report of the Enquiry Committee on Film Censorship.

भूमि के नीचे बिछाये जाने वाले केबलों का आयात

4490. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग ने भूमि के नीचे बिछाये जाने वाले केबलों के आयात के लिये व्यवस्था कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) ये केबल किस फर्म से खरीदे जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन केबलों के एकमात्र निर्माता मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि० डाक-तार विभाग की पूरी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ग) 175.50 लाख रुपये ।

(घ) (1) मेसर्स एस० टी० सी० लंदन (यू० के०) ।

(2) मेसर्स एस० एन० वी० एन० के डेल्फ, हालैंड (डच) ।

(3) मेसर्स नार्दर्न इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० कनाडा ।

(4) मेसर्स भारती अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी (प्राइवेट) लि०, नई दिल्ली (चेकोस्लोवाकिया के केबल के लिए) ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से गेहूं का उपहार

4491. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदायों से उपहार के रूप में प्राप्त हुए 164,000 मीट्रिक टन गेहूं को बेचने से लगभग 15 करोड़ रुपये अर्जित करेगी ;

(ख) क्या इस बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदायों के साथ कोई पक्का समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं और तैयार की गई वे योजनायें क्या हैं जिन पर यह धन खर्च किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त कुल खाद्य सहायता 179,000 मीटरी टन है जोकि जहाज पर निष्प्रभार 7.9 करोड़ रुपये के बराबर है ।

(ख) जी हां, । करारों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

(ग) गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध 1967 के अधीन उपहार रूप में प्राप्त हुआ है । उस गेहूं के मूल्य के रुपये को प्लान योजनाओं पर विकास उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।

राजस्थान म दुर्भिक्ष की स्थिति

4492. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मीठा लाल मीना :
डा० कर्णी सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि इस राज्य में अकाल पड़ने वाला है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह भी सूचना दी है कि इस राज्य को पर्याप्त मात्रा में अनाज और चारा तुरन्त न भेजने से इस राज्य में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिस में भारी संख्या में लोगों तथा पशुओं की मृत्यु अश्यमेव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना का कोई उत्तर दिया है, और यदि हां, तो क्या सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है और यदि शेष मौसम में समय पर तथा पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो बहुत कठिनाई अनुभव की जाएगी । उन्होंने अगस्त और सितम्बर, 1969 के लिय मोटे अनाजों का अधिक आवंटन करने का अनुरोध किया है । राज्य सरकार ने आगे यह बताया है कि चारे का स्टाक खत्म हो रहा है और राज्य से बाहर प्राप्त होने वाली नई सप्लाई वर्षा के कारण रुक गयी है । तथापि, राज्य सरकार राज्य में चारे की अधिप्राप्ति करने और गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा से खरीदने के प्रबन्ध कर रही है ।

राज्य सरकार ने मनुष्य और मवेशियों के बड़े पैमाने पर मरने के भय का कोई संकेत नहीं दिया है और बारीकी से स्थिति पर निगरानी रख रही है । राज्य और केन्द्रीय सरकारों की हमेशा यह कोशिश रही है और रहेगी कि स्थिति को काबू में रखा जाए और भारी संकट को रोकना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) केन्द के पास मोटे अनाजों का स्टाक सीमित है, लेकिन अन्य जरुरतमन्द राज्यों की आवश्यकतानुसार राजस्थान को यथासम्भव अधिक से अधिक आवंटन करने की हमेशा ही कोशिश की गयी है । जनवरी से अगस्त, 1969 के दौरान राज्य सरकार को 50,000 मीटरी टन माइलों, 32,000 मीटरी टन मक्का, 20, 000 मीटरी टन ज्वार 186 मीटरी टन बाजरा और 87,200 मीटरी गेहूं आवंटित किया गया है ।

दिल्ली में सहकारी भवन निर्माण समितियां

4493. **श्री अ० सिंह० सहगल** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली में सहकारी भवन-निर्माण समितियों के कुछ सदस्य समितियों द्वारा मांगे जाने पर भूमि के मूल्य का भुगतान नहीं करते हैं जबकि समितियों को रकम का भुगतान उल्लिखित तारीखों तक करना पड़ता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसी ऐसी समिति की सदस्यता का प्रयोजन ही समाप्त नहीं हो जाता है; और

(ग) क्या राशि का भुगतान न करने वाले किसी ऐसी समिति के सदस्य बने रहने के हकदार हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रियदर्शिनी टेलीफोन उपकरण के बारे में शिकायतें

4494. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रियदर्शिनी नामक टेलीफोन उपकरण के बारे में विभिन्न प्रकार की इतनी शिकायतें हैं, यहां तक कि कई व्यक्तियों ने उन्हें बदलवा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो खराबियों के कारण क्या हैं और इन्हें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं । बल्कि अपेक्षाकृत सुन्दर दिखाई देने और हल्के हैड-सेट के कारण इस किस्म के यंत्र के लिए बहुत से टेलीफोन प्रयोक्ताओं की ओर से मांग प्राप्त हुई है । इसका चोंगा भी नए किस्म का है और इसकी कार्यक्षमता भी बहुत अधिक है । प्रारंभिक उत्पादन में चोंगे के बारे में कुछ शिकायतें थीं जोकि सील हुआ होता है । जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती थीं दोषपूर्ण यंत्रों को बदल दिया जाता था । मेसर्ज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ को, जोकि इस यंत्र के निर्माता हैं, इस खराबी के बारे में सूचित कर दिया गया है और वे उसे दूर करने में भी सफल हो गए हैं ।

आकाशवाणी में अनाउंसरों की नियुक्ति

4495. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में अनाउंसरों की नियुक्ति के बारे मे 31 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के ध्यान में जो प्रशासनिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियां लाई गई हैं उनका स्वरूप क्या है;

(ख) जो अधिकारी ठीक प्रक्रिया अपनाने में ढीले पाये जाते हैं, उनके काम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि बाद में प्रोडक्शन असिस्टेंटों, जनरल असिस्टेंटों, परिवार नियोजन आदि के लिये संवाद लेखकों के चयन में भी वही प्रशासनिक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटियां दोहराई गई हैं; और

(घ) आकाशवाणी में भविष्य में चयन में ऐसी त्रुटियां दोहराये जाने से बचने के लिए सरकार का क्या औपचारिक उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) चयन समितियों के सदस्यों द्वारा चयन का अनुसमर्थन करने में असामान्य देरी और तदर्थ छूट देकर कुछ अपात्र उम्मीदवारों को शामिल करना ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) अनुवर्ती चयनों में त्रुटियां दूसरी प्रकार की हुई है ।

(घ) इस आशय के अनुदेश जारी किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की त्रुटियां करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

Rotting of Imported foodgrains in Bombay Docks

4496. SHRI OM PRAKASH TYAGI:
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI:
SHRI BRIJ BHUSHAN LAL:
SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI:
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI YASHPAL SINGH:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI SHRI CHAND GOYAL:
SHRI S. K. TAPURIAH:
SHRI A. SREEDHARAN:
SHZI GUNANAND THAKUR :
SHRI DEVEN SEN:
SHRI ONKAR LAL BERVA:
SHRI P. M. MEHTA:
SHRI S. KUNDU:

Will the Minister of **food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of tons of wheat imported from abroad is rotting in the Dockyards at Bombay due to mismanagement and on account of its getting wet due to heavy rains during early August, 1969 ;

(b) if so, the amount of loss sustained to the country in terms of Indian currency and foreign exchange ;

(c) whether it is also a fact that this has given rise to a dangerous situation for the health of the workers employed there ; and

(d) if so, the particulars of the persons responsible for this situation, the nature of action taken against them and the details of preventive steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation(Shri Anna Sahib Shinde) : (a) No, Sir. At the Bombay Port, grain is discharged mechanically from tankers and bulk carriers directly into sheds which are covered. Thus, no grain is discharged into the open in Bombay Docks, and the question of its getting wet does not arise. However, in the process of discharge, there is some spilling from the bottom of the machines which is largely foeign matter and dust and includes a very small quantity of sound and broken grain. A small quantity of such spillings got wet during the heavy rains in early

August, 1969. The same was removed to covered sheds for drying and recovering the sound grain. Collection of spillage and its subsequent cleaning for recovery of sound grain has been a normal feature at the Bombay Docks ever since mechanisation was introduced.

Apart from the above, 53 tonnes of wheat was discharged from 3 steamers in a damaged condition and claims in respect of the same are being filed against the steamer agents.

(b) : The loss, if any, due to wetting of some spillage is being estimated, but it would be negligible.

(c) : There were some complaints from the labour about the stink coming from the grain which got lodged in the crevices and drains on the wharf. The Bombay Port authorities are responsible for conservancy services in the Port area and they employ regularly sanitary gangs to keep the Port area clean.

(d) : Does not arise.

गऊ समिति की पदावधि बढ़ाना

4497. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गऊ रक्षा समिति की पदावधि मार्च, 1970 तक बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समिति के कर्मचारियों को एक महीने का नोटिस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है जिससे कि वह अपने कार्य को प्रारम्भ करके अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर सके ।

(ग) सरकार ने 17 पद मंजूर किये थे जिनमें से 7 पद (समिति के सचिव के पद सहित) 31 मार्च, 1970 तक (अर्थात समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने तक) बने रहेंगे । बाकी 10 पदों को 1-8-1969 से आस्थगित रखा गया है और गऊ रक्षा समिति के क्रियाशील होते ही ये पद पुनः पुर कर दिये जायेंगे । सिवाय एक सेवा निवृत अधिकारी के अतिरिक्त (जिन्हें समिति के कार्य के लिये पुनः भर्ती किया गया था और जिन्हें एक महीने का नोटिस दिया गया है) बाकी 9 अधिकारियों का मंत्रालय में अन्य पदों पर स्थानान्तरण कर दिया गया है जहां से वे कमैटी के कार्य के लिये मूल रूप से प्रतिनियुक्त किये गये थे ।

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवदन करता हूं कि वह उसके बारे में एक वक्तव्य दें :—

"वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के साथ नीति सम्बन्धी

मतभेदों के कारण कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र देने का समाचार"

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : क्या मैं वक्तव्य पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक 6 पृष्ठों का लम्बा वक्तव्य है । माननीय मंत्री इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं ।]

श्री एन० शिवप्पा : वक्तव्य की विषयसूची जाने बिना हम क्या प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : यह सभा-पटल पर रखा जा सकता है और प्रश्न कल पूछे जा सकते हैं ।]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कल पूछ जायें . . . . यदि सदस्य चाहें तो मैं उन्हें पढ़ने के लिये कह सकता हूं, परन्तु यह पहले से ही परिपत्रित हो चुका है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Mr. Speaker, Sir, The conversation that has hitherto been followed has been that such type of statements are laid on the table of the House. This may be done in this case also. We have got copies of the statement. Then why the time of the House in insisting him to read the statement is being wasted.

श्री एन० शिवप्पा : आज तक प्रथा यह चली आ रही है कि मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं और तब प्रश्न पूछ जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के पास प्रतियां पहले से उपलब्ध हैं । माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है, वह पटल से एक प्रति ले सकते थे । उसके लिये अन्य सदस्य क्यों तकलीफ उठायें ।

श्री एन० शिवप्पा : माननीय मंत्री को अब वक्तव्य देने के लिये कहा जाये ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वह वक्तव्य को संक्षिप्त कर लें ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : ध्यानाकर्षण नोटिस, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कुछ निदेशकों का नीति सम्बन्धी मतभेदों के कारण तथाकथित इस्तीफों के बारे में है । मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि केवल दो निदेशकों ने ही इस्तीफे भेजे हैं, किन्तु अपने पत्रों में उन्होंने कोई कारण नहीं दिये हैं, दो निदेशक हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के निदेशक डा० हरि नारायण और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के निदेशक डा० जी० एस० सिद्ध ।

डा० हरि नारायण ने 22 जुलाई, 1969 को महानिदेशक को लिखा था कि वह इस तारीख से 6 मास का नोटिस दे रहे हैं । डा० हरि नारायण, जो 31-3-1964 (पूर्वाह्न) से 6 वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर हैं, अपना ठेका 31-3-1970 को सामान्य रूप से भी पूरा कर लेते । डा० सिद्ध ने अपने 7-8-1969 के पत्र में अनुरोध किया है कि उनका इस्तीफा 6 फरवरी, 1969 से स्वीकार कर लिया जाये । क्योंकि परिषद् में वह एक पद पर स्थायी हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति ठेके पर नहीं है ।

पिछले कुछ दिनों से, इन दोनों निदेशकों के इस्तीफों से संबंधित, समाचार पत्रों में अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के निदेशक के बारे में, कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जिनमें कार्यकारी परिषद् के सदस्यों, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और वायुवाहित खनिज गवेषणा सर्वेक्षण के साथ कुछ मतभेदों का उल्लेख है। मुझे ऐसा पता चला है कि (क) कार्यकारी परिषद् के सदस्य (ख) सदस्य विज्ञान की अध्यक्षता में, आयोजना आयोग के विशेषज्ञों की बैठक (ग) डा०डी०एन० वाडिया की अध्यक्षता में खान और धातु मंत्रालय की समिति ने अपने-अपने मत व्यक्त किये और कहा कि वायुवाहित खनिज गवेषणा सर्वेक्षण का कोई बड़े पैमाने पर उपक्रम, संस्थान का कार्य नहीं होना चाहिए। संस्थान को अपना ध्यान यंत्रीकरण तथा तकनीकी विकास पर केन्द्रित करना चाहिए, जो वाणिज्यिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में इनका परीक्षण भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण तथा वायुवाहित खनिज गवेषणा सर्वेक्षण के जरिये कराना चाहिए। संस्थान की प्रशासकीय तथा वैज्ञानिक शाखाओं के बीच मतभेद का भी उल्लेख किया गया है। मैंने निदेशक द्वारा समाचार पत्रों में दिये गये वक्तव्य को भी देखा है, जिसमें उन्होंने किसी भी मतभेद का प्रतिवाद किया है।

डा० सिद्धू के बारे में, महानिदेशक, ने उनके इस्तीफे के प्राप्त होने पर उन्हें लिखा था कि वे नहीं चाहते कि वह इस्तीफा दें और इस लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के, उनका इस्तीफा स्वीकार करने की सिफारिश करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उस पत्र के उत्तर में डा० सिद्धू ने लिखा :

> "मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ आपका विश्वास प्राप्त नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णयों का, इस प्रयोगशाला की प्रमुख परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और व मेरे अभिमतों को ध्यान में रखे बिना लिए जाते हैं तथा कुछ मामलों में, मुझ से सलाह भी नहीं ली जाती।"

कोयला गैसीकरण संयंत्र के सम्बन्ध में, डा० सिद्धू द्वारा समाचार पत्रों को दिया गया इण्टरव्यू भी है। इस परियोजना, का जो मूलत: 21.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत के लिए अनुमोदित की गई थी, 6 वर्षों में पूंजीगत खर्च बढ़ कर 107.00 लाख रुपये तथा आवर्ती खर्च बढ़ कर 82.20 लाख रुपये हो गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के निर्णय पर, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डा० जी० पी० काने और 6 सदस्य शामिल थे। डा० सिद्धू भी इस समिति के सदस्य थे। उन्होंने इस समिति की तीनों बैठकों में भाग लिया था और रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किये थे। बाद में, उन्होंने एक नोट भेजा, जिससे अध्यक्ष के अनुसार, रिपोर्ट पर पुनर्विचार करना आवश्यक था, किन्तु अध्यक्ष सहमत नहीं थे।

इन सभी मामलों को तत्कालीन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष के सामने पेश कर दिया गया था और मूल रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी। रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, भारतीय उर्वरक निगम से इस बारे में सम्पर्क स्थापित किया गया कि क्या वह इस संयंत्र को अपने हाथ में लेना चाहता है। अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को लिखने की अपेक्षा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया कि रुचि पैदा करने के लिए, संयंत्र की उपलब्धता के बारे में विज्ञापन दिया जाये। विज्ञापन का मसौदा डा० सिद्धू के पास भेजा गया था, किन्तु वह विज्ञापन से सहमत नहीं थे। उसके बाद, आन्ध्र प्रदेश

के मुख्य मंत्री ने 21 जनवरी, 1969 को डा० त्रिगुण सेन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सिंगरेनी की कोयले की खानों में कार्य करने के लिए संयंत्र को लेने का प्रस्ताव रखा था। उसके उत्तर में, मैंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर तकनीकी मार्गदर्शन तथा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद की सहायता के साथ संयंत्र को देने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव के लिए, मुझे आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त प्रस्ताव अब भी है। सारी रिपोर्ट वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड की पिछली बैठक और वै० औ०-अ० प० की शासी निकाय की 12 और 14 मई, 1969 को हुई : बैठक में प्रस्तुत की गई थी। इन निकायों का सुझाव था कि क्योंकि तीन कोयला-आधारित उर्वरक संयंत्रों का आयोजन पैट्रोलियम तथा रसायन के अधीन किया जा रहा है, क्षत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के कोयला गैसीकरण संयंत्र को उन्हें देने की पेशकश की जाये। पेशकश कर दी गई है। मामला यहीं रुका पड़ा है। महानिदेशक द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी निकाय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की सलाह पर लिये गये निर्णयों के आधार पर की गई है।

समाचार-पत्रों में दो अन्य निदेशकों : डा० बी० आर० निझावन और श्री एम० एम० सूरी के त्यागपत्र का भी उल्लेख किया गया है। डा० बी० आर० ने यू० एन० आई० डी० ओ० में एक पद ग्रहण करने के लिए 23-8-1966 को राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला, जमशेदपुर छोड़ दी थी। उन्हें दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तें प्रदान की गई थीं। वह 2/3 वर्ष की लम्बी अवधि तक रहना चाहते थे। मेरे पूर्वाधिकारी का विचार था कि या तो डा० निझावन को राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में वापस आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत समय से प्रयोगशाला कोई निदेशक नहीं था अथवा उन्हें नये निदेशक की नियुक्ति के वास्ते मार्ग में से हट जाना चाहिए। डा० निझावन वापस नहीं आना चाहते थे।

जहां तक श्री एम० एम० सूरी का संबंध है वह रेलवे बोर्ड के कर्मचारी थे और 15-6-1964 से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर थे। चूंकि उन्होंने वै० औ० अ० प० में अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि के बाद परिषद् में न रहने की इच्छा प्रकट की थी, उनकी सेवाएं पुनः रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई थीं और उन्होंने अपने पद का कार्यभार 14-12-1968 को केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर के निदेशक को सौंप दिया था। पता चला है कि श्री सूरी ने रेलवे बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है।

पिछले तीन वर्षों में 6 नये निदेशक, अर्थात् श्री के० डी० शर्मा (केन्द्रीय ग्लास और मृत्कला अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता), डा० आर० एन० चक्रवर्ती (भारतीय प्रयोगात्मक औषध संस्थान, कलकत्ता), प्रो० एस० ज० आरसीवाला (केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य-इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर), डा० बी० एच० सुब्बाराजु (केन्द्रीय रोड अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली), प्रो० ए० के० डे० (केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर) और प्रो० बी० ए० अल्तेकर (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर) की नियुक्ति की गई है। ये सभी नियुक्तियां, विज्ञापित करने के बाद और वै० औ० अ० प० के उप-प्रधान की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ चयन समितियों के जरिये की गई हैं। ये निदेशक युवा हैं और इनका शैक्षणिक तथा अनुसंधान जीवन उज्वल है। मुझे इन चयनों में से कम से कम दो की व्यक्तिगत जानकारी है क्योंकि मैंने उन समितियों की अध्यक्षता की थी। श्री एम० एम० सूरी और डा० बी० आर० निझावन के

स्थान पर जो दो वैज्ञानिक नियुक्त किये गये हैं व 45 वर्ष से कम आयु के हैं और देश में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा के प्रतीक हैं।

संसद के पिछले सत्र में मैंने दूसरे सदन में कहा था कि में सरकारी समिति से मिलूंगा, जिसे, आप सभी जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कार्यों को देखने के लिये नियुक्त किया था। दूसरे सदन में मैंने जो कहा उसके अनुसार मैं समिति से मिला तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् में संगठन में कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से सुधार किया जा सकता है, और उसे और अधिक कुशल निकाय बनाया जा सकता हैं इस सम्बन्ध में मैंने अपने विचार रखे। मैंने अनेक सुझाव उनके विचार के लिये उनके सामने रखे। संगठनात्मक पहलुओं पर शीघ्रता से विचार करने का मैंने उनसे अनुरोध किया।

जहां मैं उत्सुक हूं कि सभी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों को काम करने की स्वतन्त्रता हो, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् जैसे लोक संगठन में सत्ता और अधिकार के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ जिम्मेदारी होनी चाहिए और सभी को प्रयोगशालाओं की कार्यकारिणी परिषद् तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के शासी निकाय की विस्तृत नीतियों तथा कार्यक्रमों की सीमा के भीतर कार्य करना चाहिये।

मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवक वैज्ञानिकों को इन प्रयोगशालाओं के कार्य में पूरा हिस्सा मिले और उन्हें इस बात का एहसास हो कि वे इस कार्य में पूरी तरह से सहयोगी हैं। इसके अनुसार मैं प्रयोगशाला में कार्य करने वाले युवक वैज्ञानिकों को उनका दृष्टिकोण जानने और उनसे विचार विनिमय करने के लिये एक प्रतिनिधि बैठक बुलाना चाहता हूं।

मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि मैंने डा० हरि नारायण को आज विचार-विमर्श के लिये आमंत्रित किया है। मैंने डा० सिद्धू को भी कुछ दिनों बाद कुछ निदेशको सहित मिलने को कहा है।

श्री एन० शिवप्पा : देश में औद्योगिक क्रान्ति की प्रतीक्षा हो रही है और यही आशा है कि इसका प्रमाण सभी क्षेत्रों में फलदायक होगा। स्वर्गीय पं० नेहरू ने भी इस विषय पर वचन दिया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये लाखों रुपये व्यय किये गये हैं परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं निकला। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक श्री आत्माराम के विरुद्ध भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तानाशाही और विभिन्न केन्द्रीय संस्थाओं के प्रशासन में दखल देने की अनेक शिकायतें आई हैं, परन्तु मंत्री महोदय ने इस पर कुछ भी नहीं बताया है। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जो कि इस प्रशासन के अध्यक्ष हैं, ग़लत काम करने वालों को सज़ा देने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं। भूविज्ञान सर्वेक्षण के बारे में इतने संदर्भ देने से क्या लाभ है ?

एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति पहले भी है। कुछ समय पहले श्री लोबो प्रभु के प्रश्न पर माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि इस विषय पर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय डा० आत्मा राम को तत्काल हटा सकते हैं या उन्हें तब तक विलम्बित कर सकते हैं जब तक उच्चाधिकार प्राप्त समिति पूरी जांच नहीं कर लेती

हमारा उस कार्य से अधिक सम्बन्ध है जो बिल्कुल रुका हुआ है और उस पर धन भी व्यय हो रहा है। इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि मंत्रालय या उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच के पश्चात् उन व्यक्तियों को सामने लाया जायेगा और क्या मंत्री महोदय उनके विरुद्ध कोई कदम उठा रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय महानिदेशक और अन्य निदेशकों के बीच मतभेदों के कारण जानने के लिये कदम उठा रहे हैं और क्या उन अफसरों को, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, त्यागपत्र न देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय संसद सदस्यों की जानकारी के लिए इन कारणों को सभा पटल पर रखेंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव: मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने इस देश के बहुत बड़े माननीय वैज्ञानिक के प्रति ऐसे शब्द कहे हैं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अन्य निदेशक भी माननीय वैज्ञानिक हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी यह आदत नहीं है, चाहे मेरे पास शक्ति भी हो, कि अफसरों को केवल इस बात पर हटा दे कि इस सभा को किसी सदस्य ने कहा कि 'उसे बिना किसी जांच-पड़ताल और परीक्षण के हटा दीजिये।' इस प्रकार से वैज्ञानिक संस्थाओं या अन्य संस्थाओं को चलाना बहुत कठिन है। इसलिये मैं ऐसा आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं हूं।

जहां तक भूभौतिक संस्थान की कठिनाइयों तथा समस्याओं का सम्बन्ध है। मुझे एक पत्र द्वारा पता चला है जो डा० आत्माराम को भेजा गया था और जैसे ही मैंने इसे प्राप्त किया, इसकी जांच पड़ताल कर उचित कार्यवाही की। इस पत्र में जो कठिनाइयां बताई गई हैं उनमें एक यह है कि एक संस्था के भूतपूर्व निदेशक कार्यकारिणी परिषद् में हैं और इससे जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं, मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूं। मेरे विचार में कोई भी भूतपूर्व उपकुलपति या भूतपूर्व निदेशक को संस्था की कार्यकारिणी परिषद् में नहीं होना चाहिये जब कि वह संस्था को छोड़ गया है। फिर भी वर्तमान कार्यकारिणी परिषद् की अवधि नवम्बर तक है। इसलिए नवम्बर में इस का पुनर्गठन किया जायेगा।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, जो हवाई जहाज द्वारा की जाने वाली संक्रिया के अधीन है, और वह संस्थान, जो कि साज-सामान और हवाई जहाज द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण की अच्छी व्याख्या करने के लिए अनुसन्धान करता है; के बीच मतभेद के बारे में यह कहना है कि इस संस्थान के और भूविज्ञान सर्वेक्षण के कौन कौन से कृत्य हैं। डा० डी० एन० वाडिया की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने जो निष्कर्ष दिये हैं कि जिस प्रकार भूभौतिक संस्थान को साज सामान और उपकरण के अनुसन्धान और विकासशील मार्गदर्शी प्रयोजनों तथा उनके प्रदर्शन और प्रयोगों के लिए प्रत्येक सुविधा दी जानी है व्यापारिक और अर्द्ध व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बड़ हवाई जहाज द्वारा किये गये सर्वेक्षणों का उत्तरदायित्व भूविज्ञान सर्वेक्षण को दिया जाना चाहिये। इस विषय पर भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक के साथ चर्चा की जायेगी और इस पर यदि समझौता न हुआ तो इस मामले को प्रधान मंत्री के पास भेजा जायेगा ताकि सचिवों की एक समिति इस पर विचार करेगी।

आज डा० हरि नारायण ने मुझे एक 30–40 पृष्ठों का एक लम्बा ज्ञापन दिया है। मैंने उसे अभी पढ़ा नहीं है। बिना पढ़े मैं उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, पढ़ने के बाद यदि जांच करना आवश्यक हुआ तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री रंगा : डा० आत्माराम के विरुद्ध भी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : यदि इसमें उनका हाथ होगा तो अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी। चाहे कोई भी हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार समिति का सदस्य होने के नात मैं यह प्रश्न पूछता हुं कि जैसे अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वह डा० हरिनारायण की शिकायतों की जांच करेंगे और इस दौरान उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। क्या वह डा० सिद्धू के मामले में ऐसा करेंगे कि उनका त्यागपत्र भी स्वीकार न हो।

डा० वी० के० आर० वी० राव : डा० सिद्धू का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मैं निदेशकों और डा० सिद्धू की मीटिंग बुला रहा हूं ताकि वे केन्द्रीय कार्यालय की शिकायतो को पूर्ण रूप से दे सकें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् एक प्रकार का काक-पिट और काकस बन चुकी है। वास्तव में डा० सिद्धू ईर्ष्या और राजनीति के शिकार बन चुके हैं। कलकत्ता के प्रायोगिक औषधि संस्थान के एक प्रोफेसर डा० डी० के० राय ने कैंसर के इलाज के लिए एक अमूल्य औषधि ईजाद की है जिसका नाम स्वर्गीय पं० नेहरू के नाम पर जवाहरीन रखा है। इस परियोजना के सम्बन्ध में उन्होंने 70,000 रुपये की सहायता मांगी, परन्तु उन्हें नहीं दी गई। यह वैज्ञानिक इतना निराश हो गया कि उसे उस संस्थान को छोड़ना पड़ा और डा० त्रिगुण सेन ने उसे जादवपुर विश्वविद्यालय में स्थान दिया है। इसलिए डा० आत्माराम या किसी अन्य को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहना चाहिये। चूंकि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने कई विशेषज्ञों और मंत्रालयों की सेवा करनी है।

सड़क अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, केन्द्रीय स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग संस्था, योजना और कृषि विद्यालय, नौवहन, भूविज्ञान आदि जैसी अनेक संस्थाएं शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। इनके कार्यों को देखने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को काफी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार को एक विज्ञान मंत्रालय बनाना चाहिये जो इन वैज्ञानिक संस्थाओं की देखभाल करे अथवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को अलग किया जाये तथा सड़क अनुसन्धान संस्थान को परिवहन मंत्रालय में, स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संस्था को स्वास्थ्य मंत्रालय आदि में रखा जाये।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं वै० औ० अनु० प० की अध्यक्ष, जो प्रधान मंत्री हैं, को माननीय सदस्य के सुझाव को प्रस्तुत करने में हर्ष अनुभव करूंगा।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir, as the Minister has given his statement that Dr. Sidhu was also the member of a Committee appointed under the chairmanship of Shri G. P. Kane. He signed the report but after that he sent a note of dissent and criticized all the procedure in the press interview. Whether it is good on the part of Dr. Sidhu, while

all these matters are pending in P.A.C. Whatever Dr. Sidhu has done, is against the rules of service. I want to know what action will be taken against Dr. Sidhu.

The preliminary estimate of Coal Gasification Plant was Rs. 21 lakhs but it was raised to Rs. 189 lakhs. Will the Minister be pleased to state the reasons and circumstances under which the original estimate has risen to such extent.

Whether it is a fact that the then Chairman, Shri Zaheer ordered for another plant, in addition to the one that was already at Dhanbad. The Committee has stated in the report that this plant is useless. So I want to know who is responsible for the foreign exchange spent on that plant. Whether it is a fact that there was some vested interest in it.

डा० बी० के० आर० वी० राव: डा० सिद्धू ने जब रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे तो उन्होंने अध्यक्ष को यह संकेत दिया था कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक छोटा-सा नोट भेजेंगे। परन्तु यह नोट छोटे मामलों पर नहीं था बल्कि समिति की रिपोर्ट के विषय में लिखा गया था। अध्यक्ष ने इस नोट को स्वीकार नहीं किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की तकनीकी समिति ने रिपोर्ट के साथ साथ इस नोट पर भी विचार किया। रिपोर्ट स्वीकार हो गई है।

डा० सिद्धू के एक आक्षेप में वैधता यह है कि जब तकनीकी समिति में इन मामलों पर विचार किया गया था, डा० सिद्धू को उसमें उपस्थिति होने तथा अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं दिया गया था। यद्यपि उस नोट मे दिये गये उनके विचारों को रखा गया था।

जहां तक अनुमान के बढ़ने का प्रश्न है, उसके सभी कारणों का बताना बड़ा कठिन है। कुछ कारणों में ये हैं कि परियोजना के मूल रूप के सभी पक्षों को न देखने पर, कीमतों के बढ़ जाने पर और विमुद्रीकरण आदि के कारण यह अनुमान इतना बढ़ गया था।

35 लाख रूपये खर्च हो चुके है और शेष 37.88 लाख खर्च होने है। 1.80 करोड़ के आंकड़े जो उल्लेख किये गये है, शायद संयत्र के कार्यों से सम्बन्धित है। इस योजना को हैदराबाद की क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा नियुक्त समिति में डा० नरगुंदकर द्वारा भेजा गया था। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की चौथी योजना समिति द्वारा उस समय विचार किया गया और उसमें यह राय दी गई कि यह बहुत बड़ी योजना है और इसलिये इस सारे मामले पर विचार करने के लिए विशेष समिति की मांग की गई।

चूंकि अनुमान 1.80 करोड़ तक बढ़ गया है और उसमें 1966 से 6 वर्ष के लिए आवर्ती खर्च भी रखा गया है। इसलिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के निर्णय पर इस मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और उसके निष्कर्षों के बारे में सदन को बता दिया गया है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: I also asked why another plant was purchased when there was already one plant in Dhanbad ?

डा० बी० के० आर० वी० राव: जैसा कि मैं बता चुका हूं कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने यह कार्य किया है। परन्तु संस्थान के निदेशक ने इस बात को पसन्द नहीं किया और अपना त्याग पत्र दे दिया है। मैं इस समस्या पर विचार कर रहा हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : (मंदसौर) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में बुद्धि-वैभव का दमन किया जाता है। जब कोई युवा वैज्ञानिक आविष्कार करता है तो वैज्ञानिक

तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के लोग, जो वैज्ञानिक नहीं हैं, इस आविष्कार का स्वयं लाभ उठाते है। इसी कारण वैज्ञानिक लोग दूसरे देशों म जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अ ने कार्य के लिए कोई प्रशंसा नहीं मिल रही है। यदि महानिदेशक को निदेशकों का सहयोग नहीं मिलता तो वह किस प्रकार प्रभावशाली कार्य कर सकते है। इसके अतिरिक्त लेखा में काफी अनियमिता है। ये सभी बातें सरकार समिति को भेजनी चाहिये।

सरकार समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जायेगी ? इस परिषद् के सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है। क्या मंत्री महोदय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिषद् की नियुक्तियों के लिए विचार करेंगे ताकि पक्षपात न हो सके। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने कोयला गैसीकरण संयंत्र के मामले को छोड़ने का निश्चय क्यों किया जिसके कारण डा० सिंघू को त्यागपत्र देना पड़ा है।

डा० बी० के० आर० वी० राव : मैंने सरकार समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अनुरोध किया है। इसकी निश्चित तिथि के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के लिए अप्रैल या मई मास में मैं अपना व्यक्तव्य दूंगा।संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिषद् की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार समिति को सुझाव भेज दिये गये हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए सवा दो बजे म० प० तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till quarter past Two of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

{श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
(Shri M. B. Rana *in the Chair*)}

चैकोस्लोवाकिया में गतिविधियों के बारे में

Re: DEVELOPMENTS IN CZECHOSLOVAKIA

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Mr. Speaker, Sir, Russia has been encroaching on the democratic rights of Czechoslovakia for the last one year. The people of Czechoslovakia are fighting for their freedom and their democratic rights. As we are of democratic country, we should support them for the cause of democracy.

श्री म० ल० सोंधी : प्रेग में काफी गम्भीर स्थिति है।

श्री सभापति महोदय : शांति, शांति।

श्री म० ल० सोंधी : दुबचेक का नाम भारत को बड़े आदर के साथ लेना चाहिये। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री म० ल० सोंधी : * *

श्री उमानाथ : * *

सभापति महोदय : सभा के वरिष्ठ सदस्यों को इस ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। अब हम अपनी कार्यवाही जारी रखेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री डी० एरिंग) : मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 1835 जो दिनांक 29 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1839 जो दिनांक 1 अगस्त, 1969 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में एक संशोधन किया गया।

(तीन) जी० एस० आर० 1840 जो दिनांक 1 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1961 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में एक संशोधन किया गया।

(चार) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 6 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1915 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1745/69]**

संविधान (तेइसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY-THIRD) AMENDMENT BILL

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव) : श्रीमानजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the Bill on a Constitutional point. It is a money Bill because it attracts the provision of clauses (a) and

---

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

(b) of Article 110. A money Bill cannot be introduced without the recommendation of the President. As no such recommendation has been incorporated in the case of the present bill, it cannot be introduced. As such I oppose the bill.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I oppose the Bill on the Constitutional grounds. The Bill is in two parts. One part provides for the Scheduled Castes, Harijans and other depressed classes and the other part relates to the Anglo-Indians. While we have no objection to any observation being provided for the backward classes, it is difficult to understand why should there be any provision for nomination for the Anglo-Indian Community even after twenty years. According to Constitutional provisions, the State can make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes or for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. But in so far as Anglo-Indians are concerned, they are educationally advanced and cannot be included among the backward classes by any standards, social or educational.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह कहना ठीक नहीं है कि यह धन विधेयक है। फिर भी अनुच्छेद 117 (3) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की गई है और उसे परिचालित किया गया है।

जहां तक इस आपत्ति का सम्बन्ध है कि आंग्ल-भारतीय समुदाय को कोई आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 331 में उपबन्ध है कि "अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुये भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोक-सभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा। प्रारम्भ में यह उपबन्ध 10 वर्षों की अवधि के लिये था। इसे और दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और वर्तमान विधेयक का उद्देश्य इसकी अवधि में 10 वर्ष की और वृद्धि करना है। आंग्ल-भारतीय समुदाय में भी हजारों लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुये हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री गोविन्द मेनन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1969–70—जारी

Supplementary Demands for Grants (Railways) 1969-70—*contd.*

सभापति महोदय : अब हम रेलवे की अनपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : My point of order is that the Congress nominee has been defeated and as such the Congress Government should resign and a new Government should be formed.

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : My submission is that the Government have come before the House with a demand for supplementary grants. But why should we vote the supplementary grant in these peculiar circumstances. Continuing of some persons in the

present Government is totally improper and the remaining of some persons in Congress is improper as some persons have revolted against the Congress.....*

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Lakhan Lal Kapur (Kishanganj) : Mr. Chairman Sir, I oppose the demands presented. The Government have asked for money for survey work on four railways. But then the Railways are maintaining their permanent engineering staff, there is no need to have separate staff for this purpose; the existing staff could be transferred to the site of work and thus the expenditure sought for can be avoided.

There is a Railway bridge, Rajendra Pul, between Barauni and Mokameh which has only one line. As the traffic on this section has considerably increased during the recent past, the existing single line on the bridge was insufficient to cope with it. Therefore. steps should be taken to provide double track on the bridge.

The construction work of Farrakka barrage has been going on for years. Crores of rupees were wasted every year on shifting the ghat. If the barrage is completed, a direct railway line from Calcutta to Siliguri and New Jalpaiguri via Baree Gaon could be constructed. Steps should be taken to expedite the work.

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : The Indian States in Rajasthan owned their own railway lines. They had formulated schemes to undertake surveys of new lines and had earmarked funds for the purpose. But after independence the railways have been taken over by the Government. Now it is the duty of the Government that it undertake these surveys. Accordingly, the Government should undertake the survey to connect Alwar with Mathura or Bharatpur by a broad gauge line.

A new flag Station at Khatahas between Phulera and Rewari should be provided. The opening of this station would solve many problems of the local people.

The passenger train running between Alwar and Bandikui during day time should be extenaed up to Jaipur. It would enable the people who had to go to Jaipur to attend courts of law etc. to reach Jaipur, do their work and then to return to their places in time.

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) बम्बई तथा बंगलौर के बीच कोई रेल लाइन नहीं हैं । इस कारण उन लोगों को जिन्हें बम्बई से केरल, तमिल नाड, पश्चिमी मैसूर या महाराष्ट्र के भागों में अपना माल ले जाना पड़ता है या यात्रा करनी होती है, बसों का प्रयोग करना पड़ता है अथवा अरकोणम के रास्ते जाना पड़ता है । इस कारण इन्हें अनावश्यक अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है । इसलिये बम्बई–मंगलौर लाइन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

हमारे तीन नौसेना केन्द्र बम्बई, मरमागोआ तथा कोचीन हैं । ये बड़े पत्तन भी है । यदि उन्हे रेलवे द्वारा नहीं जोड़ा गया तो कुछ कठिनाइया पैदा हो सकती हैं । दो मध्यवर्ती पत्तन, मंगलौर तथा रत्नागिरी तैयार हो रहे हैं । मरमागोआ, बम्बई तथा विशाखापटनम तीन ऐसे बड़े पत्तन हैं

* कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

जहां अधिकतम टनभार के जहाज आ सकते हैं। इन जहाजों को कई दिनों तक रुकना पड़ता है क्योंकि इन पत्तनों में कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता। यदि उन तीन बड़े पत्तनों तथा दो छोटे पत्तनों को परस्पर मिला दिया जाये, तो जहाजों को दूसरे स्थानों में ले जाया जा सकेगा और इस तरह विलम्ब शुल्क की राशि की बचत की जा सकेगी। इसके अलावा रेलवे पश्चिमी घातों की दूसरी ओर नासिक और पूना के बीच पालघाट से मारेघाट तक एक और मार्ग का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहा है। पालघाट और मारेघाट के बीच एक नई लाइन पर 50 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय, यदि वे प्रस्तावित रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करते तो इससे देश की रक्षा और औद्योगिकरण में सहायता मिलती। इसलिए मैं प्रशासन का ध्यान उपरोक्त बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : When divisional system was introduced in the North-Eastern Railway, the divisional headquarters were shifted from Sonepur to Samastipur with a view to improving the working of the railway. But it was a matter of regret that the working instead of improving, has deteriorated. The trains are running late.

Samastipur is a small place and do not have staff quarters and sufficient office accommodation. On the other hand, the staff quarters are lying vacant in Sonepur. One do not know as to why at one place, the existing recommendation was not being utilised while at the other place, the Government we spending money for the same purpose.

There is the question of surplus staff. They are neither retrenched nor given any work. It is a peculiar situation. Steps should be taken to make use of their services.

Assam and Bihar had almost the same mileage of railway lines. But what we found is that while Assam has three divisional office, Bihar has only one. We want that at least one more divisional office should be opened in Bihar.

श्री जि० मो० विस्वास (बांकुरा) : जबसे वर्तमान रेल मंत्री ने रेल विभाग ग्रहण किया है तबसे अनेक गम्भीर दुर्घटनाये हुई हैं।

उड़ीसा में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच समिति ने यह निष्कर्ष दिया है कि उसके लिये जिम्मेदार केबिन लीवरमैन था। परन्तु इसके पीछे कोई और ही बात है। इस मण्डल में मण्डल अधीक्षक ने, कार्यालय ने सही पद्धति को बदल दिया तथा एक नई पद्धति चालू की जिसके परिणामस्वरूप यह गम्भीर दुर्घटना हुई।

रेलवे से सम्बन्धित अनुदानों की पूरक मांगों पर वाद-विवाद में भाग लेते समय मुझे भी कुछ कहना है :

पहली बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि रेलों का विस्तार किया जाये। यह बात मैंने रेलवे बजट पर अपने भाषण में भी कही थी। परन्तु मुझे योजना बनाने और देखभाल करने के ढंग को देखकर निराशा हुई। रेल मंत्री वाराणसी में दुर्घटना स्थल देखने गये। वहां पर उनको कुछ पेच, बोल्ट तथा नट आदि दिखाये गये और उन्हों ने संसद् में वक्तव्य दिया कि यह एक तोड़-फोड़ का मामला है। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है।

जब से वर्तमान रेल मंत्री ने रेल विभाग ग्रहण किया है तबसे दुर्घटनायें होनी शुरू हो गई हैं और लोग मारे गये हैं। यह एक शर्मनाक बात है। उड़ीसा में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसके लिये जिम्मेदार केबिन लीवरमैन था। परन्तु इसके पीछे कोई और ही बात है। इस मंडलमें मंडल अधीक्षक ने कार्यचालन की सारी पद्धति को बदल दिया। रेलवे के कार्यचालन में पूर्णत: ब्लाक पद्धति, स्वत:चालित ब्लाक पद्धति तथा कुछ अन्य पद्धतियां

हैं परन्तु खोरधा रोड के मंडल अधीक्षक ने कार्यचालन की एक नई पद्धति चालू की जिसके परिणामस्वरूप यह विध्वंसकारी दुर्घटना हुई। परन्तु ये सब बातें मैं यहां नहीं कहूंगा। केवल यही कहूंगा कि रेल मंत्री बिना किसी योजना के कार्य कर रहे हैं। कई मामलों में निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ और इसके लिए योजना बनाई गई तथा करोड़ों रुपये खर्च हुए, परन्तु अन्त में उसे छोड़ देना पड़ा। वृहत्तर सिलीगुडी का एक ऐसा ही मामला है। नई जलपाईगुड़ी में मंडल मुख्यालय बनाने के लिए एक योजना बनाई गई, भूमि प्राप्त की गई सवा भवनों, रिहायशी मकानों, अस्पतालों, संस्थाओं, स्कूलों आदि के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये और यहां तक कि मंडल मुख्यालय के लिए भी भवन बनाया गया। इतना सारा धन खर्च करने के बाद अचानक यह निर्णय किया गया कि मंडलमुख्यालय को किसी अन्य स्थान पर रखना अधिक अच्छा होगा और इसलिए इस स्थान को बदल दिया गया। इस प्रकार करोड़ों रुपये की हानि हुई।

अगले दिन दक्षिण पूर्व रेलवे के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर एक शानदार भवन बनाया गया। परन्तु एक दिन अचानक यह देखा गया कि सब कुछ गिरा दिया गया है। इस तरह करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ यह सब ठीक-ठाक योजना न बनाने के कारण है।

जैसाकि हम सबको विदित है कि 19 सितम्बर की हड़ताल में बहुत से रेल कर्मचारियो ने भाग लिया था। यद्यपि सरकार ने हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में और ढील देने की नीति की घोषणा समय-समय पर की है, परन्तु रेलवे ने इस पर अमल नहीं किया है। 1000 से अधिक रेलवे कर्मचारी अभी सेवा में वापिस नहीं लिए गये और मुअत्तिल हैं और हजारों कर्मचारियो की सेवा भंग हो गयी है।

मंत्रियों ने जो आश्वासन दिये थे, उन पर अमल नहीं किया गया है, फरीदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान डा० राम सुभग ने यह आश्वासन दिया था कि असम में रंगिया, लमडिंग और तिनसुखिया तीन मंडल होंगे। यद्यपि इस सम्बन्ध में कई आश्वासन दिये गये, फिर थी उन्हें पूरा नहीं किया गया। दूसरा आश्वासन यह था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण करके जोगीघोपा और तिनसुखिया के बीच बड़ी लाइन का विस्तार किया जायेगा। परन्तु इन आश्वासनों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जैसाकि मैंने शुरू में कहा है कि मैं योजनाबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से रेलों के विस्तार के हक में हूं। मुझे आशा है कि रेल प्रशासन द्वारा इन सुझावों पर विचार किया जायेगा।

अन्त में मुझे यह कहना है कि सभा में बार-बार यह घोषणा की गयी है कि श्रम सहकारी संस्थाओं को रेलवे में कार्य करने की सुविधाएं दी जाएंगी। इस आश्वासन के बावजूद दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर मंडल में ठेके का काम, जो पहले सहकारी संस्था को दिया गया था, बाद में एक गैर-सरकारी ठेकेदार को दे दिया गया क्योंकि रेल मंत्रालय में ठेकेदार का प्रभाव था। जब तक ऐसे भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी अधिकारियों तथा मंत्रियों को सजा नहीं दी जाती तब तक भारतीय रेलवे के विकास की कोई सम्भावना नहीं है।

Shri Mohammad Ismail (Barackpur) : There had been talks for circular railway in West Bengal. Surveys have been done several times and lakhs of rupees have been spent. The Minister of State for Railways, Shri Parimal Ghosh, has now stated that this work would be taken up. But the fact that the requisite staff for that work would be recruited by the Department and then posted there had created some doubts in the minds of the people.

Bangaon line passes near Pakistan border. Lakhs of displaced persons have been residing there. Being a single line, people have been facing great difficulties. In spite of several representations from Passengers' Association and general public, this line has not been doubled so for.

The Railway line between Dum Dum and Basirhat should be doubled. Surveys for the construction of a railway line between Malda and Belurghat has been done long ago, but the same has not been laid down. Malda and Belurghat are situated on Pakistan border.

A departmental enquiry was conducted for opening a halt station at Nawapara near Dum Dum. After verifying the facts that opening of this station would fetch Rs. 25,000 even a Flag station has not been opened so far there. In the absence of proper means of communications, the industry there as well as the public have been facing great difficulties.

In Panihatti a vast tract of railway land is lying vacant. The local municipal committee had requested the railway authorities to allot that land to the committee so that a market could be constructed there. Their request had not been acceded to by the railway authorities on the plea that they had some future plan in which that land would be utilised. Recently railway traffic at Ulta Danga has considerably increased. But there is only one booking office. The people have to face lot of difficulties in getting tickets and sometimes they are involved in accidents. More booking offices should be opened there.

At Katwa station thefts of railway material from the wagons are committed in connivance with C.R.P. and Station Master. The Minister for Railways, Dr. Ram Subhag Singh gave an assurance that an enquiry would be conducted there. The result was that the S.M. and his colleagues were transferred from there.

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : 1969-70 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे पेश करते समय मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग 13,000 रुपये की ये अनुदानें 3 मदों में बैठी हुई है जिनमें से कुछ निर्माण-कार्यों के लिए [illegible] की आकस्मिकता निधि से ली गयी पेशगी के 8000 रुपये हैं और जिनका भुगतान पिछले वर्ष करना था परन्तु पूरक मांगे पेश करते समय इसका पहले अनुमान नहीं लगाया गया था ।

अन्य दो मदों में से, जैसाकि मैंने कल बताया था, एक सर्वेक्षण कार्य के बारे में है अर्थात् (i) मध्य रेलवे में कल्याण से बड़ी लाइन के धोंड़-मनमाड खंड पर किसी उपयुक्त स्थान तक तीसरी लाइन के लिये सर्वेक्षण, (ii) पूर्वोत्तर रेलवे भटनी-बरौनी खंड में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण, (iii) पूर्वोत्तरसीमा त रेलवे में धर्मनगर से अगरतल्ला तक एक नये रेल सम्पर्क के लिये इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण, और (iv) पश्चिम रेलवे में नागदा-लाखेरी खंड मे दोहरी लाइन बिछाने के लिये इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं ।

जहां तक मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों मे बदलने का प्रश्न है, हमने पहले ही दस वर्षों के लिए एक अस्थायी सापेक्ष योजना आरम्भ की है और बहुत सी मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं ताकि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सीधा यातायात जारी रखा जा सके । इस सापेक्ष योजना को ध्यान में रखकर हमने पहले ही कुछ मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के प्रश्न को चौथी योजना में रखा हुआ है ।

नयी लाइनों के निर्माण करने के लिये माननीय सदस्यों ने कई एक सुझाव दिये हैं । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए लगभग 83 करोड़

रुपये की कुल राशि निर्धारित की गयी है और उसमें से 56 करोड़ रुपये पहले से ही आरम्भ किये गये कार्यों के लिए खर्च करने हैं जो कि चौथी योजना में आ गये हैं । उस राशि में से हमें फरक्का बांध लाइन पर 4 करोड़ रुपये खर्च करने हैं । हमने यह काम आरम्भ कर दिया है ताकि इस लाइन का निर्माण बांध के पूरा होने की अवधि तक पूरा हो सके । श्री कपूर के कथनानुसार कि मैंने कटिहार में यह ऐलान दिया है कि बरौनी-कटिहार लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न को चौथी योजना के अन्तर्गत रखने के लिए विचारार्थ नहीं रखा जायेगा । जो कुछ मैंने कहा था वह यह है कि इस लाइन को बदलने के लिए हमने पहले ही सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर रखा है और मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए हम ने इस लाइन को पहले ही अपनी सापेक्ष योजना के अन्तर्गत रखा है । सर्वेक्षण कार्य अभी भी जारी है ।

कटक-पारादीप लाइन के सम्बन्ध में, हमने इस लाइन के निर्माण के लिए पहले ही जमीन की मंजूरी दे दी है और निर्माण-कार्य को भी इसमें शामिल किया गया है । हमने राज्य सरकार को भूमि के आवश्यक अर्जन के लिए अपना मांग पत्र भेजा है । अब तक राज्य सरकार ने हमें केवल 40 या 43 किलोमीटर तक ही भूमि दी है । हमें 40–45 किलोमीटर भूमि की और आवश्यकता है । मिट्टी का काम तथा पुलों के निर्माण-कार्य चालू कर दिया गया है । कार्य पूरा करने की ऐसी योजना बनाई गई है कि यह पतन कार्य और कुछ अन्य कार्य, जो लाइन के पूरा होने के साथ आवश्यक हैं, साथ-साथ पूरा हो सके । अतः हमारी ओर से कोई देरी नहीं और काम निर्धारित समयानुसार चालू है ।

श्री रणधीर सिंह : रोहतक-पानीपत लाइन को फिर से चालू करने के लिए क्या किया गया है ?

श्री परिमल घोष : तालचेर–बिमलगढ़ लाइन के बारे मे मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय: यदि सदस्यगण यह कह कर कि राजस्थान के बारे में क्या हुआ और हरियाणा के बारे में क्या हुआ, बाधा डालते रहे तो उसका कोई अन्त नहीं है । उन्हें कुछ कहने से पहले अध्यक्ष की आज्ञा लेनी चाहिये ।

श्री परिमल घोष. : जहां तक तालचेर-बिमलगढ़ लाइन का सम्बन्ध है, हमने पहले ही सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है । सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निर्माण-कार्य पर विचार किया जा सकता है ।

इस संदर्भ में सीमान्त रेलवे में जलपाईगुड़ी की प्रभागीय योजना पर विचार नहीं किया गया है । मुख्य बात जिस पर मुझे जोर देना है वह यह है कि प्रभागीय योजना एक ऐसा मामला है जो केवल रेलवे प्रशासन से सम्बन्धित है और यह केवल प्रशासनिक और कार्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये है और हम मंडल बनाते हैं । इसका सम्बन्ध किसी विशेष राज्य या प्रदेश और लम्बाई से जो किसी राज्य क्षेत्र में आती है, नहीं है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के कर्मचारियों के मामलों में हम बड़े सतर्क हैं । हम गृह-मंत्रालय की सलाह पर कार्यवाही कर रहे हैं । बल्कि हम इससे आगे कार्य कर रहे हैं। कुछ मामलों का पुनरीक्षण हो रहा है । कुछ मामले अदालत में पड़े हैं और उन पर विचार अदालतों के फैसले के बाद होगा ।

सुविधाओं के सम्बन्ध में कन्वेंशन समिति की रिपोर्ट है । हमने पहले ही स्टेशनों के विकास और कुछ विशेष स्टेशनों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 4 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं ।

यात्री सुविधाओं के लिये हमारे पास उपभोक्ता समितियां हैं। इन मामलों पर समितियों में विचार होता है और वे जो प्राथमिकता नियत करते हैं, उसके आधार पर सुविधाएं दी जाती हैं। कटिहार भी सुविधाओं सम्बन्धी समिति के अन्तर्गत आता है। यदि समिति यह आवश्यक समझती है कि कटिहार स्टेशन पर कुछ और काम करना है तो वह काम शुरू किया जायेगा।

जहां तक जोगीघोपा और तिनसुकिया के बीच रेलवे लाइन के विस्तार का सम्बन्ध है, हमने सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के लिए असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों तक को भी कहा है। यदि इसमें कोई अच्छी बात मिली तो हम अवश्य ही उसे चालू करेंगे।

सर्कुलर रेलवे के लिए कुछ धन नियत किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जैसे ही अन्तिम सर्वेक्षण पूरा होगा, निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। यह कहना कठिन है कि यह कब पूरा होगा। कार्य चालू है और चौथी योजना अवधि में पूरा हो जायेगा।

श्री जि० मों० विस्वास : दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह है विलासपुर की श्रम ठेका सहकारी संस्था के बारे में। उन्हें एक ठेका दिया गया था। परन्तु बाद में यह ठेका उनसे लेकर एक गैर-सरकारी ठेकेदार श्री शुक्ल को दे दिया गया है। इसके क्या कारण हैं? तीसरी बात मैसर्स सेक्सरी फारमर के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है।

श्री परिमल घोष : रेलवे की यह घोषित नीति है कि यदि श्रम सहकारी संस्था किसी कार्य को आरम्भ करने में समर्थ होगी तो टेंडर मंगाये बिना इन्हें पहली प्राथमिकता दी जायेगी।

Shri Mohammed Ismail : I had asked about Nawapara Halt Station. What happened to that ?

श्री परिमल घोष : माननीय सदस्य द्वारा कहे गये हाल्ट स्टेशन के बारे में जांच कराऊंगा।

Shri Meetha Lal Meena (Sawai Madhopur) : The scheme for a railway line between Dholpur and Gangapur City (Rajasthan) has been approved but no survey has been done so far. No information has been given about the scheme for converting M. G. to B. G. between Sawai Madhopur and Jaipur.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Two ministers from U. P. met the Minister for Railways, who told them that the scheme for converting M. G. lines to B. G. lines is under consideration. Is it correct or not ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री परिमल घोष : अलाभप्रद छोटी लाइनों तथा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए हम ने पहले ही से श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। यह समिति ब्यौरे वार जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा वर्ष 1969-70 के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railways for 1969-70 were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
2	विविध व्यय	4,000 रुपये
15	चालू लाइन निर्माण--पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि	1,000 रुपये

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1967-68

Demands for Excess Grants (Railways) 1967-68

वर्ष 1967-68 के लिए रेलवे बजट के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदानों की अतिरिक्त मांगें मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
5	राजस्व--संचालन व्यय--मरम्मत और अनुरक्षण .	26,27,331 रुपये
7	राजस्व- -संचालन व्यय--परिचालन (ईंधन) .	97,89,494 रुपये
8	राजस्व--संचालन व्यय--परिचालन (कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर) . .	37,32,622 रुपये
16	पेंशन प्रभार--पेंशन निधि . . .	9,83,349 रुपये
20	राजस्व आरक्षित निधि से निकासी . .	273 रुपये

वर्ष 1967-68 के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
5	1	श्री बि० प्र० मंडल	रेलवे की आस्तियों, विशेष रूप से रेल लाइनों और सिगनल उपकरण, के अनुरक्षण में खामियां, जिनके परिणामस्वरूप अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
7	3	श्री बि० प्र० मंडल	बिजली तथा डीज़ल के इंजन वाली अधिक रेलगाड़ियां चलायी जायें ।	100 रुपये
8	5	श्री बि० प्र० मंडल	बिना टिकट यात्रा को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	6	श्री बि० प्र० मंडल	रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	100 रुपये
5	2	श्री लोबो प्रभु	रेलवे स्टेशन और रेल के डिब्बे साफ-सुथरे और देखने में आकर्षक हों ।	100 रुपये
8	4	श्री लोबो प्रभु	रेलगाड़ियों के समय पर न चलने की घटनाओं में वृद्धि ।	100 रुपये
8	7	श्री जी० मो० बिस्वास	रेलगाड़ियों के समय पर न चलने की घटनाओं में वृद्धि ।	100 रुपये
8	8	श्री जी० मो० बिस्वास	बिना टिकट यात्रा को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	9	श्री जी० मो० बिस्वास	रेलवे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	100 रुपये
8	10	श्री अब्दुल गनी दार	रेलगाड़ियों को समय पर न चलाने के मामलों में वृद्धि ।	100 रुपये
8	11	श्री अब्दुल गनी दार	बिना टिकट यात्रियों पर निगरानी	100 रुपये
5	12	श्री रामावतार शास्त्री	पटना जंकशन से चलने वाली मुगल सराय यात्री गाड़ी में अधिक शक्तिशाली इंजन लगाने में असफलता ।	100 रुपये
5	13	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वी रेलवे में दानापुर पर वर्तमान ऊपरी पुल को चौड़ा करने में असफलता ।	100 रुपये
5	14	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में समय पर मरम्मत कराने में असफलता ।	100 रुपये
5	15	श्री रामावतार शास्त्री	न्योरा स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता	100 रुपये
5	16	श्री रामावतार शास्त्री	पूर्वी रेलवे के फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
8	17	श्री कंवर लाल गुप्त	रेलगाड़ियों को समय पर न चलाये जाने के मामलों में वृद्धि ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
8	18	श्री कंवर लाल गुप्त	अनेक मामलों में निम्नतम टेन्डरों का स्वीकार न किया जाना ।	100 रुपये
5	19	श्री रामावतार शास्त्री	पटना से गया तक लाइन को दोहरा करने में असफलता ।	100 रुपये
5	20	श्री रामावतार शास्त्री	उत्तर बिहार में छोटी लाइनों के स्थान पर बड़ी लाइनें बनाने में असफलता ।	100 रुपये
5	21	श्री रामावतार शास्त्री	पटना सिटी स्टेशन का विस्तार करने में असफलता ।	100 रुपये
7	22	श्री रामावतार शास्त्री	ईंधन के लिए स्टैंडर्ड कोयला देने में असफलता ।	100 रुपये
8	23	श्री रामावतार शास्त्री	बिना टिकट यात्रा रोकने में असफलता	100 रुपये
8	24	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे से सामान की चोरी रोकने में असफलता ।	100 रुपये
8	25	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे का सामान चोरी करने वाले व्यक्तियों के साथ रेलवे पुलिस कर्मचारियों की सांठगांठ ।	100 रुपये
8	26	श्री रामावतार शास्त्री	क्षतिपूर्ति के नाम पर अपव्यय	100 रुपये
16	27	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने में असफलता ।	100 रुपये
16	28	श्री रामावतार शास्त्री	रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

सभापति महोदय : ये मांगें तथा सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : रेलवे मंत्री 1967–68 के दौरान मंजूरशुदा राशि के अतिरिक्त 1.67 करोड़ रुपये का खर्चा करने के लिए सभा के अनुमोदन की मांग कर रहे हैं । इस वर्ष में रेलवे को लगभग 15 करोड़ रुपये की हानि हुई । उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री ने आश्वासन दिया था कि किराये और भाड़े में वृद्धि को रोकने के लिए मितव्ययता करेंगे । परन्तु आज स्थिति यह है कि कोई मितव्ययता नहीं बरती गई और अधिक धन खर्च किया गया जिसके कारण बाद के वर्षों में किराये-भाड़े में वृद्धि करनी पड़ी और यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जा सकी ।

मैसूर और अन्य दक्षिणी राज्यों से रेलवे के विस्तार के सम्बन्ध में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । अलाभप्रद लाइनों को मुख्य लाइनों से मिलाने की नीति के अनुसरण में तत्कालीन मंत्री ने आदेश दिया था कि कुछ लाइनों को खास तौर पर कोटूर-हरिहर लाइन और जसवन्तनगर-चितलदुर्ग

चिकजूर लाइन को आपस में मिलाने के लिए सर्वेक्षण किये जायें। किन्तु अभी तक इस लाइन का सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया गया है। तत्कालीन मंत्री, श्री पुनाचा ने यह आश्वासन भी दिया था कि बंगलौर और गुंटाकल के बीच मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। किन्तु इस लाइन के सर्वेक्षण को मांगों में शामिल नहीं किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया और रेलवे इस लाइन पर कार्य करने जा रही है या नहीं।

दूसरी बात रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में है। यह स्वीकार किया गया है कि रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, 1967 में कुर्ला में एक जबरदस्त दुर्घटना हुई थी और फिर चलविगी में दूसरी दुर्घटना हुई जिस में 200 से अधिक लोग काल के ग्रास बने। जब इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तो तत्कालीन मंत्री ने इन दोनों दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया किन्तु इस आयोग का प्रतिवेदन अभी तक सभापटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? रेलवे प्रशासन की कमजोर नीति के कारण रेलवे कर्मचारी लापरवाह होते जा रहे हैं और वे लोगों के जीवन की परवाह नहीं करते। वे जानते हैं कि वे जो मर्जी गलती करें किन्तु उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। सरकार के इस रवैये के कारण रेलवे प्रशासन लापरवाह होता जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं?

इन दुर्घटनाओं का एक और कारण यह है कि बहुत से रेलवे फाटकों पर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं होता। रेलवे फाटक पर कर्मचारी नियुक्त करना रेलवे प्रशासन का कर्त्तव्य है ताकि यात्रियों को आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में चेतावनी दी जा सके।

यह सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की लाइनों के कारण रेलवे प्रशासन को बड़ी कठिनाई होती है। सरकार की नीति यह होनी चाहिए कि सभी मीटर लाइनों को जहां तक सम्भव हो बड़ी लाइनों में बदल दिया जाये और इस के लिए उन्हें एक निश्चित कार्यक्रम अपनाना चाहिए।

पृथक तेलंगाना राज्य के लिये आन्दोलन के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION *re.* AGITATION FOR SEPARATE STATE OF TELENGANA—*contd.*

सभापति महोदय : अब सभा श्री कंवर लाल गुप्त के 18 अगस्त, 1969 को दिये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

> "कि यह सभा पृथक् तेलंगाना राज्य के लिए आन्दोलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह आवश्यक कदम उठाये"।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : The agitation for a separate Telengana, though started by students, is now a mass movement. Formation of a separate State of Telengana would not only be in the interest of the People of Telengana but would be in the larger interest of the country.

Schools and Colleges in Telengana have been closed. Education of lakhs of students is suffering. The non-gazetted employees are also dissatisfied. An association of the officers

who collect revenue from the villages has taken a decision not to collect it till the Telengana problem is solved. This is the state of affairs in Telengana.

The Police is Committing excesses there. The Government has no control over the police. It is a matter of great regret that on the 15th August, 1969, the police beat people including a women M. L. A.

The scheme of regional committees had failed in Punjab and the Government had to concede the demand for a separate Punjab State. The People of Telengana feel that when the regional committee scheme has failed in Punjab, how can it succeed in Telengana ?

It should be remembered that language alone is not the considerateion in the matter of formation of poor States. Administrative convinience is also an important considration. The demand for a separate Telengana connot be rejected merely on the ground of a common language in Andhra and Telengana regions. There are separate states in the North although their language is the same.

(श्री गाडिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए
Shri Gadilingan God *in the Ghair*)

The interests of Telengana have not been sefegarded by the Andhra Government. The Government has given all attention to Andhra region and has meted out step-motherly treatment to the Telengana region in the matter of providing electricity in rural areas, irrigation facilities and other facilities required for the devellopment of agriculture.

The Government should consider the problem sympathetically and should not put it off merely on the ground that it is a political problem. A decision, which satisfies the people and safeguards the interests of the student community should be arrived at. If it is formed that the demand for a separate state is justified it should be conceded.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : यह सभी जानते हैं कि 12-13 वर्षों की दुर्व्यवस्था और अन्याय के दौरान तेलंगाना के लोगों की जो शिकायतें इकट्ठी हो गई थीं वे सभी उचित हैं। इस अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने का श्रेय हमारे छात्र समुदाय को है। यह निराश राजनीतिज्ञों अथवा कुछ लड़कों का आन्दोलन नहीं है, यह तो जन-आन्दोलन है। 6—8 महीने तक समस्त तेलंगाना में कोई स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय नहीं खुला। यह एक अभूतपूर्व बात है।

इसे पहले तो कानून और व्यवस्था का प्रश्न समझा गया। पुलिस ने लोगों को आन्तकित करने के तरीके अपनाये। गोली चलाई गई। सरकार को जनता को बताना चाहिए कि गोली चलाने का क्या औचित्य था ?

संसद् सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के गिरफ्तार व्यक्तियों को राजामुन्दरी जेल से किसी दूसरे जेल में भेजने के लिए अभ्यावेदन भेजे। यह मांग स्वीकार नहीं की गई। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।

इस समस्या के समाधान के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे इसका समाधान नहीं हो सकता है।

1½ करोड़ लोग समझते हैं कि पृथक तेलंगाना बनाया जाना चाहिए। यह हमारा कर्त्तव्य है कि वे जो कहें हम उसे सुनें। हमको उनकी मांग को दबाना या अस्वीकार नहीं करना चाहिए। केन्द्र से हमें इस आशय का कोई आदेश नहीं देना चाहिए कि पृथक तेलंगाना नहीं बनाया जाये। इससे देश का विघटन हो सकता है। हम एक के बाद दूसरा राज्य बनाते रहे हैं। इनका आधार न केवल भाषा रही है अपितु समाज तथा जातियां भी रही हैं। तो इस मांग को विघटन-कारी कैसे कहा जा सकता है। हमने बड़े बड़े भाषायी राज्य बनाये। उनसे हमें क्या लाभ हुआ? इससे केवल भाषा-वाद की भावनाएं पैदा हुई हैं।

यह कहा गया है कि कि तेलंगाना एक पिछड़ा क्षेत्र है लेकिन मैं कहता हूं कि यह पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। अत: इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए।

मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि यह समस्या एक या दो वर्षों में हल नहीं की गई तो इसी प्रकार का एक आन्दोलन आन्ध्र प्रदेश में भी शुरू हो जायेगा।

छोटे-छोटे राज्य बनाने से लाभ होगा। वे केन्द्र पर अधिक निर्भर रहेंगे। गृह मंत्री को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमें दूसरे राज्यों से इस प्रकार की मांगों से भयभीत नहीं होना चाहिए। जब अमेरिका में इस प्रकार के 52 राज्य हो सकते हैं तो हमारे देश में जहां इतनी अधिक जन संख्या है, अधिक राज्य होने से क्या हानि हो सकती है।

आज केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध कैसे हैं? राज्य केन्द्र से अधिकाधिक हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। उनमें एकता की भावना नहीं है।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि सभी कैदियों को रिहा करके बातचीत शुरू करने के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाये। नया वातावरण तैयार करने के लिए प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये या उसके लिए अलग मुख्य मंत्री बनाया जाये। अच्छा यह होगा कि इस मामले की छानबीन करने के लिए एक समिति अथवा आयोग नियुक्त किया जाये।

पृथक तेलंगाना की मांग स्वीकार की जानी चाहिए, अन्यथा अधिक कठिनाइयां पैदा होंगी और रक्तपात होगा।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : विद्यार्थियों ने इस वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह से तेलंगाना आन्दोलन आरम्भ किया था। पांच महीने बाद, यानि मई में, डा० चेन्ना रेड्डी और कोण्डा लक्ष्मण इस आन्दोलन में सम्मिलित हुये। इसलिये इस आन्दोलन को केवल डा० चेन्ना रेड्डी अथवा किसी दल के अन्य नेता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये। यह आन्दोलन वास्तव में पूर्ण रूप से एक लोकप्रिय जन आन्दोलन है। इस के पीछे वास्तविक कारण हैं। प्रधान मंत्री या गृह-मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री भी इस बात से सहमत हैं कि तेलंगाना के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तेलंगाना आन्दोलन के जो मूलभूत कारण हैं हम सभी उनसे सहमत हैं किन्तु उसके समाधान के बारे में हमारा मत भेद है।

श्री एस० एम० जोशी ने तेलंगाना आन्दोलन का समर्थन किया है किन्तु उन्होंने यह सन्देह व्यक्त किया है कि यदि संसदीय शिष्टमंडल तेलंगाना जायेगा तो इसका अर्थ राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करना होगा। वास्तव में इस सम्पूर्ण समस्या को हल करने का काम इस सभा तथा केन्द्र सरकार का है। राज्य सरकार का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सर्वप्रथम यह मांग पंजाबी सूबे अथवा किसी अन्य राज्य की तरह एक अलग तेलंगाना बनाये जाने की मांग है । अतः यह देखना केन्द्रीय सरकार और संसद् का काम है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन पृथक तेलगांना की मांग पर विचार किया जाये या नहीं ।

दूसरी बात यह है कि यह आन्दोलन राज्य के कुशासन के प्रति है तथा यह उसके प्रति लोगों के अविश्वास के कारण पैदा हुआ है । अतः केन्द्र सरकार को इस अविश्वास आदि को दूर करने के लिये कदम उठाने ही थे ।

तीसरी बात यह है कि जब तेलंगाना क्षेत्र को आन्ध्र के साथ मिलाया गया तो उसके लिये एक शर्त रखी गई थी । विलय से पूर्व तेलंगाना वासियों को संवैधानिक तथा अन्य गारंटियां दी गई थीं और उनके फलस्वरूप हमें संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करना था । अब जब यह सब कुछ हो गया है तो संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संसद् तथा केन्द्रीय सरकार को यह देखना है कि तेलंगाना के लोगों को उस क्षेत्र के आन्ध्र के साथ विलय से पूर्व दी गई गारंटियों को अमल में लाया जा रहा है या नहीं । इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं है ।

संसद् ने एक अन्य संविधिक गारंटी दी थी जो सरकारी नौकरियों (आवास की आवश्यकता) अधिनियम 1957 के रूप में दी गई थी । इस अधिनियम को तेलंगाना के लोगों के हित के लिये बनाया गया था । इसे 28 मार्च 1969 को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया । किन्तु उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात् केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है । राज्य सरकार ने केन्द्र से फिर यह अनुरोध किया है कि वह संविधान में इस तरह संशोधन करें कि जिस से तेलंगाना के लोगों को विलय से पहले जो गारंटी दी गई थी उसको कार्यरूप दिया जा सके । लेकिन केन्द सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । जबकि उसका रवैया इस प्रकार का है तो उसे यह कहने का क्या अधिकार है कि यह विघटन की मांग है ।

तेलंगाना को आन्ध्र के साथ मिलाने की क्रिया में कुछ कमियां थीं । तेलंगाना की जनसंख्या $1\frac{1}{2}$ करोड़ है जबकि आन्ध्र की $2\frac{1}{2}$ करोड़ है । अतः विधान सभा में ये दोनों क्षेत्र इसी अनुपात से प्रतिनिधित्व करते हैं । तो क्या यह अपेक्षा की जा सकती है कि तेलंगाना के लोगों की किसी भी वैध मांग को विधान मण्डल के दो-तिहाई बहुमत से पास किया जा सकता है ? अतः यह संसद् का कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा इस समस्या का समाधान करे ।

अब तक दो प्रकार की एकता के मामले हमारे सामने आये हैं । पहले 1948 से 1950 तक राजनैतिक एकता सामने आयी जो वास्तव में अभूतपूर्व थी । दूसरी एकता भावात्मक एकता थी । भाषा के सिद्धान्त पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया । किन्तु यह भावात्मक एकता सफल नहीं हुई । कुछ लोग समान संस्कृति की बात करते हैं । हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारी एक ही संस्कृति है और वह है भारतीय संस्कृति । महाराष्ट्रीय संस्कृति, तमिल संस्कृति या राजस्थानी संस्कृति की बात कहना अनुचित है तथा यह राष्ट्रीयता के विरुद्ध है । आपस में मनमुटाव होने पर लोगों में एकता स्थापित करना संम्भव नहीं है । हमें एकता का झूठा नारा लगाकार लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मांगों को ठुकराना नहीं चाहिये ।

हम तेलंगाना समस्या को हल करने में असफल रहे हैं क्योंकि हमने आम जनता की ओर ध्यान नहीं दिया है । हमने राज्य के केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के दल का ही ध्यान रखा है । तेलंगाना में सोलह लाख छात्र स्कूल या कालेज नहीं जा रहे हैं । पिछले वर्ष और फिर इस वर्ष उन्होंने

एक शैक्षणिक वर्ष और एक परीक्षा गवां दी है। तेलंगाना समस्या चाहे हल हो या न हो, इन विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

अब तक जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है उनमें 95 प्रतिशत छात्र हैं। विद्यार्थियों तथा अन्य नेताओं ने तीन मांगें रखी हैं। वे हैं वर्तमान मुख्य मंत्री को उनके पद से हटाना: राज्य में राष्ट्रपति शासन और पृथक तेलंगाना। केन्द्र ने पृथक तेलंगाना बनाने की मांग के अलावा अन्य किसी भी मांग पर विचार करने को कहा है। लेकिन क्या सरकार ने उन अन्य मांगों पर विचार किया है ?

29 नवम्बर, 1966 को गृह मंत्री ने लोक सभा में यह आश्वासन दिया था कि निवारक निरोधक अधिनियम का प्रयोग राजनीतिक कारणों के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा। किन्तु अब मुख्य मंत्री उक्त अधिनियम का प्रयोग करके पृथक तेलंगाना की मांग से सम्बद्ध सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। दण्ड संहिता प्रक्रिया की धारा 151 के अधीन अनेकों लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि इसका प्रयोग केवल वास्तविक अपराधियों के विरुद्ध किया जाता है न कि राजनीतिक नेताओं अथवा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन लगभग 25 से 30 हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन पर धारा 107 और 109 भी लगाई गई। पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के मामलों तथा उनके द्वारा की गई ज्यादतियों की अभी तक जांच नहीं की गई है।

आंन्ध्र प्रदेश में कोई लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं रह गई है, गत वर्ष सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिये चुनाव होने थे किन्तु उन्हे इस आशंका से स्थगित कर दिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि उन संस्थाओं पर प्रजा समिति के लोगों का प्रभुत्व हो जाये। नगर निगम के चुनावों को भी दो वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया ताकि वर्तमान व्यक्ति अपने पदों पर बने रह सकें। पृथक तेलंगाना की मांग करने वाले पार्षदों को जेलों में डालकर स्थायी समिति का चुनाव किया गया।

11 अप्रैल को 8 समितियों वाली योजना की घोषणा की गई। हम केवल एक समिति चाहते हैं और हमारे विचार में इन आठ समितियों की नियुक्ति अवैध तथा संविधान के विरुद्ध है।

सरकार को तेलंगाना की 28 मार्च, 1969 से पहले जो स्थिति थी उसे कायम रखना चाहिये इसी तारीख को उच्चतम न्यायालय ने तेलगांना के लोगों को जो संरक्षण दिये हुये थे उन्हें रद्द करने का फैसला दिया था। किन्तु हम यह जानते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है इसलिये हमें अच्छे सम्बन्धों के साथ तथा भाई चारे और सौहार्द पूर्ण वातावरण में दो अच्छे पड़ोसियों की तरह अलग हो जाना चाहिये इस आन्दोलन को 1972 तक जारी नहीं रखा जाना चाहिये। तेलंगाना के लोग 1972 तक पृथक् तेलगाना बनवाकर ही रहेगें चाहे यह बात किसी को अच्छी लगे अथवा बुरी।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Speaker in The Chair

आसाम में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी छानबीन करने के लिये संसद् सदस्यों का एक शिष्टमण्डल वहां गया, 1966 में नेफा में भी इसी प्रकार का एक शिष्टमण्डल भेजा गया था। पंजाब के पुनर्गठन के सम्बन्ध में भी सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगर तेलंगाना समस्या के अध्ययन के लिये एक संसदीय समिति बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका यह अर्थ होगा कि वहां के लोगो के साथ ज्यादती की जा रही है अतः एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो समस्या की मौके पर जाकर अध्ययन करेगी और उसे सुलझाने के लिये समुचित उपाय सुझायेगी।

गोआ के मामले में जहां की जनसंख्या केवल आठ या नौ लाख है जनमत संग्रह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। अतः इसमें कोई औचित्य नहीं कि तेलंगाना की समस्या को सुलझाने के लिये, जहां की जनसंख्या $1\frac{1}{2}$ करोड़ है, यह सिद्धान्त न अपनाया जाये। हमें इस समस्या का उचित और व्यवहार्य हल ढूंढ़ना चाहिये। इस समस्या के गुण दोषों पर बिना किसी बाहरी दबाव के विचार किया जाना चाहिये। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय हित में सुलझाया जाये और इस सम्बन्ध में एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये। यदि सरकार तेलगांना के सच्चे प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में बातचीत करें तो समस्या का समाधा न सरल हो जायेगा।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर): गत् कुछ वर्षों में देश के लगभग प्रत्येक भाग में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और हम देखते हैं कि उनका समाधान समय पर नहीं किया गया यदि हम उन पर निष्पक्ष होकर राष्ट्रीयता की भावना से विचार करते तो उनका समाधान हो सकता था।

देश में जो हिंसात्मक कार्यवाही हो रही है उसके लिये सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। कुछ लोगों की भीड़ हिंसात्मक तरीकों का सहारा लेती है जस पर नियंत्रण करने के लिये सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

एक समय था जब कांग्रेस दल और अन्य संसदीय दलों की राय थी कि भाषाई राज्य नहीं बनाये जाने चाहियें क्योंकि उनका विचार था कि इस से देश की एकता और अखंडता नहीं रहेगी और इस से देश में गड़बड़ी होंगी। परन्तु जनमत के भारी दबाव के कारण अन्ततः भाषाई राज्यों का गठन करना ही पड़ा इस आधार पर सबसे पहले आन्ध्रप्रदेश राज्य बना।

अतः भाषाई राज्य जनमत के दबाव के कारण ही गठित किये गये। हमें यह कहने का अधिकार नहीं है कुछ लोग गलती पर हैं अथवा कुछ लोग सही काम कर रहे हैं। तेलंगाना की समस्या को या किसी अन्य समस्या को सुलझाने के लिये हमें ऐसा ही ऊंचा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमें अपने निजी स्वार्थों का परित्याग कर इन समस्याओं पर विचार करना चाहिये यदि कुछ लोग पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग करते हैं तो हमें उस से भासयभीत नहीं होना चाहिये और यह भी नहीं सोचना चाहिये कि इस से राष्ट्र का विघटन हो जायेगा। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई विशेष शक्ति भविष्य में हमारे नेतृत्व पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और यह सोचकर हम चिन्तित हो जाते हैं। किन्तु नेतृत्व उन ठोस गुणों पर निर्भर करता है जो लोगों के विश्वास को जागृत करते हैं।

मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूं कि तेलंगाना राज्य पृथक् बनाया जाना चाहिये और आंध्र की एकता बनाये रखी जाये। मैं तो सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि वह जनमत के लोकप्रिय तरीकों को अपनायें। यदि उस क्षेत्र के लोग पृथक प्रशासनिक इकाई चाहते हैं तो उनकी मांग को पूरा करने में कोई हानि नहीं है। यदि जनता आन्ध्र की एकता चाहती है तो इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये और लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिये। तेलंगाना की समस्या को हल करने के लिये सरकार कोई भी विवेकपूर्ण तरीका अपना कर हल कर सकती है।

बड़े दुख की बात है कि आठ महीने तक सरकार इस मामले पर चुप रही है। संसद् से इस तरह काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। आठ महीने से लोग वहां कष्ट उठा रहे हैं। जिन पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी है उन्हें हमेशा पुलिस बल अथवा सैन्य बल का प्रयोग करने

की बात ही नहीं सोचनी चाहिये । हमें लोगों को अवसर देना चाहिये कि वे अपनी शिकायतें हमारे सामने रखें जिससे कि विद्रोह न हो सके । हमें लोगों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये ।

यह तर्क दिया गया है कि यदि हम पृथक तेलंगाना राज्य की मांग को मान लेंगे तो पृथक राज्यों की मांग का रास्ता खुल जायेगा । परन्तु इसमें खराबी क्या है । जलद्वार बाढ़ के समय खोलने के लिये ही बनाये जाते हैं । यदि उन्हें नहीं खोला गया तो बांध की कट जायेगा । यहां भी जलद्वार खोलने की आवश्यकता है । यदि दो आंध्र राज्य होंगे तो उससे भारत को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

संविधान में भी यह व्यवस्था है कि जब आवश्यकता पड़े तो राज्यों की सीमा को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है, नये राज्य का गठन किया जा सकता है और पुराने राज्य को समाप्त किया जा सकता है । ये समस्यायें उठ सकती है, इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर हमने यह व्यवस्था की थी । अब यह कहना कि संविधान के उपबन्धों को लागू नहीं किया जाना चाहिये न तो संवैधानिक है और न ही वह नैतिकता और राष्ट्रीयता के अनुकूल है ।

यदि सरकार या कुछ नेतागण कोई निर्णय नहीं ले सकते या यदि उनके रास्ते में व्यक्तिगत, राजनीतिक या राज्य संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं तो सरकार को चाहिये कि वह इस प्रश्न को इस सभा की स्वतन्त्र इच्छा और स्वतन्त्र मतदान पर छोड़ दे । मुझे विश्वास है कि किसी और द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय की अपेक्षा सभा की स्वतन्त्र इच्छा से इस समस्या का अधिक राष्ट्रीय तथा पक्षपातरहित समाधान निकलेगा ।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam) : The Andhra race on the Telgu speaking people have the history of about 3,000 years and the most striking feature is that they had maintained their unity till the advent of foreign rule in the country. Afterwards the Telgu people got separated. But alongwith the freedom movement, there was a movement going on for the unification of the Telgu speaking people. The movement took firm root.

Shrimati Lakshmikanthamma : The present agitation for a separate Telengana region was a conspiracy hatched by certain vested interests--the landlords, the Deshmukhs, the interested businessmen and the corrupt politicians. I request the Government to enquire into the whole matter and punished the guilty persons.

Shri G. Venkataswamy (Siddipet) : You are telling a lie.

Shrimati Lakshmikanthamma : Please be silent (*Interruption*).

Mr. Speaker : Please Both of you keep silence.

Shri mati Lakshmikanthamma : The member has said that I am telling a lie. I would say that he is telling a lie. It should enquired as to who is telling a lie.

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं संसद् सदस्य हूं । वह कुछ भी नहीं जानती ।**

श्रीमतिलक्ष्मीकान्तम्मा : **

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यह शब्द असंसदीय है । इसे कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Explunged, as ordered, by the Chair.

श्री चपांलाकत्त भट्टाचार्य (**रायगंज**) : श्री द्विवेदी ने अभी बताया है कि यह असंसदीय शब्द है। इसे कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही निकाल दिया है।

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. **kindly let me know the difference.

Mr. Speaker : Whatever you have said, is not apt and not correct.

Shrimati Lakshmi Kanthamma : It had been stated that there had been many lapses in the implementation of the gentlemen's agreement. They were the administrative lapses. and on account of those lapses, the development of the state should not be stopped. I would appeal to the members that the problems should be resolved by mutual understanding and not by violence.

Hon. Member Shri Narayan Reddy has said just now that 16 lakhs students were suffering in the studies on account of the agitation going on there. I want to know as to who was responsible for it. Even the wife of the vice-chancellor and the members of the syndicate have taken part in the satyagrah.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : What do you mean by syndicate.

Shrimati Lakshmi Kanthamma : There is a statement of the vice-chancellor that 95 per cent of the student are interested to go the school.

श्री **नारायण रेड्डी** (निजामाबाद) : कौन-सा सिंडीकेट ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा (हस्कोटे) : कई सिंडीकेट हैं जैसे अखिल भारतीय सिंडीकेट, आंध्र सिंडीकेट, मैसूर सिंडीकेट आदि आदि

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : यदि आन्दोलन में लगे 5 प्रतिशत छात्रों की इच्छा 95 प्रतिशत छात्रों की, जो स्कूल में जाना चाहते हैं, इच्छा पर हावी हो तो क्या यह लोकतन्त्र है ?

हैदराबाद में लगभग 5,000 गुण्डे हैं। इन्हें कुछ व्यापारी प्रशिक्षण देते हैं, उनका भरण-पोषण करते हैं तथा उनका अनुरक्षण करते हैं। ये लोग तेलंगाना के कुछ छोटे छोटे व्यापारियों और किसानों को 30, 40 या 100 प्रतिशत की दर पर भी धन उधार दे रहे थे और उनसे ब्याज वसूल करने के लिये उन्हें गुण्डों को रखना पड़ता था। लेकिन, जब वहां आंध्र के लोग आये तो स्थिति बदल गई। आंध्र के लोग बड़े उद्यमी हैं। वे 2 से 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर धन उधार दे रहे थे। इस लिए उन लोगों के लिये आंध्र के लोग प्रतिद्वन्दी और शत्रु बन गये। वे लोग तेलंगाना की जनता की सच्ची सेवा करने वाले आंध्र के लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे।

औद्योगिकरण के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र में आंध्र में 110 करोड़ रूपये लगाये गये। इनमें से 80 करोड़ रूपये तेलंगाना लगाये गये और बाकी 30 करोड़ रूपये शेष आंध्र में लगाये गये। हम और भी विकास चाहते हैं परन्तु आन्दोलन के कारण काफी हानि हुई है। तेलंगाना में एक सरकारी उर्वरक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। परन्तु आन्दोलन के कारण स्थिति बदल गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल उत्तर देंगे।

अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged. as ordered. by the Chair.

कार्यमंत्रणा समिति

39वां प्रतिवेदन

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

श्री राघुरमैया : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का 39वां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें दो प्रस्ताव हैं—ए : तो बाढ़ों से संबंधित है और दूसरा गन्ने की कीमतों तथा संबंधित मामलों के बारे में हैं । 30 तारीख को बैठक का भी प्रस्ताव रखा गया है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 अगस्त, 1969/31 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ;

The Lok Sabha then Adjourned the Eleven of the Clock on friday, August, 22, 1969,/Sravana 31, 1891 (Saka))

GMGIPND—LS II—2121 (ai)LS—6-11-69—340

[यह लोक–सभा वाद–विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]